



आई पी एल
I P L



ANNUAL REPORT 2022-23

IIFCL PROJECTS LIMITED


आई आई एफ सी एल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

(A Wholly Owned Subsidiary of IIFCL, A Government of India Enterprise)
आई.आई.एफ.सी.एल. (भारत सरकार का एक उपक्रम) के पूर्ण स्वामित्व वाली संबद्ध कंपनी)

VISION & MISSION

OUR MISSION

To provide services for credible identification, development, implementation and monitoring of infrastructure projects required across the country ensuring adoption of the best practices and optimum utilization of financial and other resources



OUR VISION


To be the premier knowledge driven institution providing advisory and syndication services to all links in the infrastructure value chain for a New India”

IIFCL PROJECTS LIMITED (IPL) AT A GLANCE

IPL is a dedicated project advisory company adding value in the areas of project appraisal, syndication, transaction advisory, and infrastructure consultancy services.

Mandate:


- To assist, advise and promote infrastructure development by way of advisory and development management services to infrastructure projects.
- To act as a nodal agency for Identification, appraisal, development and establishment of infrastructure projects and facilities in India or outside India




Wholly owned subsidiary of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL)

Realizing the importance of identifying and conceptualizing good bankable infrastructure projects and attracting private capital, IIFCL, in Feb 2012, established IPL, as completely owned subsidiary, to leverage its domain expertise for providing project advisory services including project appraisal and syndication services.

Acting as a dedicated **Financial & Infrastructure Advisory Company**, IPL extends advisory support to the Central / State/ Local Governments & its bodies, Project Developers and Investors on the needs and priorities of infrastructure, impediments, policy, financing issues.



Our Footprint



OUR BOARD OF DIRECTORS



Shri Padmanabhan Raja Jaishankar

(Director and Chairman)



Shri Pawan K. Kumar

(Nominee Director)



Shri Palash Srivastava

(Director & Deputy CEO)



Shri Gaurav Kumar

(Nominee Director)



Shri Raj Kumar Raihan

(Nominee Director)



Shri Rajeev Mukhija

(Chief Executive Officer)

Parent & Group Companies

2006



INDIA
INFRASTRUCTURE
FINANCE
COMPANY LIMITED

PARENT COMPANY

India Infrastructure Finance Company Ltd (IIFCL)

IIFCL, a Government of India enterprise, provides long-term financial assistance to viable infrastructure projects through the Scheme for Financing Viable Infrastructure Projects (SIFTI)

2008



India
Infrastructure
Finance
Company (UK) Limited
(A wholly owned subsidiary of IIFCL)

GROUP COMPANY 1 IIFC (UK) Limited

Foreign Currency Loans to Infra projects in India for import of Capital Goods based in London, United Kingdom.

2012



GROUP COMPANY 2

IIFCL Asset Management Co. Ltd. Infrastructure Debt Fund (IDF)

To provide cost effective, long term alternative source of finance to Infrastructure projects in India, through mutual fund route.

विषय सूची

कंपनी प्रोफाइल	1
सूचना	6
निदेशक की रिपोर्ट	10
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	26
बैलेंस शीट	54
लाभ और हानि का विवरण	56
नकदी प्रवाह का विवरण	58
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	110

वैधानिक लेखा परीक्षक

एमएस। चंदर प्रकाश एंड कंपनी
207, पद्मा टावर-II 22,
राजेंद्र प्लेस
नई दिल्ली-110008

पंजीकृत कार्यालय

5वीं मंजिल, प्लेट-ए, एनबीसीसी टॉवर,
प्रखंड-2, किदवई नगर
(पूर्व), नई दिल्ली-110023
फोन: 011-23445100
www-iifclprojects-com
सीआईएन: U74999DL2012GOI231473

बैंकर्स

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CONTENTS

Company Profile	1
Notice	7
Director's Report	11
Independent Auditor's Report	27
Balance Sheet	55
Statement of Profit and Loss	57
Statement of Cash Flows	59
Comments of the Comptroller and Auditor General of India	111

Statutory Auditors

M/s. Chander Parkash & Co.
207, Padma Tower-II 22,
Rajendra Place
New Delhi-110008

Registered Office

5th Floor, Plate-A, NBCC Tower,
Block-2, Kidwai Nagar
(East), New Delhi-110023
Phone: 011-23445100
www.iifclprojects.com
CIN: U74999DL2012GOI231473

Bankers

IDBI Bank Limited

आई.आई.एफ.सी.एल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा संक्षिप्त सूचना दी जाती है कि आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के सदस्यों की ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 27 सितम्बर 2023 को प्रातः 11.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बोर्ड रूम, 5वां तल, प्लेट-ए, एनबीसीसी टॉवर, ब्लॉक-2, किदवई नगर (ईस्ट), नई दिल्ली-110023 पर आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्यों पर विचार-विमर्श किया जाएगा:

साधारण व्यवसाय:

1. निदेशकों की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2023 के लेखापरीक्षित तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त अवधि के लाभ तथा हानि लेखा विवरण को प्राप्त करना, उस पर विचार करना, अनुमोदन करना और उसे अपनाना।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (भारत के सीएंडएजी) द्वारा अपने पत्र दिनांक 31 अगस्त, 2022 के माध्यम से वर्ष 2022-23 के लिए कम्पनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। निदेशक मंडल ने 9 सितम्बर, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में चंदर प्रकाश एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया और उनके लिए पारिश्रमिक रु. 25,000/- प्लस लागू कर अनुमोदित किया। सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईपीएल की वैधानिक लेखापरीक्षा करने के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक में सुधार करने का विचार करें।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुपालन में, एक सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) की शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त या पुनः नियुक्त किए जाने होते हैं, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में निर्धारित किया जाना होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 20.09.2023 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कम्पनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स हरमीत सिंह एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त किया है।
4. सदस्यों से अनुरोध है कि वे मैसर्स हरमीत सिंह एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कम्पनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति एवं पिछले वर्ष के समान रु. 25,000 पारिश्रमिक निर्धारित करने को अनुमोदित करें।

बोर्ड के आदेशानुसार

हस्ता./-

पलाश श्रीवास्तव

डीआईएन: 02007911

निदेशक एवं डिप्टी सीईओ

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 26.09.2023

IIFCL PROJECTS LIMITED NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Shorter Notice is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting of the members of IIFCL Projects Limited will be held on Wednesday, 27th September 2023, at 11:00 A.M. at registered address of the Company at Board Room, 5th Floor, Plate - A, NBCC Tower, Block - 2, Kidwai Nagar (East), New Delhi, 110023, to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider, approve and adopt the audited Balance Sheet as at March 31, 2023 and Statement of Profit and Loss Account for the year ended on that date together with the reports of the Directors and the Auditors thereon.
2. The Statutory Auditors of the Company for the year 2022-23 were appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG of India) vide letter dated August 31st, 2022. The Board of Directors in meeting held on September 9, 2022, approved the appointment of Chander Parkash & Co., Chartered Accountants as Statutory Auditor and approved their remuneration at Rs. 25,000 plus applicable taxes. The members are requested to consider the resolution to ratify the remuneration of Statutory Auditors fixed for carrying out Statutory Audit of IPL for the Financial Year 2022-23.
3. Pursuant to section 139(5) of Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Company are to be appointed or re-appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the Financial Year 2023-24 and in terms of section 142(1) of the Companies Act, 2013, their remuneration has to be fixed by the Company in Annual General Meeting.

The C&AG vide its letter dated 20.09.2023 appointed M/s Harmeet Singh & Co., Chartered Accountant as Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2023-24. The members are requested to approve the appointment of M/s

Harmeet Singh & Co, Chartered Accountants as Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2023-24 and fix Rs. 25,000/- remuneration of Auditors on same lines as last year.

By order of the Board

Palash Srivastava

DIN:02007911

Director & Deputy CEO

Date: 26.09.2023

Place: New Delhi

टिप्पणियां:

1. कोई सदस्य जो बैठक में भाग लेने एवं वोट देने का पात्र है, वह स्वयं के बदले किसी प्रॉक्सी को बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए नियुक्त कर सकता है तथा प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी की नियुक्ति करते हुए इंस्ट्रूमेंट को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराना होगा।
2. बैठक में भाग लेने के लिए भेजी जा रही उपस्थिति पर्ची सदस्यों/प्रॉक्सी द्वारा विधिवत् भरकर अपने साथ लानी चाहिए।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अंतर्गत रखा जाने वाला निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर बैठक में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखा जाने वाला संविदा रजिस्टर, जैसा प्रस्तावों तथा अथवा व्याख्यात्मक विवरणों में उल्लिखित है, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
5. भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना कंपनी को दें। सदस्यों को अपने पत्राचार के दौरान अपने फोलियो नम्बर का उल्लेख करना चाहिए।

उपस्थिति पर्ची

पंजीकृत फोलियो/डीपी आईडी:

शेयरधारक का नाम एवं पता:

संयुक्त धारक(कों) का नाम:

शेयरों की सं.:

मैं/हम एतद्वारा को बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड रूम, 5वां तल, प्लेट-ए, एनबीसीसी टॉवर, ब्लॉक-2, किदवई नगर (ईस्ट), नई दिल्ली-110023 में आयोजित होने वाली 11वीं वार्षिक आम बैठक में मेरी/अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं।

शेयरधारक(कों) का हस्ताक्षर _____

प्रॉक्सी धारक का हस्ताक्षर _____

नोट: व्यक्तिगत रूप से प्रॉक्सी के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची को पूरा भरें और इसे बैठक हॉल के प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

NOTES

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. THE INSTRUMENT APPOINTING A PROXY, SHOULD HOWEVER BE DEPOSITED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY, NOT LESS THAN 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING.
2. Members/proxies should bring duly filled Attendance Slips sent herewith to attend the meeting.
3. The Register of Directors Shareholding, maintained under section 170 of the Companies Act, 2013 will be available for inspection by the members at the meeting.
4. The Register of Contracts, maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all documents as mentioned in the resolutions and or explanatory statement will be available for inspection by the members at the registered office of the Company.
5. Members holding shares in physical form are requested to notify the change in their address to the Company. Members should quote their folio numbers in the correspondence.

ATTENDANCE SLIP

Registered Folio/DP ID:

Name and address of the Shareholder:

Name of Joint holder(s)

No. of Shares:

I/we hereby record my/our presence at the 11th Annual General of IIFCL Projects Limited to be held on _____ at _____ at the Registered Office of the Company at Board Room, 5th Floor, Plate - A, NBCC Tower, Block - 2, Kidwai Nagar (East), New Delhi, 110023.

Signature of the Shareholder(s) _____

Signature of Proxy holder _____

Note: Shareholders attending meeting in person or by proxy are requested to complete the attendance slip and hand it over at the entrance of meeting hall.

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2022-2023

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

निदेशक मंडल

1	श्री पद्मनाभम राजा जयशंकर	निदेशक एवं अध्यक्ष
2	श्री पवन के. कुमार	निदेशक
3	श्री राज कुमार रलहन	निदेशक
4	श्री पलाश श्रीवास्तव	निदेशक एवं डिप्टी सीईओ
5	श्री गौरव कुमार	निदेशक

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री राजीव मुखिजा	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
-------------------	-------------------------

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों के साथ आपकी कंपनी के कार्यप्रदर्शन पर 11वीं (ग्यारहवीं) वार्षिक रिपोर्ट आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय सार, प्रचालनों, कार्य की स्थिति

वित्तीय विशेषताएं

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति
कुल राजस्व	1453.84	1316.29
कुल व्यय	1248.15	801.86
कर पूर्व लाभ	205.69	514.43
कर व्यय	50.01	140.84
अवधि के लिए लाभ	155.68	373.59
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	1.99	1.89
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	157.67	375.48

शेयर पूंजी

कंपनी की पूर्णतया अदा की गई रु. 475 लाख राशि की शेयर पूंजी आईआईएफसीएल और इसके नामितों के पास ही रखे जाना जारी है।

व्यवसाय परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने विभिन्न केंद्रीय/राज्य प्राधिकरणों के लिए कार्यक्रम प्रबंधन, वित्तीय और लेनदेन सलाहकार, परियोजना संरचना के साथ-साथ परियोजना कार्यान्वयन सेवाओं जैसे विभिन्न डोमेन में सेवाएं प्रदान करके केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सलाहकार और परामर्श क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना जारी रखा।

वर्ष के दौरान, आईपीएल ने दो नए विविध कार्यक्रम जोड़कर अपने व्यापार पोर्टफोलियो को मजबूत किया। आपकी कंपनी को

DIRECTOR'S REPORT

BOARD'S REPORT

F.Y. 2022-2023

IIFCL PROJECTS LIMITED

BOARD OF DIRECTORS

1	Shri Padmanabhan Raja Jaishankar	Director and Chairman
2	Shri Pawan K Kumar	Director
3	Shri Raj Kumar Ralhan	Director
4	Shri Palash Srivastava	Director & Deputy CEO
5	Shri Gaurav Kumar	Director

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Shri Rajeev Mukhija	Chief Executive Officer
---------------------	-------------------------

BOARD'S REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2023

To

THE MEMBERS OF IIFCL PROJECTS LIMITED

Your Directors have great pleasure to present the 11th (Eleventh) Annual Report on performance of your Company for the financial year ended March 31, 2023, along with the Audited Financial Statements, Report of the Auditors and the Comptroller and Auditor General of India (CAG) thereon.

SUMMARY OF FINANCIALS, OPERATIONS & STATE OF AFFAIRS

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Rs. in Lacs

PARTICULARS	Year Ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022
Total Revenue	1453.84	1316.29
Total Expenses	1248.15	801.86
Profit Before Tax	205.69	514.43
Tax Expense	50.01	140.84
Profit For the Period	155.68	373.59
Other Comprehensive Income (net of tax)	1.99	1.89
Total Comprehensive Income For the Period	157.67	375.48

Share Capital

The entire paid-up share capital of the Company amounting to Rs. 475 Lakh continues to be held by IIFCL and its nominees.

BUSINESS OVERVIEW

During Financial Year 2022-23, IIFCL Projects Limited, continued to strengthen its space in the advisory and consultancy segment amongst Central and State Governments by delivering services in various domains

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित यूएसडी 800 मिलियन रैमपी (एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना) कार्यक्रम के अखिल भारत कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के रूप में नामित किया गया था। यह अखिल भारत कार्यान्वयन के लिए आईपीएल द्वारा प्राप्त पहला राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। एमएमआरडीए की आगामी 09 मेट्रो लाइनों की ऋण सुविधा के लिए विभिन्न ऋण मंजूरी से पहले और बाद की गतिविधियों में सहायता करने के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) से एक और अधिदेश जोड़ा गया था। एमएमआरडीए के साथ इस नए कार्यक्रम ने आईपीएल को अपने वित्तीय सलाहकार अनुभव के आधार पर महाराष्ट्र के रणनीतिक स्थान में जगह बनाने में मदद की है।

वर्ष के दौरान, आईपीएल ने अंतरिक्ष विभाग के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के साथ दो अधिदेशों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया। इस कार्य के निष्पादन के साथ आपकी कंपनी ने अंतरिक्ष के रणनीतिक क्षेत्र को वित्तीय सलाह देने के क्षेत्र में कदम रखा है। हम आने वाले वर्ष में एनएसआईएल से दोबारा अधिदेश प्राप्त करने पर आगे की चर्चा के साथ इस संबंध को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे।

शासनादेश के सुचारु और कुशल निष्पादन और देश में आईआईएफसीएल समूह की पहुंच और स्थिति का विस्तार करने के लिए विशेष रूप से राज्य के ग्राहकों/प्राधिकरणों के साथ आपकी कंपनी ने दिल्ली, मेघालय, तमिलनाडु और मणिपुर राज्यों में समर्पित कार्य दल (स्थायी और/या सलाहकार/अनुचर) तैनात किया है। हालाँकि, मणिपुर राज्य में हाल की नागरिक अशांति के कारण सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और टीम को राज्य से सुरक्षित वापस ले लिया गया है।

वित्त वर्ष 22-23 के दौरान, आईपीएल ने इन कार्यों की डिलीवरी के लिए एक कुशल पूल बनाने हेतु इन कार्यक्रमों की तैयारी के लिए जनशक्ति संवर्धन में निवेश किया। कंपनी ने भर्ती प्रक्रियाओं और नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने के संबंध में लागत और समय खर्च किया है। ये निवेश हमारे ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं की निरंतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए किए गए थे।

राज्य कार्यक्रम

आपकी कंपनी ने अब देश में प्रमुख क्षेत्रीय उपस्थिति स्थापित कर ली है। वित्तीय 2022-23 के अंत तक आईपीएल के मेघालय, तमिलनाडु, मणिपुर, मुंबई और दिल्ली राज्यों में नौ (9) रिटेनरशिप कार्यक्रम चल रहे हैं। विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के साथ सलाहकार कार्यक्रमों का सफल निष्पादन और स्थिरता प्रभावशाली रही है और कंपनी के स्थायी प्रदर्शन में एक प्रमुख योगदानकर्ता रही है और इसने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बाजार का विस्तार करते हुए बड़ी संख्या में सुविधाओं के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हुए आईआईएफसीएल समूह के मुख्य वित्तपोषण पोर्टफोलियो में दृश्यता और ताकत जोड़ी है।

वर्ष के दौरान तमिलनाडु और मेघालय के साथ राज्य के कार्यक्रमों के साथ-साथ आईआईएफसी (यूके) के साथ समझौते को सफलतापूर्वक नवीनीकृत किया गया। वर्ष के दौरान आईपीएल को **विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 'एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने' वाले रैम्प कार्यक्रम** के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के रूप में नामित किया गया है जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। वर्ष के दौरान आईपीएल ने राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद की स्थापना, सभी भाग लेने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन मैनुअल विकसित करने और आरएमपी कार्यक्रम के तहत विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन करने जैसे विभिन्न इंटरवेंशन की सुविधा प्रदान की है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के साथ अपने नए जोड़े गए अधिदेश के तहत आईपीएल ने अपनी 09 मेट्रो लाइनों के वित्तपोषण के लिए एमएमआरडीए द्वारा प्राप्त ऋण मंजूरी शर्तों के लिए एक तुलनात्मक अध्ययन तैयार किया। उसी के आधार पर, एमएमआरडीए ने 20 अक्टूबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की उपस्थिति में रुरल इलेक्ट्रिकिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) के साथ अपना ऋण समझौता निष्पादित किया।

राज्य में शहरी और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए परियोजना विकास सहायता (पीडीए) प्रदान करने हेतु **मेघालय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (एमआईडीएफसी)** के साथ चल रहे अपने अधिदेश के तहत राज्य के बिजली विभाग के साथ आईपीएल टीम ने राज्य की 22.5 मेगावाट गनोल हाइड्रो परियोजना के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी और विकासत्मक कार्यकलापों की निगरानी की जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की सफल शुरुआत में तेजी आई। पहली इकाई की कमीशनिंग 04 जनवरी 2023 को की गई थी और एक औपचारिक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। जून 2023 के अंत तक सभी तीन इकाइयां पूर्ण लोड पर चलने लगीं। वर्ष के दौरान आईपीएल ने मेघालय राज्य को उनकी पावर इकाई (मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के तहत रु. 170 करोड़ के परियोजना ऋण आकार के लिए अपनी बिजली संपत्तियों की वित्तीय संरचना में भी सहायता और एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जिसने इसकी बिजली

like Programme Management, Financial and Transaction Advisory, Project Structuring as well as Project Implementation services for various Central/State authorities.

During the year, IPL strengthened its business portfolio by adding two new diversified programmes. Your Company was nominated as National Programme Management Unit for the PAN India implementation and monitoring of World bank funded USD 800 Mn RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) programme of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). This is the first National Level programme bagged by IPL for PAN India implementation. Another mandate was added from Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) to assist them in various Pre and Post Debt Sanction activities for debt facility of MMRDA's upcoming 09 metro lines. This new programme with MMRDA has helped IPL in creating space in the strategic location of Maharashtra based on its financial advisory experience.

During the year, IPL successfully executed two mandates with New Space India Limited (NSIL) under Department of Space. With the execution of this assignment, your Company has forayed into financial advisory to the strategic sector of Space. We continue to nurture this relationship with further discussions on availing repeat mandates from NSIL in the coming year.

For smooth and efficient execution of mandates and to expand the outreach and positioning of the IIFCL Group in the country, specially with state clients/authorities, your Company has posted dedicated working team (permanent and/or consultants/retainers) in the states of New Delhi, Meghalaya, Tamil Nadu and Manipur. However, on account of recent civil unrest in the State of Manipur, the services have been temporarily suspended and team has been safely withdrawn from the state.

During FY 22-23, IPL invested in manpower enrichment for readiness of these programmes to create a skilled pool for delivery of these assignments. The Company has incurred costs and time in relation to hiring processes and attracting new talents. These investments were made to ensure the continued delivery of high-quality services to our clients.

State Programmes

Your Company has now established prominent regional presence in the country. By the end of the Financial 2022-23, IPL has nine (9) retainership programmes under execution in the states of Meghalaya, Tamil Nadu, Manipur, Mumbai and Delhi. The successful execution and stability of advisory programmes with the various state authorities has been influential and a major contributor to the sustainable performance of the Company and has added visibility and strength to the core financing portfolio of the IIFCL Group while creating an ecosystem for facilitating larger number of infrastructure projects expanding the market for financing infrastructure.

During the year, the state programmes with Tamil Nadu and Meghalaya as well as agreement with IIFC (UK) were successfully renewed. During the year, IPL has been nominated as National Programme Management Unit for the **World Bank assisted USD 808 Mn 'Raising and Accelerating MSME Performance' RAMP programme** which was rolled out by the Ministry of MSME after its Cabinet approval. During the year, IPL has facilitated various interventions like setting up of National MSME Council, developing Programme Implementation Manual for all participating states/UTs and conducted various National and State level Workshops under the RAMP programme. Under its newly added mandate with Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA), IPL prepared a comparative study for debt sanction terms received by MMRDA for financing of its 09 metro lines. Based on the same, MMRDA executed its loan Agreement with Rural Electrification Corporation Limited (REC) in the presence of Hon'ble Chief Minister and Hon'ble Deputy Chief Minister, Maharashtra on 20th Oct 2022.

Under its ongoing mandate with **Meghalaya Infrastructure Development Finance Corporation (MIDFC)** for providing Project Development Assistance (PDA) to develop urban and other infrastructure projects in the state, IPL team along with the Power Department of the state, spearheaded the diligent monitoring of critical technical developmental activities for the State's 22.5 MW Ganol Hydro Project which resulted in

संपत्तियों के लिए उधार लेने की लागत को युक्तिसंगत बनाने में सक्षम बनाया। आईपीएल ने इस कार्यक्रम के तहत राज्य के लिए व्यापक खरीद संबंधी गतिविधियां जारी रखी हैं।

परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के रूप में **मेघालय राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एमएसआईपीबी)** के साथ अपने कार्यक्रम के माध्यम से आईपीएल ने वर्ष के दौरान विभिन्न रणनीतिक पहलों पर काम किया। आपकी कंपनी के बुनियादी ढांचे के विकास और संरचना परियोजनाओं के मुख्य मिशन को आगे बढ़ाते हुए आईपीएल ने इस कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश के रास्ते मोरेह से महेंद्रगंज और हिली को जोड़ने वाले एक नए आर्थिक गलियारे के माध्यम से मेघालय की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु विदेश मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की। इस पीएमयू के तहत की जा रही विभिन्न अन्य गतिविधियों में मेघालय औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति और मेघालय के पर्यटन रोपवे अधिनियम का मसौदा तैयार करना शामिल है जो अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं।

मेघालयन एज लिमिटेड (एमएएल) के साथ अपने अन्य कार्यक्रम के तहत जहां आईपीएल राज्य में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास की गति को तेज करने में कंपनी की सहायता के लिए परियोजना सलाहकार और संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए प्रधान सलाहकार की क्षमता में काम कर रहा है आईपीएल ने ईको डेवलपमेंट सोसाइटी, मेघालय सरकार के साथ अपने समझौता ज्ञापन के तहत डिलिवरेबल्स के हिस्से के रूप में मेघालय राज्य में पूर्वोत्तर ओलंपिक के लिए एंड-टू-एंड खरीद गतिविधियां आयोजित की गईं। आपकी कंपनी टोस/समन्वित पर्यावरण वन कार्यक्रमों के माध्यम से मेघालय राज्य की अनूठी पारिस्थितिक सेटिंग के संरक्षण की दिशा में विभिन्न इंटरवेंशन में ग्राहक को सलाह देने और संस्थागत सहायता प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। वर्ष के दौरान आईपीएल ने अवधारणाओं, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) की तैयारी के माध्यम से इस क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए पीपीपी संरचनाओं के विकास में सोसायटी के साथ काम किया।

वर्ष के दौरान टीम में विस्तार के साथ **तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (टीएनआईडीबी)** के साथ परामर्श सेवा समझौते को 4 (2+2) वर्षों की एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया। अधिदेश के तहत आईपीएल ने नीतिगत मुद्दों को आकार देने, अवधारणा नोट्स तैयार करने, परियोजना मूल्यांकन, पीपीपी परियोजनाओं के लिए बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन और सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए टीएनआईडीबी का समर्थन करना जारी रखा है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने अन्य कार्यकलापों के अलावा तमिलनाडु सरकार की 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के लिए एक समग्र रणनीति और रोडमैप विकसित करने में टीएनआईडीबी का समर्थन किया और साथ ही विश्व बैंक और एआईआईबी द्वारा वित्त पोषित चेन्नई सिटी पार्टनरशिप के चरण-1 के समन्वय में सहायता की।

मणिपुर राज्य योजना प्राधिकरण (एमएसपीए) के साथ अपने कार्यक्रम के तहत आईपीएल ने मणिपुर राज्य सरकार के लिए विभिन्न रणनीतिक गतिविधियों पर काम किया जिसमें राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा फूटप्रिंट के विस्तार की रणनीति बनाना, सिटी गैस पाइपलाइन वितरण के लिए एजेंसी की खोज और भारत और आसियान के बीच संभावित भूमि व्यापार गतिविधियों को पूरा करने वाले मोरेह क्षेत्र के विकास की अवधारणा शामिल थी। आईपीएल द्वारा तैयार किए गए "मणिपुर विजन 2047" दस्तावेज का भी मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनावरण किया गया जो अगले 25 वर्षों के लिए राज्य के तीव्र और सतत विकास के लिए एक निर्णायक रोडमैप के रूप में काम करेगा। हालांकि राज्य में हाल ही में हुई नागरिक अशांति के कारण कार्यक्रम को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है लेकिन जब भी राज्य में स्थिरता बहाल होगी आईपीएल अपने संचालन को बहाल करने के लिए तत्पर है।

लेनदेन सलाहकार/परामर्श सेवाएं

आपकी कंपनी के परामर्शी अधिदेशों में इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना विकास/कार्यान्वयन के संबंध में लेनदेन, वित्त एवं परियोजना स्ट्रक्चरिंग परामर्श, अधिप्राप्ति, वित्तीय योजना एवं निगरानी, व्यवसाय योजना/गठन, संस्थागत सहायता, बहुपक्षीय बैंक कार्यक्रमों के लिए परियोजना निगरानी, और विभिन्न सरकारी कंपनियों/प्राधिकरणों को सामाजिक अभिशासन परामर्श आदि शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आईपीएल ने अंतरिक्ष विभाग से **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल)** में 10 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों के हस्तांतरण के लिए अपनी लेनदेन सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का प्रतिष्ठित कार्य पूरा किया। इस अधिदेश में उचित परिश्रम, मूल्यांकन की समीक्षा, अनुबंध समीक्षा और इस हस्तांतरण का दस्तावेजीकरण शामिल था। जैसा कि ऊपर कहा गया है इस असाइनमेंट ने आपकी कंपनी के लिए अंतरिक्ष के रणनीतिक क्षेत्र में कदम रखने के दरवाजे खोल दिए हैं। वर्ष के दौरान, आईपीएल ने गिफ्ट सिटी में एक कार्यालय स्थापित करने के लिए एक अवधारणा का मसौदा तैयार करने के लिए एनएसआईएल का एक और काम हासिल किया और उससे पूरा किया जिसमें कानूनी और कर व्यवहार्यता शामिल थी। हम यह भी सूचित करना चाहेंगे कि इन कार्यों के सफल और संतोषजनक निष्पादन के आधार पर आईपीएल को उनके लॉन्च वाहन

accelerating the successful commissioning of the project. The commissioning of first unit was done on 04th January 2023 and announced by Hon'ble Chief Minister in a formal event. All three units have got running at full load by the end of June 2023. During the year, IPL also assisted the state of Meghalaya in financial structuring of its power assets for Project debt size of Rs. 170 crores, under its Power entity (Meghalaya Energy Corporation Limited) and submitted a comparative study which enabled rationalisation of borrowing cost for its power assets. IPL continues to undertake extensive procurement related activities for the state under this programme.

Through its programme with **Meghalaya State Investment Promotion Board (MSIPB)** as its Project Management Unit (PMU), IPL worked on various strategic initiatives during the year. Taking forward your Company's core mission of infrastructure development and structuring projects, IPL facilitated the submission of proposal for enhancing Regional Connectivity of Meghalaya through a New Economic Corridor connecting Moreh to Mahendraganj to Hili via Bangladesh to Ministry of External Affairs under this programme. Various other activities being undertaken under this PMU includes drafting of Meghalaya Industrial & Investment Promotion Policy and Tourism Ropeway Act of Meghalaya, which are under various stages of finalisation.

Under its other programme with **Meghalayan Age Limited (MAL)**, where IPL is working in the capacity of Principal Consultant for providing Project advisory and Institutional Support to assist the Company in hastening the pace of tourism infrastructure development in the State, IPL supported the end-to-end procurement activities for Northeast Olympics held in the state of Meghalaya. As part of deliverables under its MoU with **Eco Development Society, Government of Meghalaya**, your Company is working towards advising and providing Institutional Support to the client in various interventions towards conservation of the unique ecological setting of the state of Meghalaya through concerted/coordinated Environment and Forest Actions. During the year, IPL engaged with the Society in development of PPP structures for projects in this sector through preparation of concepts, Detailed Projects Reports and Request for Proposals (RFPs).

During the year, the Consultancy Service Agreement with **Tamil Nadu Infrastructure Development Board (TNIDB)** was renewed for another period of 4 (2+2) years with an expansion in team. Under the mandate, IPL continues to support TNIDB for shaping policy issues, preparation of concept notes, project appraisal, appraisal of bid documents for PPP projects, and capacity building of the public sector officials. During the year, your Company, amongst other activities, supported TNIDB in developing an overall strategy and roadmap towards the vision of USD 1 Trillion Economy of Government of Tamil Nadu as well as assisted in coordinating Phase - 1 of Chennai City Partnership funded by World Bank & AIIB.

Under its programme with **Manipur State Planning Authority (MSPA)**, IPL worked on various strategic activities for the State Government of Manipur which included Strategizing expansion of Renewable energy footprint in the State, mobilizing agency for City gas pipeline distribution and conceptualizing Development of Moreh region as the caterer of potential land trade activities between India and ASEAN. The "Manipur Vision 2047" document prepared by IPL was also unveiled by the Hon'ble Chief Minister of Manipur which would serve as a decisive roadmap for the state's rapid and sustainable growth for the next 25 years. Though the programme stands suspended presently on account of the recent civil unrest in the state, IPL looks forward to restoring its operations as and when stability resumes in the state.

Transaction Advisory/Consultancy services

The advisory mandates of your Company range from Transaction, Financial and Project structuring advisory with respect to Infrastructure Project Development/Implementation, Procurement, Financial Planning and Monitoring, Business Planning/ Incorporation, Institutional Support, Project Monitoring for Multilateral Bank Programmes, Environment and Social Governance Advisory etc. to various Government Companies/ Authorities.

During Financial Year 2022-23, IPL completed the prestigious assignment for providing its Transaction Advisory services for transfer of 10 in-orbit Communication Satellites from Department of Space to **New Space India Limited (NSIL)**. This mandate included due diligence, review of valuation, contract review and

मार्क-3 के लिए विकास भागीदारों की खरीद के लिए वित्तीय सलाह और सहायता प्रदान करने हेतु एनएसआईएल द्वारा एक और अधिदेश दिया गया है जो वर्तमान में निष्पादन के अधीन है।

इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में आईपीएल ने एमडीबी जैसे ड्यूश **गोसेलस्वाफ्टफुर इंटरनेशनल जुसामैरबैट (जीआईजेड)** से अधिदेश को दोहराने के माध्यम से लम्बे संबंध बनाए हैं। आईपीएल ने पहले ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर बेसल फाउंडेशन (जीआईबी) और जीआईजेड के बीच रणनीतिक गठबंधन का समर्थन किया था ताकि जलवायु परिवर्तन के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भूद्यता का मूल्यांकन करने के लिए "स्थिरता मानकों" हेतु एक व्यावसायिक मामला तैयार किया जा सके और जलवायु के वर्तमान परिदृश्य को कवर करते हुए परिवर्तन, बुनियादी ढांचे और विभिन्न ईएसजी पहलुओं पर एक विस्तृत बिजनैस केस स्टडी तैयार की जा सके। इस वर्ष आईपीएल ने भारत में 'SuRe®' को बढ़ावा देने के लिए **सस्टेनेबिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (एसआईए)**, अवसंरचना में सततता के क्षेत्र में एक वैश्विक प्रमुख और इसके सहयोगी भागीदारों के माध्यम से अपना अधिदेश सफलतापूर्वक पूरा किया जो एसआईए द्वारा विकसित विश्व स्तर पर लागू "स्थिरता मानक" है।

इसके अलावा, आईपीएल **साउथ पोल, स्विस् एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड को-ऑपरेशन (एसडीसी) के साथ कार्यान्वयन भागीदार** द्वारा परियोजना वित्त विशेषज्ञ के रूप में भी कार्यरत है जो लो कार्बन और क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी डेवलपमेंट इन इंडिया (कापासिटीज) पर क्षमता निर्माण परियोजना के तहत है। एसडीसी कापासिटीज इम्प्लीमेंटेशन (इंडिया) नाम का कार्यक्रम चला रहा है जिसे टिकाऊ, लचीले एवं जलवायु के प्रति संवेदनशील बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत के चुनिंदा शहरों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय शहरों की क्षमताओं को मजबूत करना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उपायों की पहचान करना, योजना बनाना और उसे लागू करना एवं एकीकृत तरीके से जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाना है। वर्ष के दौरान, आईपीएल ने "तमिलनाडु की नगर पालिकाओं और निगमों के लिए एकत्रित जैविक कचरे से जैव सीएनजी परियोजनाओं" पर एक अध्ययन प्रस्तुत किया है। ऐसी बीस परियोजनाएं बोली लगाने के लिए तैयार हैं और जल्द ही डेवलपर्स द्वारा फंडिंग के लिए पेश की जा सकती हैं।

वित्तीय सलाहकार

आईपीएल ने चालू सेवा समझौतों के तहत **इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लि. (आईडीएफसी (यूके))** को अपनी सेवाएं प्रदान करना जारी रखा। आईपीएल को लंदन में इंग्लैंड एवं वेल्स की कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ शामिल आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड द्वारा एंड टू एंड सेकेंडरी परियोजना मूल्यांकन एवं निगरानी सेवाओं के लिए एजेंसी के रूप में कार्य का दायित्व सौंपा गया है जो भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने वाली भारतीय कंपनियों को ऐसी परियोजनाओं के लिए उनक बाहरी वाणिज्य ऋण के रूप में सह-वित्तपोषण हेतु ऋण देती है। आईपीएल वर्तमान में लगभग 1.25 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की सामंजस्यपूर्ण सूची के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के एक समेकित पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है जिसमें पुनर्वित्त की गई संपत्ति के साथ-साथ एनसीएलएटी के साथ आईसीबी के तहत समाधान शामिल है।

प्रदान की जाने वाली सेवाओं का व्यापक दायरा है और इसमें द्वितीयक परियोजना वित्तीय मूल्यांकन, मसौदा बोर्ड ज्ञापन तैयार करना, प्रसंस्करण संवितरण और संशोधन अनुरोध एवं आईआईएफसी (यूके) की ओर से परियोजनाओं की सामग्री निगरानी शामिल है। उपरोक्त के अलावा आईपीएल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), आईआईएफसी (यूके) द्वारा भारत सरकार गारंटी बांड को जारी करने एवं आरबीआई द्वारा उसके सब्सक्रिप्शन के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के साथ समन्वयन करने में आईआईएफसी (यूके) की सहायता कर रहा है।

इस वर्ष के दौरान, आईपीएल को ब्यूरो की परिचालन आवश्यकताओं से संबंधित वित्तीय जांच और विश्लेषण करने के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ भी सूचीबद्ध किया गया। यह असाइनमेंट आईपीएल के लिए फोरेंसिक ऑडिट और अवैध धन के वित्तीय पता लगाने में एनसीबी जांच टीमों की सहायता करने का अवसर खोलता है।

आपकी कंपनी आगे भी राज्य/केन्द्र सरकार की परियोजनाओं के लिए वित्तीय संरचना के क्षेत्र में व्यावसायिक संभावनाओं का पता लगाने एवं बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कई निजी डेवलपर्स के साथ नेटवर्क बनाना जारी रखेगी। आईपीएल बुनियादी ढांचे और संबद्ध क्षेत्रों जैसे सिटी गैस वितरण, इलेक्ट्रिक वाहन, सड़कें, अपशिष्ट से ऊर्जा आदि के आगामी और विशिष्ट क्षेत्रों में फंडिंग और सिडिकेशन के अवसर भी तलाश रहा है।

आगे बढ़ते हुए आईपीएल ने पीएमयू और गैर-पीएमयू दोनों व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दो-आयामी

दृष्टिकोण अपनाने की योजना बनाई है। आईपीएल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के परियोजना जीवन चक्र में गतिविधियों और भूमिकाओं को निष्पादित करने के लिए की दिशा में भी आगे बढ़ेगा।

documentation of this transfer. As stated above, this assignment has opened doors for your Company to step into the strategic sector of Space. During the year, IPL bagged and completed another assignment of NSIL for drafting a Concept for them to establish an office in GIFT City which included Legal and Tax Feasibility. We would also like to inform that, based on successful and satisfactory execution of these assignments, IPL has been awarded another mandate by NSIL for providing Financial Advisory and Assistance towards Procurement of development partners for their Launch Vehicle Mark – 3 which is presently under execution.

Further, IPL has, over these years, developed prolonged relationship through repeat mandates from MDBs like **Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)**. IPL had earlier supported the Strategic Alliance between Global Infrastructure Basel Foundation (GIB) and GIZ to build a business case for “Sustainability Standards”, for assessing vulnerability of infrastructure projects to climate change and developed a detailed business case report covering the present scenario of climate change, its impact on infrastructure and various ESG aspects. This year, IPL successfully completed its mandate from ‘**Sustainability Infrastructure Alliance**’ (SIA), a global major in the area of ‘Sustainability in Infrastructure’, on promoting ‘SuRe®’ in India which are globally applicable ‘Sustainability Standards’ developed by SIA through its associate partners.

Further, IPL has also been working on its mandate from **South Pole, an implementation partner with Swiss Agency for Development and Co-operation (SDC)**, under the Capacity Building Project on Low Carbon and Climate Resilient City Development in India (CapaCITIES). The SDC is undertaking the program titled CapaCITIES Implementation (India) designed to focus on select cities in India to develop sustainable, resilient and climate sensitive infrastructure. It aims to strengthen the capacities of Indian cities, to identify, plan and implement measures for reducing greenhouse gas emissions and for enhancing resilience to climate change in an integrated manner. During the year, IPL has submitted a study on “Aggregated Organic waste to Bio CNG projects for municipalities and corporations of Tamil Nadu.” Twenty such projects are on the anvil for bidding and may be posed for funding by developers soon.

Financial Advisory

IPL continues to provide its services to **India Infrastructure Finance Company (UK) Ltd (IIFC (UK))** under ongoing Service Agreement. IPL has been entrusted as the agency for undertaking end to end secondary project appraisal and monitoring services by IIFC(UK) Limited incorporated with the Registrar of Companies of England and Wales at London to lend to Indian companies implementing infrastructure projects in India to co-finance their External Commercial Borrowings for such projects. IPL is presently managing a consolidated portfolio of infrastructure projects under harmonised list of around USD 1.25 Billion including assets refinanced as well as those undergoing Resolution under IBC with NCLAT.

The services provided have wide scope and covers secondary project financial appraisal, preparation of draft board memoranda, processing disbursement and modification requests and overall monitoring of projects on behalf of IIFC (UK). Besides above, IPL has also been assisting IIFC (UK) with regard to coordination with the Reserve Bank of India (RBI), various Ministries and Departments of the Government of India in respect of issuance of Government of India Guaranteed bonds by IIFC (UK) and subscription of same by RBI.

During this year, IPL also got empanelled with Narcotics Control Bureau as Financial Advisors for undertaking financial investigation and analysis related to operational requirements of the Bureau. This assignment opens an opportunity for IPL to assist the NCB investigation teams in forensic audit and financial tracing of illegal money.

Your Company further continues to explore business prospects in the area of financial structuring for State/ Central government(s) projects and to network with numerous private developers in the infrastructure space. IPL has also been exploring funding and syndication opportunities in upcoming and niche segments of infrastructure and allied sectors viz City Gas Distribution, Electric Vehicles, Roads, Waste to energy etc.

मानव संसाधन

आपकी कंपनी पूर्णतया ग्राहक एवं स्टैकहोल्डर की संतुष्टि पर विश्वास करती है और अपने व्यावसायिक प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रयासरत रहती है। आईपीएल में वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में एक लघु संरचना शामिल है जिसमें 21 सलाहकारों द्वारा समर्थित 12 अधिकारी और 5 अनुसंधान सहयोगी शामिल हैं जो परियोजना परामर्श और वित्तीय सलाहकार सेवाओं के कार्य करने के लिए अच्छी तरह से योग्य हैं।

मानव संसाधन विकास का प्रयास ऐसा संगठन बनाना है जो विभिन्न सौंपे गये कार्य की आवश्यकताओं को उचित तरीके से पूरा कर सकें जिसके लिए व्यवसाय की निरंतरता बनाए रखने के लिए नेतृत्व की पहचान करने तथा उसे पोषित करने पर बल दिया जाता है। संगठन निर्माण के प्रयासों में, आपकी कंपनी निरंतर अधिकारियों के प्रशिक्षण और उनके विकास तथा व्यवसाय के नए क्षेत्रों में काम के नजरिए से कौशल विकास में लगी है।

कंपनी के मानव संसाधन विकास के क्रम में, वर्ष के दौरान विभिन्न प्रयास किए गए जिनमें प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन शामिल था। विभिन्न सम्मेलनों, सेमिनार तथा बैठकों में भागीदारी के साथ ही कौशल को बढ़ावा देने के कार्य भी किए गए।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य अधिदेशों की समय पर शुरुआत सुनिश्चित की गई। इन योजनाओं के लिए कंपनी ने संविदात्मक आधार पर विशेषज्ञों की सेवाएं ली। इस सिद्धांत को लागू करते हुए आपकी कंपनी विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अधिदेशों के सफल निष्पादन के लिए अपने मानव संसाधन आधार को मजबूत करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले सलाहकारों के साथ काम कर रही है। ये प्रयास निरंतर सीखते रहने का वातावरण तैयार कर रहे हैं जिसका उद्देश्य प्रत्येक कर्मचारी का विकास और व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल करना है।

लेखापरीक्षक एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

मैसर्स चंदर प्रकाश एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ संलग्न हैं। सीएंडएजी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आईपीएल का पूरक ऑडिट नहीं करने का निर्णय लिया। लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई। ऑडिट रिपोर्ट और खाते पर टिप्पणियाँ स्व-व्याख्यात्मक हैं और किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

मैसर्स हरमीत सिंह एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

जमा

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है।

लाभांश

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए किसी लाभांश का प्रस्ताव नहीं किया है। आईपीएल के पत्र क्रमांक. आईपीएल/अकाउंट्स/2023–24/131 दिनांक 20 जून, 2023 ने आईआईएफसीएल के पूंजी संरक्षण और भविष्य के व्यापार विस्तार आवश्यकताओं के आधार पर 11 मई, 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में अनुमोदन के आधार पर लाभांश का भुगतान करने से छूट देने के लिए आईआईएफसीएल से संपर्क किया।

Going forward IPL plan to adopt two- pronged approach to ensure the focus on both PMU and Non-PMU businesses. IPL would position itself for performing activities and roles across project life cycle of infrastructure projects

HUMAN RESOURCES

Your Company truly believes in enabling Customer and Stakeholder satisfaction and strive towards excellence in all its business endeavors. IPL presently comprises a lean set up led by Chief Executive Officer and Deputy Chief Executive Officer along with 12 officers supported by 21 consultants, and 5 research associates, well qualified to undertake project consultancy and financial advisory services assignments.

The endeavors of human resource development include structuring the organization to appropriately address the needs of the various assignments, emphasizing on identification of and nurturing leadership planning for managing the business in perpetuity. Towards organization building, your company has been continually engaged in training and development of its officers, upgrading skills set with a view to undertake new areas of business.

In order to develop human resources of the Company, various initiative was taken during the year which includes imparting training/ workshops. Participation in various conferences, seminars and meetings for networking as well as skill upgradation was also undertaken.

In order to ensure timely execution of the mandates in the various diversified areas of infrastructure sector, the plans of the company have been to engage professional expertise on a contractual basis. Applying this principle, your Company is working with consultants with specific domain expertise to strengthen its human resource base for successful execution of the mandates received from various state governments. These efforts are directed towards building a continues learning environment in the organization aimed at facilitating the growth and personal achievement of all employees.

AUDITORS AND AUDITORS' REPORT

M/s. Chander Parkash & Co., Chartered Accountants, were appointed as Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2022-23 by the Office of the Comptroller and Auditor General of India.

The audited statement of accounts along with the report of Auditors is appended with comments of the Comptroller and Auditor General of India. C&AG decided not to carry out supplementary audit of IPL for F.Y. 2022-23. There is no qualification, reservation or adverse remark made by the Auditors in their report. There were no frauds reported by the Auditors of the Company. The Audit Report and notes on account are self-explanatory and needs no comment.

The provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 relating to submission of Secretarial Audit Report are not applicable to the Company.

M/s Harmeet Singh & Co., Chartered Accountants, have been appointed as Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2023-24 by the Office of the Comptroller and Auditor General of India.

DEPOSITS

The Company has not accepted any Deposits during the year; therefore, no disclosure is required.

DIVIDEND

The Company has not proposed any dividend for the financial year 2022-23. IPL vide letter no. IPL/Accounts/2023-24/131 dated June 20, 2023 approached IIFCL for exempting it from paying dividend based on approval of the Board in its meeting held on May 11, 2023 on the grounds of IIFCL's Capital preservation and future business expansion requirements.

आरक्षित

कंपनी किसी भी राशि को किसी आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव नहीं करती है और वर्ष के लिए लाभ की पूरी राशि 'प्रतिधारित आय' का हिस्सा बनती है।

सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी नहीं है।

कर्मचारियों के विवरण

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक नियम), 2014 के नियम 5 के प्रावधानों के संदर्भ में कर्मचारियों का ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है।

एंड एएस मानक

आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), 2015 (यहां के बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) में अधिसूचित की गई अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी, 2015 के अनुसरण में 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी एंड एएस को अपनाया है। आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के साथ 31 मार्च 2023 को समाप्त एंड एएस वित्तीय विवरणों को अनुमोदित किया है।

सचिवीय मानक

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सीमा तक सभी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के साथ पठित धारा 92(3) के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट www.iifclprojects.in पर उपलब्ध है और इसे वेबलिंग www.iifclprojects.in/annual-reports/ के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

बोर्ड की बैठकें

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड तथा बोर्ड की समितियों की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई थी जिनमें निदेशकों की सहभागिता वाली बैठक का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशकों का नाम	बोर्ड की बैठक में भाग लेने का विवरण				
	25 मई, 2022	15 जुलाई, 2022	सितम्बर 09, 2022	जनवरी 07, 2023	29 मार्च, 2023
पदमनाभन राजा जयशंकर	हां	हां	हां	हां	हां
पवन के. कुमार	हां	हां	हां	हां	हां
पलाश श्रीवास्तव	हां	हां	हां	हां	हां
गौरव कुमार	हां	हां	हां	हां	हां
शुभेन्दु मोइत्रा*	हां	हां	हां	—	—
राज कुमार रलहन*	—	—	—	—	हाँ

- श्री शुभेन्दु मोइत्रा (डीआईएन: 00041619), कंपनी के निदेशक ने 14 सितम्बर, 2022 से कंपनी के निदेशक पद से त्यागपत्र दिया है।
- श्री राज कुमार रलहन (डीआईएन: 06414501) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि को 3 फरवरी 2023 से कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

RESERVES

The Company do not propose to transfer any amount to any reserve and entire amount of profit for the year forms part of the 'Retained Earnings'.

DETAILS OF SUBSIDIARY/ JOINT VENTURES/ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint Venture and Associate Company in terms of the provisions of the Companies Act 2013.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

Your Company being a Government Company is not required to give particulars of employees in terms of provisions of Section 197(12) of the Companies Act, 2013 read with rule 5 the Companies (Appointment & Remuneration of Managerial Personnel Rules), 2014.

IND AS STANDARDS

Your Company had adopted IND AS with effect from 1st April, 2018 pursuant to notification dated February 15, 2015 under Section 133 of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as "The Act") issued by the Ministry of Corporate Affairs, notifying the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015. Your Company has approved IND AS Financials for the year ended March 31, 2023 along with comparable financials for the year ended March 31, 2022.

SECRETARIAL STANDARDS

During the year, your Company is in compliance with the applicable Secretarial Standard issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) to the extent applicable.

ANNUAL RETURN

Pursuant to the provisions of section 92 (3) read with section 134 (3) (a) of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, the Annual Return, for the Financial Year ended March 31, 2023 is available on the website of the Company i.e. www.iifclprojects.in and can be accessed through the web link - www.iifclprojects.in/annual-reports/

MEETINGS OF THE BOARD

During the financial year ended March 31, 2023, the following meetings of the Board were conducted, and the details of meetings attended by Directors.

Name of Directors	DETAILS OF BOARD MEETINGS ATTENDED				
	May 25, 2022	July 15, 2022	September 09, 2022	January 07, 2023	March 29, 2023
Padmanabhan Raja Jaishankar	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Pawan K Kumar	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Palash Srivastava	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Gaurav Kumar	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Subhendu Moitra*	Yes	Yes	Yes	-	-
Raj Kumar Ralhan*	-	-	-	-	Yes

- Mr. Subhendu Moitra (DIN: 00041619), Director of the Company, has resigned from the position of Director of the Company w.e.f. 14th September 2022
- Mr. Raj Kumar Ralhan (DIN: 06414501), representative of India Infrastructure Finance Company Limited was appointed as Nominee Director of the Company w.e.f. 3rd February 2023.

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

आपके निदेशकगण उल्लेख करते हैं कि:

- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं को तैयार करने के लिए लागू भारतीय लेखांकन मानकों के साथ पठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अधीन निर्धारित आवश्यकताओं का भौतिक प्रस्थान, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों को चुना है और उन्हें दृढ़ता से लागू किया है तथा उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन तैयार किए हैं ताकि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की सच्ची एवं सही स्थिति प्रस्तुत की जा सके और उक्त अवधि में कंपनी के लाभ का उल्लेख किया जा सके;
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप लेखाकरण के रिकार्ड का पर्याप्त रखरखाव करने और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को दूर करने के लिए समुचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है;
- निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए चालू प्रतिष्ठान आधार पर लेखाओं को तैयार किया गया है;
- निदेशकों द्वारा कंपनी के अनुपालनार्थ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और उक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा ये प्रभावी रूप से काम कर रहे थे;
- निदेशकों ने उचित कार्यप्रणाली तय की है ताकि सभी लागू कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और उक्त कार्यप्रणाली समुचित एवं प्रभावी ढंग से लागू हो।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव (दक्षता सहित) के संबंध में बोर्ड की राय के संबंध में बयान का प्रकटन कंपनी पर लागू नहीं है।

निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि, श्री राज कुमार रलहन (डीआईएन: 06414501) को 03 फरवरी 2023 से कंपनी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री शुभेन्दु मोइत्रा (डीआईएन: 00041619) ने व्यक्तिगत कारणों से 14 सितम्बर 2022 को कंपनी के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया है। बोर्ड ने कंपनी के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री मोइत्रा से प्राप्त अमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त की है।

निदेशक मंडल ने 29 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में श्री राजीव मुखीजा को 29 मार्च 2023 से कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्त किया।

वार्षिक आम बैठक में किए गए प्रावधान कि निदेशक रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने के पात्र होंगे, कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है।

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

Your Directors state that:

1. in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2023, the applicable Indian accounting standards read with the requirements set out under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015, have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
2. the directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year ended March 31, 2023, and of the profit of the Company for that period.
3. the directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
4. the directors have prepared the accounts for the financial year ended March 31, 2023, on a 'going concern' basis;
5. the directors had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
6. the directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS

The provisions of Section 149 of the Companies Act, 2013 pertaining to the appointment of Independent Directors do not apply to Company.

The Disclosure of a Statement regarding the opinion of the Board with regard to integrity, expertise and experience (including the proficiency) of the independent directors appointed during the year is not applicable to the company.

DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

During the financial year ended March 31, 2023, Mr. Raj Kumar Ralhan (DIN: 06414501), representative of India Infrastructure Finance Company Limited was appointed as Nominee Director of the Company w.e.f. 03 February 2023.

Mr. Subhendu Moitra (DIN: 00041619), Director of the Company, has resigned from the position of Director of the Company w.e.f. 14th September 2022 on account of personal reasons. The Board has placed on record its deep appreciation for the invaluable support and guidance received from Mr. Moitra during his association as a Director of the Company.

The Board of Directors at its meeting held on March 29 2023, appointed Mr. Rajeev Mukhija as the Chief Executive Officer (CEO) of the company w.e.f. March 29 2023.

The provisions relating to directors liable to retire by rotation at the Annual General Meeting is not applicable to the Company as the Company is a wholly owned subsidiary of India Infrastructure Finance Company Limited, a Government Company.

धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण जो निम्न के अलावा केंद्र सरकार को रिपोर्ट की जा सकती है

कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत निदेशक मंडल को किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी है जिसमें इसके तहत बनाए गए नियम भी शामिल हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसार अपना सीएसआर व्यय किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत स्वच्छ गंगा कोष में रु. 7,18,979 (सात लाख अठारह हजार नौ सौ उनासी रुपए) का योगदान दिया है। सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध ८ के रूप में संलग्न है।

धारा 186 के अनुसार ऋणों, गारंटियों या निवेशों के विवरण

कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से इतर लिए गए ऋणों के लिए कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है।

कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार कोई निवेश नहीं किया है।

जोखिम प्रबंधन

हमारी प्रबंधन प्रणालियाँ, संगठनात्मक संरचनाएँ, प्रक्रियाएँ, मानक और आचार संहिता मिलकर आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली बनाती हैं जो यह नियंत्रित करती हैं कि हम व्यवसाय कैसे संचालित करते हैं और संबंधित जोखिमों का प्रबंधन कैसे करते हैं।

व्यवसायों और कार्यों द्वारा पहचाने गए प्रमुख जोखिमों को समीक्षा समितियों, आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जैसी कम करने वाली कार्रवाइयों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से संबोधित किया जाता है जिनकी बोर्ड द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

धारा 188 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ सामान्य व्यवसाय के तौर पर और आसान पहुंच के आधार पर किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएं/लेनदेन की कोई कार्रवाई नहीं की है।

इसका विवरण निम्नानुसार है:

संबंधित पार्टी का नाम	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड			आईआईएफसी (यूके)	श्री पलाश श्रीवास्तव
अनुबंध/व्यवस्थाएं/लेनदेन की प्रकृति	किराया, पेन्ट्री, पार्किंग एवं कार्यालय रखरखाव	तैनात कर्मचारी के वेतन की प्रतिपूर्ति (प्राप्य)	सलाहकार सेवा शुल्क	सलाहकार सेवा शुल्क एवं प्रतिपूर्तियां	पारिश्रमिक
लेनदेन की राशि	रु. 99.89 लाख	रु. 66.80 लाख	रु. 8.34 लाख	रु. 207.66 लाख	रु. 54.00 लाख

वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले सापेक्ष बदलाव और प्रतिबद्धताएं

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई सापेक्ष बदलाव एवं प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

DETAILS IN RESPECT OF FRAUDS REPORTED BY AUDITORS UNDER SUB-SECTION (12) OF SECTION 143 OTHER THAN THOSE WHICH ARE REPORTABLE TO THE CENTRAL GOVERNMENT

The Statutory Auditors of the Company have not reported any frauds to the Board of Directors under section 143(12) of the Companies Act, 2013, including rules made thereunder.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

During the financial year ended March 31, 2023, the Company has undertaken its CSR expenditure as approved by the Board. The company is not required to constitute CSR Committee as per the provisions of the Companies Act, 2013.

During the financial year 2022-23, the Company has contributed Rs. 7,18,979 (Indian Rupees Seven Lakh Eighteen Thousand Nine Hundred Seventy-Nine) in the Clean Ganga Fund under National Mission for Clean Ganga. The annual report of the CSR activities is annexed as Annexure I.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS AS PER SECTION 186

The Company has not given loans or guarantees for loans taken by others from Banks and financial institutions.

The Company has not made any investment as per section 186 of the Companies Act, 2013.

RISK MANAGEMENT

Our management systems, organizational structures, processes, standards and code of conduct together form the system of internal controls that govern how we conduct business and manage associated risks.

Major risks identified by businesses and functions are systematically addressed through mitigating actions such as review committees, internal auditor's report which are reviewed by the Board periodically.

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES AS PER SECTION 188

All contracts/arrangements/transactions entered by the Company during the financial year with related parties were in the ordinary course of business and on an arm's length basis.

The details are as hereunder:

Name(s) of related party	India Infrastructure Finance Company Limited			IIFC (UK) Limited	Shri Palash Srivastava
Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Rent, Pantry, Parking & Office Maintenance	Reimbursement of Salaries of Deputed Employee (Receivable)	Advisory Service Fee	Advisory Service Fee and reimbursements	Remuneration
Amount of the transaction	Rs. 99.89 Lacs	Rs. 66.80 Lacs	Rs. 8.34 Lacs	Rs. 207.66 Lacs	Rs. 54.00 Lacs

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY AFFECTING THE FINANCIAL POSITION

No material changes and commitments affecting the financial position of the Company.

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाना, विदेशी विनिमय द्वारा आय एवं व्यय

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाने, विदेशी विनिमय द्वारा आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

ऊर्जा का संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी को अपनाना:

कंपनी को समाहित ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के संरक्षण संबंधी विवरण का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी कंपनी द्वारा कार्यालय परिसरों में ऊर्जा की खपत के संरक्षण के उपाय किए गए हैं।

विदेशी विनिमय द्वारा आय एवं व्यय:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी का विदेशी विनिमय अर्जन रु. 207.57 लाख है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय व्यय शून्य था।

नियामक या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं अतिआवश्यक आदेश, जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और भावी कार्यों को प्रभावित करते हैं

नियामक या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण एवं अतिआवश्यक आदेश पारित नहीं किए गए हैं जो कंपनी की वर्तमान स्थिति तथा भावी कार्यों को प्रभावित करते हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता

बही खातों और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आपकी कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उक्त नियंत्रणों की समीक्षा और परीक्षण किए गए थे जिनके लिए हमारे वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा एक अध्ययन किया गया था और उसकी टिप्पणियों को बोर्ड के समक्ष स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल किया गया था।

डिजाइन एवं आपरेषंस में कोई भौतिक कमी उजागर नहीं गई थी तथा रिपोर्ट में उल्लेख था कि 31 मार्च, 2023 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का कारण सहित विवरण

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने आज तक बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं लिया है और तदनुसार मूल्यांकन के संबंध में विवरण लागू नहीं हैं।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन दायर नहीं किया गया या कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।

राजभाषा

आपकी कंपनी कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO

The details of conservation of energy, technology absorption, foreign exchange earnings and outgo are as follows:

Conservation of energy and Technology absorption:

The Company is not required to disclose particulars relating to conservation of energy and technology absorption as your company does not undertake manufacturing activity. However, Company has taken adequate measures to conserve energy consumption in the office premises.

Foreign exchange earnings and Outgo:

During the year under review, the Company has Rs. 207.57 Lacs foreign exchange earnings.

The foreign currency outgo during the year under review was NIL.

SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATOR OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE

There are no significant and material orders passed by the regulator or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Your company has in place adequate internal financial controls with reference to closing of books of accounts and financial statements. During the year under review, such controls were reviewed and tested through a study conducted by our statutory auditor and the observations were incorporated as part of the Independent Auditor's Report placed before the Board.

There were no reportable material weakness in the design or operations and the report stated that internal financial controls were operating effectively as at March 31 2023.

THE DETAILS OF DIFFERENCE BETWEEN AMOUNT OF THE VALUATION DONE AT THE TIME OF ONE TIME SETTLEMENT AND THE VALUATION DONE WHILE TAKING LOAN FROM THE BANKS OR FINANCIAL INSTITUTIONS ALONG WITH THE REASONS THEREOF

IIFCL Projects Limited has not availed loans from Banks or Financial Institutions till date and accordingly details with regard to valuation are not applicable.

DISCLOSURE UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016

There were no applications filed or pending proceedings under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 during the financial year 2022-23.

OFFICIAL LANGUAGE

Your Company ensures compliance of Official Language Act, 1963 and Official Language Rules, 1976 and other guidelines issued every year by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs to promote the use of Official Language Hindi in the office.

सामान्य

आपके निदेशकों ने यह बताया है कि उन विभिन्न मदों के संबंध में कोई प्रकटन देने या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है जो केवल सूचीबद्ध कंपनियों अथवा वहां, जहां समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेनदेन न हुआ हो, पर लागू होती है।

इसके अलावा, आपके निदेशकों ने यह भी बताया है कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न (बचाव, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसरण में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाई गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है:

(क) वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	— शून्य
(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	— शून्य
(ग) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	— शून्य
(घ) वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या	— शून्य

आभार

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल भारत सरकार, राज्य सरकार और विशेष रूप से आईआईएफसीएल का उनकी ओर से कम्पनी के विकास एवं स्थापना में दी गई निरंतर सहायता एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और कम्पनी के लेखापरीक्षकों द्वारा दिये गये उनके मूल्यवान मार्गदर्शन एवं परामर्श के लिए उनका धन्यवाद करता है।

आपके निदेशकों ने कंपनी के बोर्ड के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की है जिसके मार्गदर्शन और बहुमूल्य निर्देशों से कम्पनी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है।

आपके निदेशकगण सभी स्तरों के कर्मचारियों के कठिन परिश्रम, निष्ठा, सषक्तगकरण और सहयोग के माध्यम से उनके योगदान की सराहना करते हैं।

कृते निदेशक मंडल की ओर से
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता./—

पी आर जयशंकर

निदेशक एवं अध्यक्ष

डीआईएन: 06711526

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 26.09.2023

GENERAL

Your Directors further state that no disclosure or reporting is required in respect of various items, which are only applicable to listed companies or where there were no transactions during the year under review.

Further, your Directors state that during the year under review, there were no cases filed pursuant to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

The following is a summary of sexual harassment complaints received and disposed of during the year:

(a) Number of complaints pending at the beginning of the year	- NIL
(b) Number of complaints received during the year	- NIL
(c) Number of complaints disposed-off during the year	- NIL
(d) Number of cases pending at the end of the year	- NIL

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors of your Company would like to place on record their sincere appreciation and gratitude to the Government of India, State Government and parent IIFCL for providing their continued support and cooperation in the growth of the Company. The Board is also thankful to the Comptroller and Auditor General of India and the Auditors of the Company for their valuable guidance and advice.

Your Directors place on record their sincere gratitude to the Board of the Company whose guidance and valuable direction will enable it to tread the path towards the objective.

Your Directors express their deep appreciation for the hard work and dedicated efforts put in by the employees at all levels and look forward to their continued contribution in achieving the mission and objective of the Company.

**For and on behalf of the Board of Directors
IIFCL PROJECTS LIMITED**

PR Jaishankar
Director and Chairman
DIN - 06711526

Place: New Delhi
Date: 26.09.2023

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुलग्नक I

1. **कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:** आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल) ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत समाज के प्रति अपना दायित्व निभाया है। चूंकि इसके व्यवसाय संचालन से लाभ का योगदान प्रारंभिक चरण में है, आईपीएल इस स्तर पर लागू अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीमित दायरे के साथ सीएसआर योगदान देना चाहता है। एक बार जब कंपनी की वित्तीय स्थिति आने वाले वर्षों में और सुदृढ़ हो जाएगी और संबंधित सीएसआर व्यय उच्च मूल्य तक पहुंच जाएगा तो कंपनी अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुरूप एक समर्पित सीएसआर नीति निर्धारित की जाएगी। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची टप्प, सीएसआर योगदान के उद्देश्य के लिए धन निर्दिष्ट करती है। तदनुसार, योगदान के छोटे पैमाने पर विचार करते हुए, आईपीएल निर्दिष्ट निधियों में प्रत्यक्ष योगदान के माध्यम से सीएसआर व्यय करता है जो सीएसआर व्यय के रूप में स्वीकार्य है।
2. **सीएसआर समिति की संरचना:** लागू नहीं
चूंकि सीएसआर पर कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है इसलिए सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है और ऐसे मामलों में सीएसआर समिति के कार्यों का निर्वहन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।
3. वेब-लिंक जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन कंपनी की वेबसाइट पर किया जाता है:
सीएसआर समिति की संरचना: एन/ए
सीएसआर नीति: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कार्यकलापों को निष्पादित करना।
सीएसआर परियोजनाएँ: राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत स्वच्छ गंगा कोष
4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश, यदि लागू हो: लागू नहीं
5. (क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: ₹. 3,59,48,936
(ख) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹. 7,18,979
(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य
(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (ख)(ग)-(घ): ₹. 7,18,979
6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा अन्य): ₹. 7,18,979
(ख) प्रशासनिक उपशीर्ष में खर्च की गई राशि: शून्य
(ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (क)+(ख)+(ग): ₹. 7,18,979
(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि: ₹. 7,18,979

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

Annexure I

1. **Brief outline on CSR policy of the Company:** IIFCL Projects Limited (IPL), has taken its obligation to society under its Corporate Social Responsibility (CSR). As the profit contribution from its business operations is at a nascent stage, IPL seeks to make the CSR contribution with a limited scope to ensure the applicable compliances at this stage. Once the financial strength of the Company is further established in coming years and the corresponding CSR expenditure reaches higher value, a dedicated CSR policy shall be laid down in line with the applicable provisions of the Companies Act. Schedule VII of the Companies Act 2013, specifies the funds for the purpose of CSR contribution. Accordingly, considering the small scale of contribution, IPL undertakes CSR expenditure through direct contribution in specified funds which is admissible as CSR expenditure.
2. **Composition of CSR Committee:** Not Applicable

Since the amount required to be spent by the company on CSR does not exceed fifty lakh rupees, the requirement for constitution of the CSR Committee is not mandatory and the functions of the CSR Committee, in such cases are being discharged by the Board of Directors of the company.
3. Web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the Board are disclosed on the website of the Company:

Composition of CSR Committee: N/A
CSR Policy: Undertaking the activities as specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013
CSR Projects: Clean Ganga Fund under National Mission for Clean Ganga
4. **Executive summary along with web-link(s) of Impact assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable:** Not applicable
5.
 - (a) **Average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135:** Rs. 3,59,48,936
 - (b) **Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135:** Rs. 7,18,979
 - (c) **Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years:** NIL
 - (d) **Amount required to be set-off for the financial year, if any:** NIL
 - (e) **Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)]:** Rs. 7,18,979
6.
 - (a) **Amount spent on CSR Projects (both ongoing project and other than ongoing project):** Rs. 7,18,979
 - (b) **Amount spent in administrative overheads:** NIL
 - (c) **Amount spent on Impact Assessment, if applicable:** Not applicable
 - (d) **Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)]:** Rs. 7,18,979
 - (e) **CSR amount spent or unspent for the Financial Year:** Rs. 7,18,979

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कुल व्यय राशि (रु.)	खर्च न की गई राशि (रु.)				
	धारा 135(6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
7,18,979	-	-	-	-	-

(च) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: शून्य

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु.)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	7,18,979
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	7,18,979
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत खर्च न की गई सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत खर्च न की गई सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची टप् के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो		शेष राशि जिसे अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च किया जायेगा (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रुपये में)	स्थानांतरण की तिथि		

								शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई या अर्जित की गई है: नहीं
9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें: नहीं

कृते निदेशक मंडल की ओर से
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता./-

पी आर जयशंकर
निदेशक एवं अध्यक्ष
डीआईएन: 06711526

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 26.09.2023

Total amount spent for the financial year 2022-23 (Rs.)	Amount Unspent (Rs.)				
	Total Amount transferred to unspent CSR Account as per section 135(6)		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5)		
	Amount	Date of transfer	Name of the fund	Amount	Date of transfer
7,18,979	-	-	-	-	-

(f) Excess amount for set off, if any: NIL

S. No.	Particulars	Amount (Rs.)
(i)	Two per cent of average net profit of the company as per section 135(5)	7,18,979
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	7,18,979
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	NIL
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	NIL
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	NIL

7. Details of unspent CSR amount for the preceding three financial years:

S. No.	Preceding financial year	Amount transferred to unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs.)	Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)	Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.)	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any		Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in Rs.)	Deficiency, if any
					Amount (in Rs.)	Date of transfer		

8. Whether any capital asset have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the financial year: No

9. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5): NA

**For and on behalf of the Board of Directors
IIFCL PROJECTS LIMITED**

**Sd/-
PR Jaishankar**
Director and Chairman
DIN - 06711526

Place: New Delhi
Date: 26.09.2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली ("कम्पनी") के संलग्न एंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक विवरण (यहां के बाद एंड एएस वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

राय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और हमें दी गई व्याख्या के अनुसरण में, उपरोक्त कथित एंड एएस वित्तीय विवरण अपेक्षित प्रक्रिया में कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों का पालन सहित 31 मार्च, 2023 को कम्पनी की वित्तीय स्थिति का एंड एएस और इसके वित्तीय कार्यप्रदर्शन, इसके नकदी प्रवाह विवरण और उस तिथि को वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानक (एसए) के अनुरूप हमारी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों पर हमारी जिम्मेदारी हमारी रिपोर्ट के *वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी* में आगे वर्णित की गई है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी के लिए स्वतंत्र हैं और हमने नैतिक संहिता की इन आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी अन्य सभी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाया है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु उचित एवं पर्याप्त हैं।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले ऐसे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। ये मामले पूर्णतः एंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में दिये गये थे और इन पर हमारी राय व्यक्त की गई है और हम इन मामलों पर कोई अलग राय नहीं देते हैं।

मामले पर जोर

यहां जोर देने वाला कोई मामला नहीं है।

अन्य जानकारी

कम्पनी का निदेशक मंडल अपनी रिपोर्ट (यहां के बाद "बोर्ड रिपोर्ट" के रूप में कहा गया है) को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है जिसमें बोर्ड रिपोर्ट के लिए संलग्न, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अंतर्गत अपेक्षित व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट सहित अन्य जानकारी शामिल है लेकिन उस पर इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF IIFCL PROJECTS LIMITED

REPORT ON THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS

OPINION

We have audited the accompanying Ind AS financial statements of **IIFCL PROJECTS LIMITED, New Delhi** ("the Company"), which comprise the balance sheet as at March 31, 2023, statement of Profit and Loss, statement of cash flows and the statement of changes in equity for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. (herein after referred to as Ind AS Financial statements)

OPINION

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the aforesaid Ind AS financial statements give the information required by the Companies Act 2013 ('Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India, including the Ind AS of the financial position of the company as at March 31, 2023 and, its financial performance, its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

BASIS FOR OPINION

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

KEY AUDIT MATTERS

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of Ind AS financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

EMPHASIS OF MATTER

There was no matter to be emphasized.

OTHER INFORMATION

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of its report (herein after called as "Board Report) which comprises various information included in the Board Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report required under section 134(3) of the Companies Act 2013 but does not include the Ind AS financial statement and our auditor's report thereon.

इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उन्हें प्रस्तुत करने के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित भारत में सामान्तया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यप्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्ड बनाए रखना और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, बुद्धिमता के लिए निर्णय एवं अनुमान और डिजाइन, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों का रखरखाव शामिल है जो लेखाकरण रिकार्ड की शुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालन में थे और इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतिरण के लिए संगत थे जो किसी भी भौतिक मिथ्या कथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि हो, से पूरी तरह मुक्त हैं और सही दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन कंपनी की चालूगत आधार पर अपनी क्षमता जारी रखने के लिए उसका आंकलन करने हेतु जिम्मेदार है और यह इस बात का खुलासा करता है कि जब तक प्रबंधन या तो कंपनी के परिसमापन या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, जैसा लागू हो, चालूगत आधार पर इंड एस वित्तीय विवरण तैयार करने में कोई वैकल्पिक उपाय नहीं हो।

इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बात पर उचित आश्वासन देना है कि इंड एस वित्तीय विवरण पूरी तरह से भौतिक मिथ्या कथन चाहे यह धोखाधड़ी हो या त्रुटि हो से मुक्त हो ओर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को जारी करने सहित अपनी राय व्यक्त करना है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप आयोजित किया गया ऑडिट हमेषा भौतिक मिथ्या कथन की पहचान करता है। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से आ सकता है और यदि व्यक्तिगत रूप से या औसत तरीके से विचार योग्य है जो इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता को आर्थिक निर्णय लेते समय प्रभावित करने का अनुमान हो सकता है।

लेखापरीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें राशि के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये जाते हैं और उनका हवाला भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में किया जाता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों के गलत विवरण देने के जोखिमों का आकलन भी शामिल होता है, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो। इन जोखिम आकलनों को तैयार करने में लेखापरीक्षक कंपनी के भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण तैयार करते समय अपेक्षित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करते समय सही एवं सुस्पष्ट स्थिति मिल सके, जो परिस्थितियों के अनुरूप हो, लेकिन इससे यह राय व्यक्त नहीं होती हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम है तथा उक्त नियंत्रणों की प्रभावकारिता जारी है। लेखापरीक्षा में लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा तैयार लेखा प्राक्कलनों की समुचितता के मूल्यांकन के साथ ही साथ भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त एवं उचित हैं जिससे भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा संबंधी राय के लिए एक आधार उपलब्ध होता है।

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT FOR THE IND AS FINANCIAL STATEMENTS

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation and presentation of these Ind AS financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Ind AS financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

AUDITOR'S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE IND AS FINANCIAL STATEMENTS

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Ind AS financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the Ind AS financial statements that give true and fair view, in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the Ind AS financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Ind AS financial statements.

विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित है, अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप-अनुच्छेद (11) के संदर्भ में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के क्रम में हमने पैरा 3 एवं 4 में लागू मामलों के विनिर्दिष्ट विवरण अनुबंध-1 में दिये हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(5) में अपेक्षित अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा की जांच के दौरान पाए गए क्षेत्रों को दर्शाने के दिशानिर्देश अनुबंध-ख में दिये गये हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित अनुसार हम रिपोर्ट देते हैं कि
 - क) हमें मांगी गई समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक मानी गई थी।
 - ख) हमारी राय में जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है, लेखा की समस्त बहियां कंपनी द्वारा रखी जाती हैं जैसा कि उक्त बहियों की जांच के दौरान हमें प्रतीत हुआ है।
 - ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं।
 - घ) हमारी राय में उपर्युक्त भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुच्छेद 133, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है, में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - ङ) सरकारी कंपनी होने के नाते भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जुलाई 2015 के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं है।
 - च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में और उक्त नियंत्रणों की संचलन प्रभावकारिता का उल्लेख अनुबंध-ग में हमारी अलग रिपोर्ट में है
 - छ) हमारी राय में और हमें दी गई समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार जहां तक अन्य मामलों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने के संबंध में हमारी रिपोर्ट है कि :
 1. कंपनी द्वारा अपने भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया गया है।
 2. कंपनी अमौलिक संविदाओं सहित कोई दीर्घावधि संविदाएं नहीं हैं। जिसके लिए कोई सापेक्ष नुकसान होने थे।
 3. आलोच्य वर्ष के दौरान कंपनी के लिए ऐसा कोई अवसर नहीं आया है कि किसी निवेशक का एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड की कोई राशि ट्रांसफर नहीं की गई है। उक्त राशियों के ट्रांसफर में देरी का, इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठता है।

कृते चन्दर प्रकाश एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण सं. 010770एन)

हस्ता /—
दिशांत खट्टर
साझेदार
(सदस्यता सं. 540382)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.05.2023
यूडीआईएन: 23540382BGRZAF6259

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

- 1 As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the "Annexure A", a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
- 2 As required by section 143(5) of the Act, Directions Indicating the areas to be examined during the course of audit, issued by the Comptroller & Auditor General of India, are annexed in "Annexure B".
- 3 As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement and, the statement of changes in equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - (d) In our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - (e) Being a Government Company, the provisions of Section 164(2) of the Companies Act 2013, are not applicable pursuant to the notification No. G.S.R. 463(E) dated 5th July, 2015 issued by Central Government of India.
 - (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C".
 - (g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position.
 - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For CHANDER PARKASH & CO
Chartered Accountants
(Firm Registration No.: 010770N)

Sd/-
DISHANT KHATTER
Partner
(Membership No.:540382)

Place: New Delhi
Date: 11.05.2023
UDIN: 23540382BGRZAF6259

“अनुबंध-क” स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सेवा में

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एस वित्तीय विवरणों पर कम्पनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध-क के क्रम में हम निम्नलिखित रिपोर्ट देते हैं:

क्र. सं.	निम्नलिखित पर टिप्पणी	निम्नलिखित मामले पर लेखापरीक्षकों की राय	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
(i)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	क) क्या कम्पनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रख रही है?	कम्पनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरणों को दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखा है।
		ख) क्या प्रबंधन द्वारा इन संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को उचित अंतराल के बाद भौतिक सत्यापन किया गया है; क्या ऐसे भौतिक सत्यापन के दौरान कोई भौतिक गड़बड़ी पाई गई और यदि हां तो क्या इसकी लेखा बहियों के साथ उचित तरीके से जांच की गई?	प्रबंधन द्वारा कुछ संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन किया गया है जो कि हमारी राय में कम्पनी के आकार एवं प्रकार तथा इसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उचित है। बहियों के रिकार्ड और भौतिक संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के बीच किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं देखी गई है।
		ग) क्या अचल संपत्तियों का हक विलेख कम्पनी के नाम पर है, यदि नहीं तो इसका पूरा विवरण दें।	अचल संपत्तियों का हक विलेख कम्पनी के नाम पर धारित है।
		घ) क्या कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (संपत्ति के उपयोग अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन किया है और यदि हां तो क्या पुनर्मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया है, यदि संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण या अमूर्त परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग का निवल वहन योग्य मूल्य के औसत का 10 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो परिवर्तन की राशि निर्दिष्ट करें?	कम्पनी के वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (परिसंपत्तियों के उपयोग अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
		ङ) क्या बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कम्पनी के खिलाफ बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई है या लंबित है, यदि हां तो क्या कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में इसका उचित प्रकटन किया है?	बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रारंभया लंबित नहीं है।

“ANNEXURE A” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S

With reference to the Annexure A referred to in the Independent Auditor’s Report to the members of the Company on the Ind AS financial statements for the year ended March 31, 2023, we report the following:

Sl. No.	Comment Required on	Auditor’s Opinion on Following Matter	Auditor’s Remark
(i)	Property, Plant and Equipment	a) Whether the company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment?	The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.
		b) Whether these Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management at reasonable intervals; whether any material discrepancies were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of accounts?	Some of the Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management during the year with a regular programme of verification, which in our opinion, is reasonable having regard to the size of the company and nature of its business. No material discrepancies between the books records and the physical Property, Plant and Equipment have been noticed.
		c) Whether the title deeds of immovable properties are held in the name of the company? If not, provide the details thereof.	The title deeds of immovable properties are held in the name of the company.
		(d) whether the company has revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both during the year and, if so, whether the revaluation is based on the valuation by a Registered Valuer; specify the amount of change, if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of Property, Plant and Equipment or intangible assets?	The Company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both during the year.
		(e) whether any proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder, if so, whether the company has appropriately disclosed the details in its financial statements?	There are no proceedings initiated or pending against the Company for holding any benami property under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 and rules made thereunder.

क्र. सं.	निम्नलिखित पर टिप्पणी	निम्नलिखित मामले पर लेखापरीक्षकों की राय	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
(ii)	मालसूची	क) क्या प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर मालसूची का भौतिक सत्यापन किया गया है और क्या लेखापरीक्षक की राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज एवं प्रक्रिया उचित है; क्या मालसूची की प्रत्येक श्रेणी के लिए कुल योग में 10 प्रतिशत य उससे अधिक की कोई विसंगति देखी गई थी और यदि हां तो क्या उन्हें बही खातों में ठीक से दर्शाया गया है?	तदनुसार, वर्ष के दौरान कोई भौतिक मालसूची धारित नहीं की गई । इस प्रकार कंपनी पर आदेश का पैराग्राफ 3(ii)(क) लागू नहीं है ।
		(ख) क्या वर्ष के किसी भी समय के दौरान कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है; क्या कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल तिमाही रिटर्न या विवरण कंपनी के बही खातों से मेल खाते हैं यदि नहीं तो विवरण दें?	कंपनी को वर्ष के किसी भी समय चालू संपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से कुल पांच करोड़ रुपए से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है । तदनुसार कंपनी पर आदेश का पैराग्राफ 3(ii)(ख) लागू नहीं है ।
(iii)	कंपनी द्वारा दिया गया ऋण	क्या वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई निवेश किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारी या किसी अन्य पार्टियों को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है?	कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारी या किसी अन्य पार्टियों को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है । इसलिए खंड (iii) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) एवं (च) लागू नहीं हैं ।
(iv)	कंपनी द्वारा ऋण एवं निवेश	ऋण, निवेश, गारंटी एवं सुरक्षा के संबंध में क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है । यदि नहीं तो उसका विवरण दें ।	हमारी राय में कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी एवं सुरक्षा देने के लिए ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान लागू होंगे । इस प्रकार यह खंड लागू नहीं है ।

Sl. No.	Comment Required on	Auditor's Opinion on Following Matter	Auditor's Remark
(ii)	Inventory	(a) whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and whether, in the opinion of the auditor, the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate; whether any discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed and if so, whether they have been properly dealt with in the books of account?	The nature of business of the company is in a service sector. Accordingly, it does not hold any physical inventory during the year. Thus, this paragraph 3(ii)(a) of the Order is not applicable to the Company.
		(b) whether during any point of time of the year, the company has been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets; whether the quarterly returns or statements filed by the company with such banks or financial institutions are in agreement with the books of account of the Company, if not, give details?	The Company has not been sanctioned any working capital limits in excess of five crore rupees in aggregate from banks and financial institutions on the basis of security of current assets at any point of time of the year. Accordingly, clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable to the Company.
(iii)	Loan given by Company	Whether during the year the company has made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties?	The company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Therefore, clause (iii) (a),(b), (c), (d), (e) and (f) are not applicable.
(iv)	Loans and investments by the company	In respect of loans, investments, guarantees, and security whether provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with. If not, provide the details thereof.	In our opinion, the company has not entered into any such transaction for giving loans, investments, guarantees, and security that the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 shall apply. Thus, the clause isn't applicable.

क्र. सं.	निम्नलिखित पर टिप्पणी	निम्नलिखित मामले पर लेखापरीक्षकों की राय	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
(v)	जमा	कंपनी द्वारा स्वीकार की गई जमाराशियों या राशियों के संबंध में जिन्हें जमा माना जाता है, चाहे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम, जहां लागू हो, का अनुपालन किया गया है, यदि नहीं तो ऐसे उल्लंघनों की प्रकृति बताई जाए; यदि कंपनी विधि बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अदालत या किसी अन्य अधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, तो उसका अनुपालन किया गया है या नहीं?	कंपनी ने ऐसा कोई जमा या राशि स्वीकार की है जिसे जनता से जमा माना जाता है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(v) लागू नहीं है।
(vi)	लागत लेखांकन रिकार्ड	क्या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा लागत रिकार्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट किया गया है और क्या ऐसे खातों और रिकार्ड को तैयार एवं बनाए रखा गया है?	कंपनी पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा लागत रिकार्ड के रखरखाव करने का नियम लागू नहीं होता है।
(vii)	सांविधिक अनुपालन	क) क्या कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य सहित अविवादित सांविधिक बकाया को उपयुक्त प्राधिकरणों को वैधानिक देय राशि नियमित रूप से जमा कर रही है; यदि नहीं तो संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन के रूप में बकाया वैधानिक देय राशि की सीमा उनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए वर्णित की जाएगी?	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और बही खातों एवं अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर एवं कोई अन्य वैधानिक बकाया को उपयुक्त प्राधिकरणों के पास जमा कर रही है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च 2023 को देय होने की तिथि से छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं थी।
		ख) जहां किसी विवाद के कारण आयकर या बिक्रीकर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर का बकाया जमा नहीं किया गया है तो इसमें शामिल राशि और विवाद लंबित फोरम का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर से संबंधित किसी विवाद के कारण कोई बकाया नहीं है।

Sl. No.	Comment Required on	Auditor's Opinion on Following Matter	Auditor's Remark
(v)	Deposits	In respect of deposits accepted by the company or amounts which are deemed to be deposits, whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act and the rules made thereunder, where applicable, have been complied with, if not, the nature of such contraventions be stated; if an order has been passed by Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal, whether the same has been complied with or not?	The Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits from the public. Accordingly, clause 3(v) of the Order is not applicable to the Company.
(vi)	Cost Accounting Records	Whether maintenance of cost records has been specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013 and whether such accounts and records have been so made and maintained?	The Company is not required to maintain cost records pursuant to the Rules made by the Central Government for the maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013.
(vii)	Statutory Compliance	a) Whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income tax, sales-tax, service tax, Goods and Service Tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities and if not, the extent of the arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable, shall be indicated?	According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, and records, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-Tax, Sales tax, Service Tax, Goods and Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value added Tax, Cess and any other statutory dues with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of the above were in arrears as at March 31, 2023 for a period of more than six months from the date on when they become payable.
		b) Where dues of income tax or sales tax or service tax or duty of customs or duty of excise or value added tax have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned.	According to the information and explanation given to us, there are no dues of income tax, sales tax, service tax, Goods and Service Tax, duty of customs, duty of excise, value added tax outstanding on account of any dispute.

क्र. सं.	निम्नलिखित पर टिप्पणी	निम्नलिखित मामले पर लेखापरीक्षकों की राय	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
(viii)	लेनदेन रिकार्ड नहीं किए गए	क्या बही खातों में दर्ज न किए गए किसी भी लेनदेन को आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया है; यदि हां तो क्या वर्ष के दौरान बही खातों में दर्ज न की गई आय का ठीक से उल्लेख किया गया है?	कंपनी ने वर्ष के दौरान आय के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारण में बही खातों में आय के रूप में पूर्व में दर्ज न किए गए किसी भी लेनदेन को सरेंडर या खुलासा नहीं किया है।
(ix)	ऋण का पुनर्भुगतान	क) क्या कंपनी ने ऋणों या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी ऋणदाता को उस पर ब्याज के भुगतान में चूक की है, यदि हां तो चूक की राशि एवं अवधि का उल्लेख करें?	कंपनी ने ऋणों या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी ऋणदाता को उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
		ख) क्या कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर के रूप में घोषित किया गया है?	कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी सरकारी या सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर के रूप में घोषित नहीं किया गया है।
		ग) क्या सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए लागू किया गया था जिसके लिए ऋण प्राप्त किया गया था, यदि नहीं तो इस प्रकार डायवर्ट किए गए ऋण की राशि और उसका किसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया, इसकी सूचना दी जा सकती है।	कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई सावधि जमा नहीं लिया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(ix)(ग) लागू नहीं है।
		घ) क्या अल्पावधि के आधार पर जुटाई गई निधियों का उपयोग दीर्घावधि प्रयोजनों के लिए किया गया है, यदि हां तो इसकी प्रकृति और राशि का उल्लेख किया जाए?	कंपनी द्वारा किसी भी अल्पावधि निधि को दीर्घावधि प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।
		ड) क्या कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति से कोई धन लिया है, यदि हां तो ऐसे लेनदेन की प्रकृति और प्रत्येक मामले में राशि का विवरण दें?	कंपनी ने किसी भी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों में ऐसा कोई निवेश नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(ix)(ड) लागू नहीं है।
		च) क्या कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण लिया है, यदि हां तो उसका विवरण दें और यह भी उल्लेख करें कि क्या कंपनी ने ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है?	कंपनी ने किसी भी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों में ऐसा कोई निवेश नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(ix)(च) लागू नहीं है।

Sl. No.	Comment Required on	Auditor's Opinion on Following Matter	Auditor's Remark
(viii)	Transactions not recorded	whether any transactions not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), if so, whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of account during the year?	The Company has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded as income in the books of account, in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 as income during the year.
(ix)	Repayment of Loan	(a) whether the company has defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender, if yes, the period and the amount of default?	The company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender.
		(b) whether the company is a declared wilful defaulter by any bank or financial institution or other lender?	The Company has not been declared a wilful defaulter by any bank or financial institution or government or government authority.
		(c) whether term loans were applied for the purpose for which the loans were obtained; if not, the amount of loan so diverted and the purpose for which it is used may be reported?	The Company has not taken any term loans from any lender. Accordingly, clause 3(ix)(c) of the Order is not applicable to the Company.
		(d) whether funds raised on short term basis have been utilised for long term purposes, if yes, the nature and amount to be indicated?	No funds raised on short-term basis have been used for long-term purposes by the Company.
		(e) whether the company has taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures, if so, details thereof with nature of such transactions and the amount in each case?	The company does not hold any investment in any subsidiaries, associates or joint ventures. Accordingly, clause 3(ix)(e) of the Order is not applicable to the Company.
		(f) whether the company has raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies, if so, give details thereof and also report if the company has defaulted in repayment of such loans raised?	The company does not hold any investment in any subsidiaries, associates, or joint ventures. Accordingly, clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable to the Company.

क्र. सं.	निम्नलिखित पर टिप्पणी	निम्नलिखित मामले पर लेखापरीक्षकों की राय	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
(x)	आईपीओ एवं आगे पब्लिक ऑफर का उपयोग एवं प्रीफरेंशियल इश्यू का प्राइवेट प्लेसमेंट	क) क्या वर्ष के दौरान आरंभिक पब्लिक ऑफर या आगे के पब्लिक ऑफर (ऋण इंस्ट्रूमेंट सहित) के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को उन उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था जिसके लिए उन्हें लिया गया था, यदि नहीं तो देरी या चूक और बाद में सुधार के साथ विवरण, यदि कोई हो, के रूप में लागू हो सकता है, को सूचित किया जाए?	कंपनी ने आरंभिक पब्लिक ऑफर या आगे के पब्लिक ऑफर (ऋण इंस्ट्रूमेंट सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(ग)(क) लागू नहीं है।
		ख) क्या कंपनी ने वर्ष के दौरान शयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट किया है और यदि हां तो क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है और जुटाई गई धनराशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया है जिसके लिए धन जुटाया गया था, यदि नहीं तो शामिल राशि और गैर-अनुपालन की प्रकृति के संबंध में विवरण प्रदान करें?	कंपनी ने वर्ष के दौरान शयरों का प्रीफरेंशियल आबंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(ग)(ख) लागू नहीं है।
(xi)	धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग	क) क्या वर्ष के दौरान कंपनी या कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी की गई है? यदि हां तो उसकी प्रवृत्ति एवं शामिल राशि का विवरण दें?	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान ऐसी कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है।
		ख) क्या कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा फॉर्म एडीटी-4 में कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के तहत केन्द्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दायर की गई है?	कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा फॉर्म एडीटी-4 में कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के तहत केन्द्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।
		ग) क्या लेखापरीक्षकों ने वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हीसल-ब्लोअर शिकायत, यदि कोई हो, पर विचार किया है?	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई व्हीसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं की गई है।
(xii)	निधि कंपनी-जमा का अनुपालन	क्या निधि कंपनी ने देयता को पूरा करने के लिए 1:20 के अनुपात में जमाओं के लिए निवल स्वामित्व वाली निधि का अनुपालन किया है और क्या निधि कंपनी निधि नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट दस प्रतिशत बिना भारिता वाली सावधि जमाओं को पूरा करने के लिए देयता रख रहीं है।	जानकारी एवं हमारे पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(xii) लागू नहीं है।

Sl. No.	Comment Required on	Auditor's Opinion on Following Matter	Auditor's Remark
(x)	Utilisation of IPO and further Public Offer and Private Placement of Preferential Issues	a) whether moneys raised by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year were applied for the purposes for which those are raised, if not, the details together with delays or default and subsequent rectification, if any, as may be applicable, be reported?	The company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments). Accordingly, clause 3(x) (a) of the Order is not applicable to the Company.
		(b) whether the company has made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year and if so, whether the requirements of section 42 and section 62 of the Companies Act, 2013 have been complied with and the funds raised have been used for the purposes for which the funds were raised, if not, provide details in respect of amount involved and nature of non-compliance	The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, clause 3(x)(b) of the Order is not applicable to the Company.
(xi)	Fraud Reporting	(a) Whether any fraud by the company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year? If yes, the nature and the amount involved is to be indicated;	Based on our audit procedures and the information and explanation made available to us no such fraud noticed or reported during the year.
		(b) whether any report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government?	No report under sub-section (12) of Section 143 of the Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government.
		(c) whether the auditor has considered whistle-blower complaints, if any, received during the year by the company?	No whistle blower complaints received by the Company during the year.
(xii)	Nidhi Company - Compliance with Deposits	Whether the Nidhi Company has complied with the Net Owned Funds to Deposits in the ratio of 1:20 to meet out the liability and whether the Nidhi Company is maintaining ten per cent unencumbered term deposits as specified in the Nidhi Rules, 2014 to meet out the liability. whether there has been any default in payment of interest on deposits or repayment thereof for any period and if so, the details thereof ?	As per information and records available with us the company is not a Nidhi Company. Accordingly, clause 3(xii) of the Order is not applicable to the Company.

क्र. सं.	निम्नलिखित पर टिप्पणी	निम्नलिखित मामले पर लेखापरीक्षकों की राय	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
(xiii)	संबंधित पार्टी लेनदेन	क्या संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188, जहां लागू हो, के अनुपालन में किये गये हैं और लागू लेखाकरण नीतियों द्वारा अपेक्षित अनुसार वित्तीय विवरण आदि में इसको प्रकटित किया गया है?	संबंधित पार्टी के साथ सभी लेनदेन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188, जहां लागू हो, के अनुपालन में किये गये हैं और लागू लेखाकरण नीतियों द्वारा अपेक्षित अनुसार इंड एएस वित्तीय विवरण आदि में इसको प्रकटित किया गया है।
(xiv)	आंतरिक लेखापरीक्षा	क) क्या कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुसार एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है?	हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुसार एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
		ख) क्या लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विचार किया गया था?	हां, कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विचार किया गया था।
(xv)	गैर-नकदी लेनदेन	क्या कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन किया है और यदि हां तो क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है?	निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(xv) लागू नहीं है इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
(xvi)	आरबीआई के साथ पंजीकरण	क) क्या कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकरण कराना है यदि हां तो क्या पंजीकरण कराया गया है?	हमारी राय में कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार आदेश का खंड 3 (xvi)(क) कम्पनी पर लागू नहीं है इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की जाती है।
		ख) क्या कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त कार्यकलाप संचालित की हैं?	कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त कार्यकलाप संचालित नहीं किये हैं। तदनुसार आदेश का खंड 3 (xvi)(ख) कम्पनी पर लागू नहीं है।
		ग) क्या कंपनी एक मुख्य निवेश कंपनी (सीआईसी) है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, यदि हां तो क्या यह सीआईसी मानदंडों को पूरा करना जारी रखता है और यदि कंपनी एक छूट प्राप्त या अपंजीकृत सीआईसी है तो क्या ऐसे मानदंडों को पूरा करना जारी रखती है?	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित अनुसार कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार आदेश का खंड 3 (xvi)(ग) कम्पनी पर लागू नहीं है।

Sl. No.	Comment Required on	Auditor's Opinion on Following Matter	Auditor's Remark
(xiii)	Related Party Transactions	Whether all transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the Financial Statements etc., as required by the applicable accounting standards?	Yes, all transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the Financial Statements etc., as required by the applicable accounting standards.
(xiv)	Internal Audit	(a) whether the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business?	In our opinion, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.
		(b) whether the reports of the Internal Auditors for the period under audit were considered by the statutory auditor.	Yes, thereports of the Internal Auditor of the Company were considered by the statutory auditor.
(xv)	Non-Cash Transactions	Whether the company has entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him and if so, whether the provisions of section 192 of Companies Act, 2013 have been complied with?	Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, the provisions of clause 3 (xv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.
(xvi)	Registration from RBI	(a) whether the company is required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and if so, whether the registration has been obtained?	The company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and accordingly, the provisions of clause 3 (xvi)(a) of the Order is not applicable to the Company.
		(b) whether the company has conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities without a valid Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act, 1934?	The Company has not conducted non-banking financial or housing finance activities during the year. Accordingly, the reporting under clause 3(xvi)(b) of the Order is not applicable to the Company.
		(c) whether the company is a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India, if so, whether it continues to fulfil the criteria of a CIC, and in case the company is an exempted or unregistered CIC, whether it continues to fulfil such criteria?	The Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. Accordingly, clause 3(xvi)(c) of the Order is not applicable to the Company.

क्र. सं.	निम्नलिखित पर टिप्पणी	निम्नलिखित मामले पर लेखापरीक्षकों की राय	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
		घ) क्या समूह के हिस्से के रूप में एक से अधिक सीआईसी हैं, यदि हां तो उन सीआईसी की संख्या बताएं जो समूह का हिस्सा हैं?	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार समूह (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 के प्रावधानों के अनुसार) के पास कोई सीआईसी नहीं है।
(xvii)	नकदी हानियां	क्या कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हुआ है, यदि हां तो नकद हानियों की राशि बताएं?	कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।
(xviii)	सांविधिक लेखापरीक्षकों का त्यागपत्र	क्या वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र दिया गया है, यदि हां तो क्या लेखापरीक्षक ने निवर्तमान लेखापरीक्षकों द्वारा उठाए गए मुद्दों, आपत्तियों या चिंताओं पर विचार किया है?	वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है और तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड (xviii) लागू नहीं है।
(xix)	वित्तीय अनुपात	वित्तीय अनुपातों के आधार पर, एजिंग और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के लेखापरीक्षक का ज्ञान, क्या लेखापरीक्षक की राय है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई अनिश्चितता नहीं है कि कंपनी तुलनपत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है और जब वे तुलनपत्र की तिथि से एक वर्ष के भीतर आती हैं?	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथि और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिसके कारण हमें विश्वास हो गया है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को कोई भी सामग्री अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तुलनपत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर तुलनपत्र देय होने पर हालांकि हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे वर्णित करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि कंपनी में जब वे देय होते हैं तब तुलनपत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा।

Sl. No.	Comment Required on	Auditor's Opinion on Following Matter	Auditor's Remark
		(d) whether the Group has more than one CIC as part of the Group, if yes, indicate the number of CICs which are part of the Group?	According to the information and explanations provided to us the Group (as per the provisions of the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) does not have any CIC.
(xvii)	Cash Losses	whether the company has incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year, if so, state the amount of cash losses?	The Company has not incurred any cash losses in the financial year or in the immediately preceding financial year.
(xviii)	Resignation of Statutory Auditors	whether there has been any resignation of the statutory auditors during the year, if so, whether the auditor has taken into consideration the issues, objections or concerns raised by the outgoing auditors?	There has been no resignation of the statutory auditors during the year and accordingly, the Clause (xviii) of the order is not applicable to the company.
(xix)	Financial Ratios	On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, the auditor's knowledge of the Board of Directors and management plans, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date?	According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

क्र. सं.	निम्नलिखित पर टिप्पणी	निम्नलिखित मामले पर लेखापरीक्षकों की राय	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
(XX)	खर्च न की गई राशि का स्थानांतरण	क) क्या चल रही परियोजनाओं के अलावा, कंपनी ने कथित अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम की अनुसूची-7 में निर्दिष्ट निधि में खर्च न की गई राशि को स्थानांतरित कर दिया है?	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(xx)(क) लागू नहीं है।
		क) क्या चल रही परियोजनाओं के अलावा, कंपनी ने कथित अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत खर्च न की गई शेष राशि को विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है?	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(xx)(ख) लागू नहीं है।

कृते चन्दर प्रकाश एंड कं.
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 (फर्म पंजीकरण सं. 010770एन)

हस्ता / -
 दिशांत खट्टर
 साझेदार
 (सदस्यता सं. 540382)

स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 11.05.2023
 यूडीआईएन: 23540382BGRZAF6259

Sl. No.	Comment Required on	Auditor's Opinion on Following Matter	Auditor's Remark
(xx)	Transfer of Unspent amount	(a) whether, in respect of other than ongoing projects, the company has transferred unspent amount to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act within a period of six months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of section 135 of the said Act?	According to the information and explanations given to us, the provisions of Section 135 of Companies Act 2013 are not applicable to the company. Accordingly, the clause 3(xx)(a) of the Order is not applicable to the company.
		(b) whether any amount remaining unspent under sub-section (5) of section 135 of the Companies Act, pursuant to any ongoing project, has been transferred to special account in compliance with the provision of sub-section (6) of section 135 of the said Act?	According to the information and explanations given to us, the provisions of Section 135 of Companies Act 2013 are not applicable to the company. Accordingly, the clause 3(xx)(a) of the Order is not applicable to the company.

For CHANDER PARKASH & CO
Chartered Accountants
(Firm Registration No.: 010770N)

Sd/-
DISHANT KHATTER
Partner
(Membership No.:540382)

Place: New Delhi
Date: 11.05.2023
UDIN: 23540382BGRZAF6259

“अनुबंध-ख” स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सेवा में

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लि. के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश

क्र. सं.	निर्देश	रिपोर्ट	लेखाओं पर प्रभाव और इंड एस वित्तीय विवरण
1	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाकरण लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हां तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखाकरण लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ बहियों की इंटीग्रिटी पर प्रभाव, यदि कोई हो, वर्णित किया जा सकता है।	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखाकरण लेनदेनों को प्रोसेस करने का सिस्टम है। हमारी लेखापरीक्षा और हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्या के अनुसार आईटी सिस्टम के बाहर कोई भी लेखाकरण लेनदेन संसाधित/सम्पादित नहीं किया गया है। तदनुसार लेखाओं की इंटीग्रिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।	शून्य
2.	क्या वर्तमान ऋण या ऋण के पुनर्भुगतान के लिए कम्पनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा उधार/ऋण/ब्याज आदि पर कोई छूट दी गई/बट्टे खाते डाला गया है? यदि हां तो वित्तीय प्रभाव का विवरण दें। क्या ऐसे मामलों की सही से गणना की गई है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए भी लागू होता है)	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। अतः यह लागू नहीं है।	शून्य
3.	क्या केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विषिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियम एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर वस्त्र मंत्रालय से राजस्व अनुदान के रूप में रु. 35,00,000 को लेखा बहियों में इसके नियम व शर्तों के अनुसार उचित रूप से दर्ज किया गया है।	शून्य

कृते चन्दर प्रकाश एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण सं. 010770एन)

हस्ता/—
दिशांत खट्टर
साझेदार
(सदस्यता सं. 540382)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.05.2023
यूडीआईएन: 23540382BGRZAF6259

“ANNEXURE B” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

Directions under section 143(5) of Companies Act 2013 and as per the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India on financials of M/s IIFCL PROJECTS LTD for the financial year ended 31st March 2023.

S. No.	Directions	Report	Impact on Accounts and Ind AS financial statements
1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated. –	As per the information and explanation given to us, the company has a system in place to process all accounting transactions through IT system. Based on the audit procedures carried out and as per the information and explanations given to us no accounting transactions have been processed/ carried out outside the IT system. Accordingly, there are no implications on the integrity of the accounts.	Nil
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company’s inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government Company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender Company)	As per the information and explanation given to us the company has not taken any loans. Hence, not applicable.	Nil
3.	Whether funds received/receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation	As per the information and explanation given to us and based on the audit procedures carried out, No such funds received/ receivable for specific schemes from central/ state agencies during the year. Hence, not applicable.	Nil

For CHANDER PARKASH & CO
Chartered Accountants
(Firm Registration No.: 010770N)

Sd/-
DISHANT KHATTER
Partner
(Membership No.:540382)

Place: New Delhi
Date: 11.05.2023
UDIN: 23540382BGRZAF6259

“अनुबंध-ग” स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सेवा में

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) के अनुच्छेद 143 के उप-अनुच्छेद 3 की धारा (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 को आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबद्ध हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन उन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तय करने और उनके रखरखाव का जिम्मेदार है जो कंपनी द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदण्ड के आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिग्दर्शी टिप्पणी में आंतरिक नियंत्रण का अनिवार्य अंग मानते हुए कंपनी द्वारा उस पर विचार किया गया है।

इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त माने जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है, जो प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे ताकि इसके बिजनेस को सही रूप में और कुशलतापूर्वक चलाना सुनिश्चित करने के साथ ही कंपनी की नीतियों का पालन हो सके, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा हो सके, धोखघड़ी तथा त्रुटियों का पता लगाया तथा उन्हें दूर किया जा सके, लेखा रिकार्ड सटीक तथा पूर्ण हो सकें, विश्वसनीय वित्तीय जानकारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में अपेक्षित है, समय से तैयार हो सके।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपनी राय व्यक्त करना है हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शी टिप्पणी) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षा की मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुरूप अपनी लेखापरीक्षा की है और लेखापरीक्षा के मानक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए हैं तथा जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए इस प्रकार लागू है कि दोनों मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं तथा दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं उक्त मानक तथा अपेक्षित मार्गदर्शी टिप्पणी का हमने अनिवार्य अपेक्षा और योजना के साथ अनुपालन किया है तथा यह समुचित आश्वासन पाने के लिए लेखापरीक्षा की है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और उसे बनाए रखा गया था और क्या हर तरह से उक्त नियंत्रण प्रभावी ढंग से संचालित था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रभाविता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाओं का पालन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की जानकारी प्राप्त करना शामिल है जिसमें एक सापेक्ष रूप से मौजूदा कमजोरी के जोखिम का आकलन और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन की प्रभाविता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों में दी गई सामग्री की गलतबयानी के जोखिमों के आकलन पर भी आधारित होती है, चाहे वे विवरण धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि के कारण दिए गए हों।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण किसी कंपनी की एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराने तथा बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की गई है, जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कंपनी की वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो

“ANNEXURE – C” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of IIFCL PROJECTS LIMITED (“the Company”) as of March 31, 2023 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Company’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (‘ICAI’).

These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company’s internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company’s internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company’s internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

- (1) रिकार्डों के रखरखाव के संबंध में होती हैं, जो समुचित विवरण लिए, कंपनी की परिसंपत्तियों के ट्रांजेक्शंस और अवस्थिति की सटीक और सही स्थिति दर्शाती हैं,
- (2) उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराती हैं कि ट्रांजेक्शंस उस रूप में दर्ज की जाती हैं जिनसे वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति, सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप प्राप्त होती है और यह कंपनी की प्राप्तियों आर व्यय के विवरण कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के द्वारा मिले प्राधिकार के अनुरूप ही तैयार किए जा रहे हैं, और
- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा अवस्थिति को रोके जाने अथवा समय से पता लग पाने संबंधी उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराती हैं, जो वित्तीय विवरणों पर सापेक्ष प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की आंतरिक सीमा

अपनी अंतर्निहित सीमाओं के कारण, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के साथ-साथ टकराव की संभावना अथवा अनुचित प्रबंधन से नियंत्रण बस के बाहर हो जाते हैं, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण विवरणों की गलतबयानी हो सकती है और उनका पता नहीं लग पाता है। साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन की भावी संभावना से जोखिम उत्पन्न हो सकता है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है अथवा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में, विवरणों के संबंध में, कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के अनिवार्य अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा निर्धारित आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदण्ड पर आधारित थे।

चंदर प्रकाश एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या: 010770N)

हस्ता/—
दिशांत खट्टर
साझेदार
(सदस्यता संख्या: 540382)

जगह: नई दिल्ली
दिनांक: 11.05.2023
यूडीआईएन: 23540382BGRZAF6259

- (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and
- (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For CHANDER PARKASH & CO
Chartered Accountants
(Firm Registration No.: 010770N)

Sd/-
DISHANT KHATTER
Partner
(Membership No.:540382)

Place: New Delhi
Date: 11.05.2023
UDIN: 23540382BGRZAF6259

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 31 मार्च 2023 को तुलन पत्र

भारतीय लाख रु. में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2023 की स्थिति लेखापरीक्षित)	31 मार्च 2022 की स्थिति लेखापरीक्षित)
I			
1 परिसंपत्तियां			
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2	14.23	18.55
(ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य		-	-
ग) अन्य मूल परिसंपत्तियां	3	0.31	0.57
घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश		-	-
(ii) ऋण	4.1	71.20	35.07
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.2	-	-
ङ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	5	94.69	82.70
(च) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	6	16.31	7.12
2 वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) वित्तीय परिसंपत्तियां	7		
(i) प्राप्य व्यापार	7.1	654.80	158.87
(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	7.2	293.19	368.14
(iii) उपरोक्त ऋण के अलावा बैंक शेष	7.3	1,641.26	1,918.22
(iv) ऋण	7.4	6.71	3.55
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7.5	52.06	52.37
(ख) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	8	13.70	23.75
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	9	51.33	-
कुल परिसंपत्तियां		2,909.79	2,668.91
II			
1 इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	475.00	475.00
ख) अन्य इक्विटी	11	1,972.09	1,818.05
2 देयताएं			
गैर-वर्तमान देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यापार देय	-	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	-
ख) प्रावधान	12	168.21	144.92
ग) आस्थगित कर देयताएं	-	-	-
घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	-	-	-
वर्तमान देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं	13	-	-
(i) व्यापार देय		-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	13.1	72.50	38.62
ख) कुल वर्तमान देयताएं	14	61.20	41.06
ग) प्रावधान	12	160.80	143.72
घ) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	9	-	7.54
कुल देयताएं		2,909.79	2,668.91

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1

संलग्न टिप्पणियां 1 से 30 वित्तीय विवरणों के एकीकृत भाग के रूप में हैं

हमारी समान तिथि को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते चंद्र प्रकाश एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./-

दिशांत खट्टर

(साझेदार)

सदस्य सं. 540382

एफआरएन01077एन

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11.05.2023

हस्ता./-

पलाश श्रीवास्तव

(निदेशक एवं डिप्टी सीईओ)

(डीआईएन: 02007911)

हस्ता./-

पी आर जयशंकर

(अध्यक्ष एवं निदेशक)

(डीआईएन: 6711526)

राजीव मखीजा

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

IIFCL PROJECTS LIMITED

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2023

INR in Lakhs

Particulars	Note No.	As at 31st March 2023 (Audited)	As at 31st March 2022 (Audited)
I ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Property, Plant and equipment	2	14.23	18.55
(b) Capital work-in-progress		-	-
(c) Other Intangible assets	3	0.31	0.57
(d) Financial Assets			
(i) Investments		-	-
(ii) Loans	4.1	71.20	35.07
(iii) Other financial assets	4.2	-	-
(e) Deferred tax assets (Net)	5	94.69	82.70
(f) Other non-current assets	6	16.31	7.12
2 Current assets			
(a) Financial Assets	7		
(i) Trade Receivables	7.1	654.80	158.87
(ii) Cash and cash equivalents	7.2	293.19	368.14
(iii) Bank Balances other than (ii) above	7.3	1,641.26	1,918.22
(iv) Loans	7.4	6.71	3.55
(v) Other financial assets	7.5	52.06	52.37
(b) Other Current Assets	8	13.70	23.75
(c) Current Tax Asset (Net)	9	51.33	-
Total Assets		2,909.79	2,668.91
II EQUITY & LIABILITIES			
1 Equity			
(a) Equity Share Capital	10	475.00	475.00
(b) Other Equity	11	1,972.09	1,818.05
2 Liabilities			
Non Current Liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Trade Payables	-	-	-
(ii) Other Financial Liabilities	-	-	-
(b) Provisions	12	168.21	144.92
(c) Deferred Tax Liabilities	-	-	-
(d) Other Non Current Liabilities	-	-	-
Current liabilities			
(a) Financial Liabilities	13	-	-
(i) Trade payables		-	-
(ii) Other financial liabilities	13.1	72.50	38.62
(b) Other current liabilities	14	61.20	41.06
(c) Provisions	12	160.80	143.72
(d) Current Tax liability (Net)	9	-	7.54
Total Liabilities		2,909.79	2,668.91
Significant Accounting Policies	1		

Accompanying notes 1 to 30 form an integral part of financial statements

As per Our Report on even Date Annexed

FOR CHANDER PARKASH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

For and on behalf of
the Board of Directors of IIFCL Projects Limited

Sd/-
Dishant Khatter
(Partner)
M.No. 540382
FRN 010770N

Sd/-
Palash Srivastava
(Director & Deputy CEO)
(DIN : 02007911)

Sd/-
P R Jaishankar
(Chairman & Director)
(DIN : 6711526)

Place : New Delhi
Dated : 11.05.2023

Rajeev Mukhija
(Chief Executive Officer)

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि का विवरण

भारतीय लाख रु. में

क्र.सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए (लेखापरीक्षित)	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए (लेखापरीक्षित)
I	प्रचालनों से राजस्व	15	1,325.18	1,198.09
II	अन्य आय	16	128.66	118.20
	कुल राजस्व (I+II)		1,453.84	1,316.29
III	व्यय			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	17	994.74	624.39
	मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय	2	10.35	7.64
	अन्य व्यय	18	243.06	169.83
	कुल व्यय (III)		1,248.15	801.86
IV	चालू प्रचालनों से कर पूर्व लाभ		205.69	514.43
V	कर व्यय:			
	- वर्तमान कर	19	62.68	160.63
	- आस्थगित कर		(12.67)	(19.79)
	कुल कर व्यय		50.01	140.84
VI	चालू प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ		155.68	373.59
	रोके गए प्रचालन			
	कर पूर्व रोके गए प्रचालनों से लाभ		-	-
	रोके गए प्रचालनों का कर व्यय		-	-
	रोके गए प्रचालनों से लाभ		-	-
VII	अवधि के लिए लाभ		155.68	373.59
VIII	अन्य व्यापक आय	20		
	मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर पुनः मापन अर्जन/(हानि)		2.66	2.53
	इन मदों से संबंधित आय कर प्रभाव		(0.67)	(0.64)
	अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)		1.99	1.89
IX	अवधि के लिए कुल व्यापक आय ;टप्प. पद्ध अवधि के लिए व्यापक लाभ एवं अन्य व्यापक आय)		157.67	375.48
X	चालू प्रचालनों से लाभ के लिए प्रति इक्विटी शेयर अर्जन	27		
	मूल (रु. में)		3.32	7.90
	तनुकृत (रु. में)		3.32	7.90
XI	रोके गए प्रचालनों से लाभ के लिए प्रति इक्विटी शेयर अर्जन			
	मूल (रु. में)		-	-
	तनुकृत (रु. में)		-	-
XII	चालू एवं रोके गए प्रचालनों से लाभ के लिए प्रति इक्विटी शेयर अर्जन			
	मूल (रु. में)		3.32	7.90
	तनुकृत (रु. में)		3.32	7.90
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1		

संलग्न टिप्पणियां 1 से 30 वित्तीय विवरणों के एकीकृत भाग के रूप में हैं

हमारी समान तिथि को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते चंदर प्रकाश एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हस्ता./-

दिशांत खट्टर

(साझेदार)

सदस्य सं. 540382

एफआरएन01077एन

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11.05.2023

कृते आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./-

पलाश श्रीवास्तव

(निदेशक एवं डिप्टी सीईओ)

(डीआईएन: 02007911)

हस्ता./-

पी आर जयशंकर

(अध्यक्ष एवं निदेशक)

(डीआईएन: 6711526)

राजीव मखीजा

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

IIFCL PROJECTS LIMITED

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS

FOR YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

INR in Lakhs

S. No.	Particulars	Note No.	For year ended 31st March 2023 (Audited)	For year ended 31st March 2022 (Audited)
I	Revenue from operations	15	1,325.18	1,198.09
II	Other Income	16	128.66	118.20
	Total Revenue (I+II)		1,453.84	1,316.29
III	Expenses			
	Manpower Benefit Expenses	17	994.74	624.39
	Depreciation and amortisation expense	2	10.35	7.64
	Other Expenses	18	243.06	169.83
	Total Expenses (III)		1,248.15	801.86
IV	Profit before tax from continuing operations		205.69	514.43
V	Tax Expense:			
	- Current Tax	19	62.68	160.63
	- Deferred Tax		(12.67)	(19.79)
	Total Tax Expense		50.01	140.84
VI	Profit for the Period from continuing operations		155.68	373.59
	Discontinued Operations			
	Profit from discontinuing operations before tax		-	-
	Tax expense of discontinuing operations		-	-
	Profit from discontinuing operations		-	-
VII	Profit for the Period		155.68	373.59
VIII	Other Comprehensive Income	20		
	<i>Items that will not be reclassified to profit or loss</i>			
	Remeasurement gains/(losses) on defined benefit plans		2.66	2.53
	Income tax effect relating to these items		(0.67)	(0.64)
	Other Comprehensive Income (net of tax)		1.99	1.89
IX	Total Comprehensive Income for the period (VIII + IX) (Comprehensive profit and other comprehensive income for the period)		157.67	375.48
X	Earnings per equity share for profit from Continuing operations	27		
	Basic (in Rs.)		3.32	7.90
	Diluted (in Rs.)		3.32	7.90
XI	Earnings per equity share for profit from discontinued operations			
	Basic (in Rs.)		-	-
	Diluted (in Rs.)		-	-
XII	Earnings per equity share for profit from Continuing and discontinued operations			
	Basic (in Rs.)		3.32	7.90
	Diluted (in Rs.)		3.32	7.90
	Significant Accounting Policies	1		

Accompanying notes 1 to 30 form an integral part of financial statements

As per Our Report on even Date Annexed

FOR CHANDER PARKASH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

For and on behalf of
the Board of Directors of IIFCL Projects Limited

Sd/-
Dishant Khatter
(Partner)
M.No. 540382
FRN 010770N

Sd/-
Palash Srivastava
(Director & Deputy CEO)
(DIN : 02007911)

Sd/-
P R Jaishankar
(Chairman & Director)
(DIN : 6711526)

Place : New Delhi
Dated : 11.05.2023

Rajeev Mukhija
(Chief Executive Officer)

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नकदी प्रवाह का विवरण

भारतीय लाख रुपए में

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े
1	प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
	कराधान से पूर्व शुद्ध लाभ	205.69	514.43
	जोड़ें: गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन		
	मूल्यह्रास, ऋण परिशोधन और क्षीणता	10.35	7.64
	एंड एएस के प्रभाव का समायोजन	(3.64)	(2.22)
	प्रावधान/कर समायोजन	13.99	6.15
		226.39	525.99
	जोड़ें: अन्य मदों के लिए समायोजन		
	पूर्व अवधि व्यय	-	72.60
	अन्य व्यापक आय	2.66	2.53
2	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	229.05	601.13
	(ख) कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन		
	प्रचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
	वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(488.73)	92.36
		(488.73)	92.36
	(ग) प्रचालन देयताओं में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
	अन्य वर्तमान देयताओं में (वृद्धि)/कमी	71.11	(44.23)
	स्टॉफ वेल्फेयर फंड का उपयोग	(1.87)	(4.80)
		69.23	(49.02)
	प्रचालनों से उत्पन्न नकदी	(190.44)	644.47
अदा/प्राप्त किए गए प्रत्यक्ष कर	(114.01)	(160.63)	
	(304.45)	483.84	
3	निवेश कार्यकलापों से नकदी		
	स्थायी परिसंपत्तियों पर पूंजी व्यय	(5.77)	(14.65)
	((खरीद)/निवेशों की बिक्री/बैंक जमा आय	276.96	(240.90)
	ऋण संपत्ति	(41.68)	(0.72)
	229.51	(256.27)	
निवेश कार्यकलापों से उत्पन्न/(उपयोग किया) नकदी प्रवाह			
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:			
वित्तीय कार्यकलापों से उत्पन्न/(उपयोग किया) नकदी प्रवाह (ग)	-	-	
नकदी एवं नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(74.95)	227.57	
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	368.14	140.56	
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	293.19	368.14	
नकदी एवं नकदी समतुल्य			
अनुसूचित बैंकों के पास शेष	0.14	0.45	
अनुसूचित बैंकों के पास शेष			
- चालू खाते में	14.65	154.69	
- सावधि जमा खाते में 213	278.40	213.00	

टिप्पणी:

उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित एंड-एएस-7 के अनुसार निर्धारित अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के अधीन तैयार किया गया है।

संलग्न टिप्पणियां 1 से 30 वित्तीय विवरणों के एकीकृत भाग के रूप में हैं

हमारी समान तिथि को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते चंद्र प्रकाश एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./-

दिशांत खट्टर

(साझेदार)

सदस्य सं. 540382

एफआरएन01077एन

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11.05.2023

हस्ता./-

पलाश श्रीवास्तव

(निदेशक एवं डिप्टी सीईओ)

(डीआईएन: 02007911)

हस्ता./-

पी आर जयशंकर

(अध्यक्ष एवं निदेशक)

(डीआईएन: 6711526)

राजीव मखीजा

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

IIFCL PROJECTS LIMITED STATEMENT OF CASH FLOWS

INR in Lakhs

S. No.	Particulars	Figures for the year ended 31st March 2023	Figures for the year ended 31st March 2022
1	(a) Cash Flow from Operating Activities		
	Net Profit Before Taxation	205.69	514.43
	Add: Adjustment for non cash items :		
	Depreciation, amortization and impairment	10.35	7.64
	Effect of Ind AS adjustment	(3.64)	(2.22)
	Provisions/Tax Adjustments	13.99	6.15
		226.39	525.99
	Add: Adjustment for other items		
	Prior period expense	-	72.60
	Other Comprehensive Income	2.66	2.53
	Operating Profit Before Working Capital Changes	229.05	601.13
	(b) Adjustments for Changes in Working Capital:		
	Adjustments for (Increase)/Decrease in Operating Assets:		
	(Increase)/decrease in Current Assets	(488.73)	92.36
		(488.73)	92.36
	(c) Adjustments for (Increase)/Decrease in Operating Liabilities:		
	Increase/(decrease) in Other Current Liabilities	71.11	(44.23)
	Utilization of Staff welfare fund	(1.87)	(4.80)
		69.23	(49.02)
	Cash Generated from Operations	(190.44)	644.47
	Direct Taxes Paid/Received	(114.01)	(160.63)
	Cash Flow from Operating Activities (A)	(304.45)	483.84
2	Cash from Investment Activities :-		
	Capital Expenditure on Fixed Assets	(5.77)	(14.65)
	(Purchase of)/ Sale of Investments/Proceeds of Bank Deposits	276.96	(240.90)
	Loan assets	(41.68)	(0.72)
	Net Cash Generated from / (used in) Investing Activities (B)	229.51	(256.27)
3	Cash Flow from Financing Activities :-		
	Net Cash Generated from / (used in) Financing Activities (C)	-	-
	Net Increase/(Decrease) in Cash & Cash Equivalent (A+B+C)	(74.95)	227.57
	Cash & Cash Equivalent at the beginning of the Year	368.14	140.56
	Cash & Cash Equivalent at the end of year	293.19	368.14
	Cash and Cash Equivalents		
	- Cash and Cheques in Hand	0.14	0.45
	Balance with Scheduled Banks		
	- On Current Account	14.65	154.69
	- On term Deposit Account	278.40	213.00

Notes :

The above Statement of Cash Flow has been prepared under the indirect method set out as per Ind-AS-7 issued by The Institute of Chartered Accountants of India and notified u/s 133 of the Companies Act, 2013.

As per Our Report on even Date Annexed

**FOR CHANDER PARKASH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS**

Sd/-
Dishant Khatter
(Partner)
M.No. 540382
FRN 010770N

**For and on behalf of
the Board of Directors of IIFCL Projects Limited**

Sd/-
Palash Srivastava
(Director & Deputy CEO)
(DIN : 02007911)

Sd/-
P R Jaishankar
(Chairman & Director)
(DIN : 6711526)

**Place : New Delhi
Dated : 11.05.2023**

Rajeev Mukhija
(Chief Executive Officer)

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

भारतीय लाख रुपए में

विवरण	राशि
31 मार्च, 2022 को शेष	475.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2023 को शेष	475.00

ख. अन्य इक्विटी

भारतीय लाख रुपए में

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष		कुल
	स्टॉफ वेलफेयर रिजर्व	रखी गई आमदनी	
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	2.15	1,815.90	1,818.05
पूर्व अवधि की त्रुटियां कर समायोजन	-	-	-
	-	(1.76)	(1.76)
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः दर्शाया गया शेष	2.15	1,814.14	1,816.29
वर्ष के लिए लाभ	-	155.68	155.68
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर का शुद्ध)	-	1.99	1.99
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	157.67	157.67
वर्ष के दौरान स्थानांतरण की गई राशि	-	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि	(1.87)	-	(1.87)
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	0.28	1,971.81	1,972.09

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

भारतीय

लाख

रुपए

में

विवरण	राशि
31 मार्च, 2021 को शेष	475.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2022 को शेष	475.00

ख. अन्य इक्विटी

भारतीय लाख रुपए में

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष		कुल
	स्टॉफ वेलफेयर रिजर्व	रखी गई आमदनी	
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः दर्शाया गया शेष	-	1,379.79	1,379.79
पूर्व अवधि की त्रुटियां कर समायोजना	-	73.70	73.70
	-	(6.12)	(6.12)
वर्ष के प्रारंभ में पुनः दर्शाया गया शेष	-	1,447.37	1,447.37
वर्ष के लिए लाभ	-	373.59	373.59
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर का शुद्ध)	-	1.89	1.89
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	375.48	375.48
वर्ष के दौरान स्थानांतरण की गई राशि	6.95	(6.95)	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि	(4.80)	-	(4.80)
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	2.15	1,815.91	1,818.05

यह इक्विटी में परिवर्तन का विवरण समान तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार है।

हमारी समान तिथि को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते चंद्र प्रकाश एंड कं.

कृते आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./—

दिशांत खट्टर

(साझेदार)

सदस्य सं. 540382

एफआरएन01077एन

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11.05.2023

हस्ता./—

पलाश श्रीवास्तव

(निदेशक एवं डिप्टी सीईओ)

(डीआईएन: 02007911)

हस्ता./—

पी आर जयशंकर

(अध्यक्ष एवं निदेशक)

(डीआईएन: 6711526)

राजीव मखीजा

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

IIFCL PROJECTS LIMITED

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH 2023

A. Equity share capital

INR in Lakhs

Particulars	Amount
Balance at March 31, 2022	475.00
Changes in equity share capital during the year	-
Balance at March 31, 2023	475.00

B. Other Equity

INR in Lakhs

Particulars	Reserve & Surplus		Total
	Staff welfare Reserve	Retained Earnings	
Balance at the beginning of the reporting period	2.15	1,815.90	1,818.05
Prior period adjustments	-	-	-
Tax Adjustments	-	(1.76)	(1.76)
Restated balance at the beginning of the reporting period	2.15	1,814.14	1,816.29
Profit for the year	-	155.68	155.68
Other Comprehensive Income for the year (net of income tax)	-	1.99	1.99
Total Comprehensive Income for the year	-	157.67	157.67
Amount transferred during the year	-	-	-
Amount utilized during the period	(1.87)	-	(1.87)
Balance at the end of the reporting period	0.28	1,971.81	1,972.09

Statement of changes in equity for the year ended 31st March 2022

A. Equity share capital

INR in Lakhs

Particulars	Amount
Balance at March 31, 2021	475.00
Changes in equity share capital during the year	-
Balance at March 31, 2022	475.00

B. Other Equity

INR in Lakhs

Particulars	Reserve & Surplus		Total
	Staff welfare Reserve	Retained Earnings	
Balance at the beginning of the reporting period	-	1,379.79	1,379.79
Prior period adjustments	-	73.70	73.70
Tax Adjustments	-	(6.12)	(6.12)
Restated balance at the beginning of the year	-	1,447.37	1,447.37
Profit for the year	-	373.59	373.59
Other Comprehensive Income for the year (net of income tax)	-	1.89	1.89
Total Comprehensive Income for the year	-	375.48	375.48
Amount transferred during the year	6.95	(6.95)	-
Amount utilized during the period	(4.80)	-	(4.80)
Balance at the end of the reporting period	2.15	1,815.91	1,818.05

As per Our Report on even Date Annexed

FOR CHANDER PARKASH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTSFor and on behalf of
the Board of Directors of IIFCL Projects LimitedSd/-
Dishant Khatter
(Partner)
M.No. 540382
FRN 010770NSd/-
Palash Srivastava
(Director & Deputy CEO)
(DIN : 02007911)Sd/-
P R Jaishankar
(Chairman & Director)
(DIN : 6711526)Place : New Delhi
Dated : 11.05.2023Rajeev Mukhija
(Chief Executive Officer)

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी-2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

भारतीय लाख रुपए में

विवरण	उपयोग अवधि (वर्ष में)	सकल ब्लॉक		मूल्यहास			शुद्ध ब्लॉक				
		की स्थिति 1.04.2023	संयोजन	निपटान/समयोजन	31.03.2023 को	01.04.2022 को	अवधि के लिए	कटौती/वापसी	की स्थिति 31.03.2023	की स्थिति 31.03.2022	
मूर्त परिसंपत्तियाँ	3	32.66	5.77	-	38.43	25.63	6.38	-	32.01	6.42	7.03
ईडीपी परिसंपत्तियाँ	5	7.81	-	-	7.81	4.39	1.49	-	5.88	1.93	3.42
कार्यालय उपकरण	10	4.86	-	-	4.86	1.32	0.92	-	2.24	2.62	3.54
कार्यालय फर्नीचर	8	17.67	-	-	17.67	13.11	1.30	-	14.41	3.26	4.56
कुल मूर्त परिसंपत्तियाँ		63.00	5.77	-	68.77	44.45	10.08	-	54.54	14.23	18.55

टिप्पणी-3 : अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	उपयोग अवधि (वर्ष में)	सकल ब्लॉक		मूल्यहास			शुद्ध ब्लॉक				
		की स्थिति 1.04.2023	संयोजन	निपटान/समयोजन	31.03.2023 को	01.04.2022 को	अवधि के लिए	कटौती/वापसी	की स्थिति 31.03.2023	की स्थिति 31.03.2022	
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	3.61	-	-	3.61	3.04	0.27	-	3.30	0.31	0.57
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		3.61	-	-	3.61	3.04	0.27	-	3.30	0.31	0.57
कुल अमूर्त परिसंपत्तियाँ		66.61	5.77	-	72.38	47.48	10.35	-	57.84	14.54	19.12

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2023

Note 2 : Property, Plant and Equipment

INR in Lakhs

DESCRIPTION	Useful Life (in years)	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
		As at	Addition	Disposals/ Adjustments	As at	As at	For the	Deductions/ Reversals	As at	As at	As at
		1.04.2023			31.03.2023	01.04.2022	Period		31.03.2023	31.03.2023	31.03.2022
TANGIBLE ASSETS											
EDP Assets	3	32.66	5.77	-	38.43	6.38	-	32.01	6.42	7.03	
Office Equipment	5	7.81	-	-	7.81	1.49	-	5.88	1.93	3.42	
Office Furniture	10	4.86	-	-	4.86	0.92	-	2.24	2.62	3.54	
Vehicles	8	17.67	-	-	17.67	1.30	-	14.41	3.26	4.56	
Total Tangible Assets		63.00	5.77	-	68.77	10.08	-	54.54	14.23	18.55	

Note 3 : Intangible Assets

DESCRIPTION	Useful Life (in years)	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
		As at	Addition	Disposals/ Adjustments	As at	As at	For the	Deductions/ Reversals	As at	As at	As at
		01.04.2022			31.03.2023	01.04.2022	Period		31.03.2023	31.03.2023	31.03.2022
INTANGIBLE ASSETS											
Computer Software	3	3.61	-	-	3.61	0.27	-	3.30	0.31	0.57	
Total Intangible Assets		3.61	-	-	3.61	0.27	-	3.30	0.31	0.57	
TOTAL ASSETS		66.61	5.77	-	72.38	10.35	-	57.84	14.54	19.12	

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी-4: गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ

04. श्रद्धा ऋण

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
i)	असुरक्षित समझे जाने वाली सामग्री पद्ध कर्मचारियों को ऋण	71.20	35.07
	अंत शेष	71.20	35.07

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	शून्य		
	अंत शेष	-	-

टिप्पणी-5: आस्थगित कर

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
i)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	94.69	82.70
ii)	आस्थगित कर देयताएं	-	-
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (आस्थगित कर देयताओं का शुद्ध)	94.69	82.70
	शेष में वह अस्थायी अंतर शामिल हैं जो देय है:		
(a)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन	4.12	2.12
(b)	कर्मचारी हितलाभ	90.57	80.58
	अंत शेष	94.69	82.70

टिप्पणी-6: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
i)	प्रीपेड स्टॉफ लागत	16.31	7.12
	अंत शेष	16.31	7.12

टिप्पणी-7: वित्तीय परिसंपत्तियाँ – वर्तमान

7.1 प्राप्य व्यापार

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
i)	असुरक्षित समझी जानी वाली वस्तुएं संबंधित पार्टियों से प्राप्य	44.19	6.38
ii)	अन्य प्राप्य व्यापार	610.61	152.49
	अंत शेष	654.80	158.87

IIFCL PROJECTS LIMITED

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2023

Note 4 : Financial Assets Non-Current

4.1 Loans

S.No.	Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
	Unsecured, considered good		
i)	Loans to employees	71.20	35.07
	Closing Balance	71.20	35.07

4.2 Other Financial Assets

S.No.	Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
	NIL		
	Closing Balance	-	-

Note 5 : Deferred Tax

S.No.	Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
i)	Deferred tax assets	94.69	82.70
ii)	Deferred tax liabilities	-	-
	Deferred tax assets (net of deferred tax liabilities)	94.69	82.70
	<u>The balance comprises to temporary differences attributable to:</u>		
	Deferred tax assets		
(a)	Depreciation and amortisation	4.12	2.12
(b)	Employee Benefits	90.57	80.58
	Closing Balance	94.69	82.70

Note 6 : Other Non-Current Assets

S.No.	Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
i)	Prepaid Staff Cost	16.31	7.12
	Closing Balance	16.31	7.12

Note 7 : Financial Assets - Current

7.1 Trade Receivables

S.No.	Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
	Unsecured, considered good		
i)	Trade Receivables from related parties	44.19	6.38
ii)	Other Trade receivables (details in table below)	610.61	152.49
	Closing Balance	654.80	158.87

31 मार्च, 2023 तक व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया			कुल
	6 महीने से कम	6 महीने-1 वर्ष	1-2 वर्ष	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	615.41	39.39	-	654.80
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-
कुल	615.41	39.39	-	654.80

31 मार्च, 2022 तक व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया			कुल
	6 महीने से कम	6 महीने-1 वर्ष	1-2 साल	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	158.87	-	-	158.87
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-
कुल	158.87	-	-	158.87

7.2 नकदी एवं नकदी समतुल्य

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
i)	बैंक के साथ शेष राशि		
	(क) चालू खाता	14.65	154.69
	(ख) सावधि जमा (3 महीने से कम की परिपक्वता)	278.40	213.00
ii)	कैश इन हैंड	0.14	0.45
	अंत शेष	293.19	368.14

7.3 नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
i)	अन्य बैंक शेष		
	अनुसूचित बैंक में सावधि जमा (परिपक्वता 3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम)	1,641.26	1,918.22
ii)	अनुसूचित बैंक में सावधि जमा (परिपक्वता 12 माह से अधिक)	-	-
	अंत शेष	1,641.26	1,918.22

7.4 ऋण

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
i)	असुरक्षित समझी जाने वाली वस्तुएं कर्मचारियों को ऋण	6.71	3.55
	अंत शेष	6.71	3.55

Trade Receivables ageing schedule as at March 31, 2023

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment			Total
	Less than 6 months	6 months-1 year	1-2 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	615.41	39.39	-	654.80
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables – considered good	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-
Total	615.41	39.39	-	654.80

Trade Receivables ageing schedule as at March 31, 2022

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment			Total
	Less than 6 months	6 months-1 year	1-2 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	158.87	-	-	158.87
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables – considered good	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-
Total	158.87	-	-	158.87

7.2 Cash & Cash Equivalents

S.No.	Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
i)	Balances with Bank		
	(a) Current Account	14.65	154.69
	(b) Fixed Deposits (Maturity less than 3 Months)	278.40	213.00
ii)	Cash in Hand	0.14	0.45
	Closing Balance	293.19	368.14

7.3 Bank Balances other than Cash and Cash equivalent

S.No.	Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
	Other Bank Balances		
i)	Term Deposit in Schedule Bank (Maturity more than 3 Months but less than 12 months)	1,641.26	1,918.22
ii)	Term Deposit in Schedule Bank (Maturity more than 12 months)	-	-
	Closing Balance	1,641.26	1,918.22

7.4 Loans

S.No.	Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
i)	Unsecured, considered good Loans to employees	6.71	3.55
	Closing Balance	6.71	3.55

7.5 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
i)	असुरक्षित समझी जाने वाली वस्तुएं प्रतिभूति जमा	3.27	3.27
ii)	उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	48.79	49.10
अंत शेष		52.06	52.37

टिप्पणी-8: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
i)	प्रीपेड व्यय	3.46	2.85
ii)	प्रीपेड स्टॉफ लागत	1.62	0.88
iii)	इनपुट जीएसटी	0.21	0.28
iv)	आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	2.66	1.30
v)	कर्मचारियों को अग्रिम	-	7.77
vi)	संबंधित पक्षों से प्राप्तियां	-	0.90
vii)	आईडीबीआई बैंक द्वारा गलत डेबिट के कारण असमाशोधित शेष	5.75	-
viii)	राजस्व अधिकारियों के साथ संतुलन	-	9.77
अंत शेष		13.70	23.75

*16.94 लाख रुपये का इनपुट जीएसटी, जो वित्त वर्ष 21-22 में अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाया गया था, उसे चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए नोट 14 में पुनः समूहित किया गया है।

टिप्पणी-9: वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
i)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
	अग्रिम कर एवं टीडीएस	114.01	-
	घटाएं: भुगतान योग्य प्रत्सक्ष कर	(62.68)	-
ii)	वर्तमान कर देयताएं		
	भुगतान योग्य प्रत्सक्ष कर	-	160.63
	घटाएं: अग्रिम कर एवं टीडीएस	-	(153.09)
अंत शेष		51.33	7.54

टिप्पणी-10: इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अधिकृत शेयर पूंजी		
प्रत्येक की दर से 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	1,000.00	1,000.00
	1,000.00	1,000.00
जारी, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त		
प्रत्येक की दर से 47,50,000 इक्विटी शेयर	475.00	475.00
	475.00	475.00

कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक धारण करने वाले शेयरधारक का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की सं.	धारिता का %	शेयरों की सं.	धारिता का %
आईएनआर प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर				
1) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	47,49,994.00	100.00	47,49,994.00	100.00
2) आईआईएफसीएल की ओर से नामिति	6.00	-	6.00	-
कुल	47,50,000.00		47,50,000.00	

7.5 Other Financial Assets

S.No.	Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
i)	Unsecured, considered good Security Deposits	3.27	3.27
ii)	Interest Accrued but not due	48.79	49.10
Closing Balance		52.06	52.37

Note 8 : Other Current Assets

S.No.	Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
i)	Prepaid Expenses	3.46	2.85
ii)	Prepaid Staff Cost	1.62	0.88
iii)	Advance to suppliers	0.21	0.28
iv)	Advance to Employees	2.66	1.30
v)	Receivables from related parties	-	7.77
vi)	Other Receivables	-	0.90
vii)	Balance with Revenue Authorities	5.75	-
viii)	Medical Advance	-	9.77
Closing Balance		13.70	23.75

* Input GST of Rs. 16.94 Lacs which was shown under Other current assets in FY 21-22 has been regrouped in Note 14 to make it comparable with Current year figure.

Note 9 : Current Tax Asset (Net)

S.No.	Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
i)	Current Tax Asset		
	Advance Tax & TDS	114.01	-
	Less: Direct Tax payable	(62.68)	-
ii)	Current Tax Liability		
	Direct tax Payable	-	160.63
	Less : Advance Tax and TDS	-	(153.09)
Closing Balance		51.33	7.54

Note 10 : Equity Share Capital

Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
Authorised		
1,00,00,000 Equity Share of Rs. 10/- each	1,000.00	1,000.00
	1,000.00	1,000.00
Issued, Subscribed & Fully Paid up		
47,50,000 Equity shares of Rs. 10/- each	475.00	475.00
	475.00	475.00

Details of shareholder holding more than 5% in the company

Name of shareholder	As at 31st March 2023		As at 31st March 2022	
	No.of shares	% holding	No.of shares	% holding
Equity shares of INR each fully paid				
1) India Infrastructure Finance Company Ltd	47,49,994.00	100.00	47,49,994.00	100.00
2) Nominees on behalf of IIFCL	6.00	-	6.00	-
Total	47,50,000.00		47,50,000.00	-

शेयरों से संबद्ध अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

इक्विटी शेयर: कंपनी के इक्विटी शेयरों की एक श्रेणी है जिसका मूल्य रु. 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक अपने प्रति शेयर के अनुसार एक वोट का पात्र है। परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक अपने-अपने शेयरों के अनुपात में बांटे जाने वाली राशि की कंपनी की शेष परिसंपत्तियां पाने के हकदार होंगे।

इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का पुनर्मिलान

भारतीय लाख रुपए में

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी	47,50,000.00	475.00	47,50,000.00	475.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी	47,50,000.00	475.00	47,50,000.00	475.00

वर्ष के अंत में प्रमोटर्स द्वारा धारित शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को		% वर्ष के दौरान परिवर्तन
	शेयरों की सं.	धारिता का %	शेयरों की सं.	धारिता का %	
1) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	47,49,994.00	100%	47,49,994.00	100%	-
2) आईआईएफसीएल की ओर से नामिति	6.00		6.00		
कुल	47,50,000.00	100%	47,50,000.00	100%	-

टिप्पणी -11: अन्य इक्विटी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
i)	स्टॉफ वेलफेयर रिजर्व		
	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	2.15	-
	जोड़ें: रखी गई आमदनी से हस्तांतरण		6.95
	घटाएं: अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि	(1.87)	(4.80)
		0.28	2.15
ii)	रखी गई आमदनी		
	पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,815.90	1,379.79
	(+) कर पश्चात लाभ	155.68	373.59
	(+/-) पूर्व अवधि मर्दे	-	73.15
	(+/-) पिछली अवधि मर्दे- मूल्यह्रास उत्क्रमण	-	0.55
	(+/-) कर समायोजन	(1.76)	(6.12)
	(-) स्टॉफ वेलफेयर फंड को हस्तांतरण		(6.95)
	(+/-) रखी गई आमदनी में सीधे मानी गई अन्य व्यापक आय के मद		-
	(+/-) परिभाषित हितलाभ योजना का पुनः मापन, कर का शुद्ध	1.99	1.89
	अंत शेष	1,972.09	1,818.05

*पूर्व अवधि के समायोजन में रु. पिछले वर्ष से संबंधित प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के वेतन की प्रतिपूर्ति के 56,91,871 वर्ष के दौरान दावा किया गया।

*पूर्व अवधि के समायोजन में रु. वर्ष के दौरान प्राप्त पिछले वर्ष से संबंधित एफडीआर पर संचयी ब्याज के रूप में 16,23,827।

Rights, Preferences and Restrictions attaching to shares

Equity Shares: The Company has one class of Equity Shares having a par value of Rs.10 per share. Each shareholder is eligible for one vote per share held. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

Reconciliation of the number of equity shares and share capital

(INR in Lakhs)

Name of shareholder	As at 31st March 2023		As at 31st March 2022	
	No. of shares	Amount	No. of shares	Amount
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the beginning of the year	47,50,000.00	475.00	47,50,000.00	475.00
Add: Shares Issued during the year	-	-	-	-
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	47,50,000.00	475.00	47,50,000.00	475.00

Details of the Shares held by promoters at the end of the year

Name of shareholder	As at 31st March 2023		As at 31st March 2022		% change during the year
	No. of shares	% holding	No. of shares	% holding	
1) India Infrastructure Finance Company Ltd	47,49,994.00	100%	47,49,994.00	100%	-
2) Nominees on behalf of IIFCL	6.00		6.00		
Total	47,50,000.00	100%	47,50,000.00	100%	-

Note 11 : Other Equity

S.No.	Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
i)	Staff Welfare Reserve		
	As per last Balance sheet	2.15	-
	Add: Transfer from retained earning		6.95
	Less: Amount utilized during the period	(1.87)	(4.80)
		0.28	2.15
ii)	Retained Earnings		
	As per last Balance Sheet	1,815.90	1,379.79
	(+) Profit after Tax	155.68	373.59
	(+/-) Prior period item	-	73.15
	(+/-) Prior period item- Depreciation Reversal	-	0.55
	(+/-) Tax Adjustments	(1.76)	(6.12)
	(-) Transfer to Staff welfare fund		(6.95)
	(+/-) Items of Other comprehensive income recognised directly in retained earnings	-	-
	(+/-) Remeasurements of defined benefits plans, net of tax	1.99	1.89
	Closing Balance	1,972.09	1,818.05

*Prior period adjustment includes Rs. 56,91,871 of reimbursement of Salaries of deputed employees pertaining to last year claimed during the year.

*Prior period adjustment includes Rs. 16,23,827 as cumulative interest on FDR pertaining to last year received during the year.

टिप्पणी-12: प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 का
(I)	कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
i)	छुट्टी नकदीकरण	60.78	51.91
ii)	उपदान	60.03	51.66
iii)	सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ	47.40	41.35
	गैर-वर्तमान	168.21	144.92
iv)	छुट्टी यात्रा रियायत	19.37	34.29
v)	वेतन संशोधन	141.43	109.43
	वर्तमान	160.80	143.72
	अंत शेष	329.01	288.64

फुटनोट

12.1 आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स कर्मचारियों के लिए

परिभाषित हितलाभ योजना के संबंध में भारतीय लेखाकरण मानक-19 "कर्मचारी हितलाभ" के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन निम्नानुसार है:

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक और अंतिम शेष राशि का समाधान:

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 का
(I)	उपदान		
	प्रारंभिक शेष	51.66	43.98
	ब्याज लागत	3.70	2.99
	वर्तमान सेवा लागत	7.46	7.28
	भुगतान किए गए हितलाभ	-	-
	बीमांकिक अर्जन/हानि	(2.79)	(2.59)
		60.03	51.66
(II)	छुट्टी नकदीकरण		
	प्रारंभिक शेष	51.90	44.54
	ब्याज लागत	3.73	3.02
	वर्तमान सेवा लागत	7.33	7.19
	भुगतान किए गए हितलाभ	(10.24)	(9.10)
	बीमांकिक अर्जन/हानि	8.05	6.25
		60.77	51.90
(III)	सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ		
	प्रारंभिक शेष	41.34	37.02
	ब्याज लागत	2.96	2.51
	वर्तमान सेवा लागत	5.88	5.86
	भुगतान किए गए हितलाभ	-	-
	बीमांकिक अर्जन/हानि	(2.79)	(4.05)
		47.39	41.34
(IV)	Leave Travel Concession		
	प्रारंभिक शेष	34.29	32.57
	ब्याज लागत	2.46	2.21
	वर्तमान सेवा लागत	2.53	4.82
	भुगतान किए गए हितलाभ	(14.78)	(3.17)
	बीमांकिक अर्जन/हानि	(5.13)	(2.15)
		19.37	34.29

Note 12 : Provisions

S.No.	Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
(I)	Provisions for Employee Benefits		
i)	Leave Encashment	60.78	51.91
ii)	Gratuity	60.03	51.66
iii)	Post Retirement Benefits	47.40	41.35
	Non Current	168.21	144.92
iv)	Leave Travel Concession	19.37	34.29
v)	Wage Revision	141.43	109.43
	Current	160.80	143.72
	Closing Balance	329.01	288.64

Foot Note

12.1 For IIFCL Projects Employees

The disclosure required under Indian Accounting Standard-19 "Employee Benefit" in respect of defined benefit plan is:

Reconciliation of opening and closing balances of the present value of the defined benefit obligation:

S.No.	Particulars	31st March 2023	31st March 2022
(I)	Gratuity		
	Opening balance	51.66	43.98
	Interest Cost	3.70	2.99
	Current service cost	7.46	7.28
	Benefit paid	-	-
	Acturial Gain/Loss	(2.79)	(2.59)
		60.03	51.66
(II)	Leave Encashment		
	Opening balance	51.90	44.54
	Interest Cost	3.73	3.02
	Current service cost	7.33	7.19
	Benefit paid	(10.24)	(9.10)
	Acturial Gain/Loss	8.05	6.25
		60.77	51.90
(III)	Post retirement benefit		
	Opening balance	41.34	37.02
	Interest Cost	2.96	2.51
	Current service cost	5.88	5.86
	Benefit paid	-	-
	Acturial Gain/Loss	(2.79)	(4.05)
		47.39	41.34
(IV)	Leave Travel Concession		
	Opening balance	34.29	32.57
	Interest Cost	2.46	2.21
	Current service cost	2.53	4.82
	Benefit paid	(14.78)	(3.17)
	Acturial Gain/Loss	(5.13)	(2.15)
		19.37	34.29

Amount Recognised in Statement of Profit and Loss

लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	ब्याज लागत, वर्तमान सेवा लागत एवं बीमांकिक अर्जन/हानि		
(I)	उपदान	8.37	7.68
(II)	छुट्टी नकदीकरण	19.11	16.47
(III)	सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ	6.05	4.33
(IV)	एलटीसी	(0.14)	4.88
		33.39	33.36

अन्य व्यापक आय खाते में मान्यताप्राप्त राशि

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	दायित्व पर बीमांकिक अर्जन/हानि		
(I)	उपदान	(2.79)	(2.59)
(II)	छुट्टी नकदीकरण	8.05	6.25
(III)	सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ	(2.79)	(4.05)
(IV)	एलटीसी	(5.13)	(2.15)
		(2.67)	(2.54)

यहां उपदान और छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान के अधीन धारित कोई निवेश नहीं है।

बीमांकिक मान्यताएं:	31 मार्च 2023
मूल्यांकन की पद्धति:	प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति
छूट दर:	7.36%
वेतन बढ़ोत्तरी दर:	5.50%
सेवानिवृत्ति आयु:	60 वर्ष
निकासी दर:	30 वर्ष तक छोटी उम्र में 3 प्रतिशत, 31 से 44 वर्ष तक आयु में 2 प्रतिशत और क्रमिक स्तर के अनुसार 44 वर्ष से अधिक आयु में 1 प्रतिशत तक।
मृत्यु दर:	भारत निश्चित जीवंत मृत्यु (2012-14)

संवेदनशीलता विश्लेषण:

उपरोक्त संवेदनशीलता विष्लेषण अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए एक धारणा में बदलाव पर आधारित है। व्यवहार में, ऐसा होने की संभावना नहीं है, और कुछ मान्यताओं में परिवर्तन सह-संबद्ध हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताओं के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय उसी विधि (अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति) को लागू किया गया है जब वित्तीय स्थिति के विवरण के भीतर मान्यताप्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना की जाती है।

टिप्पणी-13: वित्तीय देयताएं

13.1 अन्य वित्तीय देयताएं

भारतीय लाख रुपए में

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
i)	कर्मचारियों को देय	16.39	22.53
ii)	देय व्यय	56.11	16.09
	अंत शेष	72.50	38.62

S.No.	Particulars	31st March 2023	31st March 2022
	Interest Cost, Current Service cost & Actuarial Gain / Loss		
(I)	Gratuity	8.37	7.68
(II)	Leave Encashment	19.11	16.47
(III)	Post retirement benefit	6.05	4.33
(IV)	LTC	(0.14)	4.88
		33.39	33.36

Amount Recognised in Other Comprehensive Income Account

S.No.	Particulars	31st March 2023	31st March 2022
	Actuarial Gain / Loss on obligation		
(I)	Gratuity	(2.79)	(2.59)
(II)	Leave Encashment	8.05	6.25
(III)	Post retirement benefit	(2.79)	(4.05)
(IV)	LTC	(5.13)	(2.15)
		(2.67)	(2.54)

There are no Investment held against the provision for gratuity and leave encashment.

Actuarial Assumptions:	31st March 2023
Method Of Valuation :	Project Unit Credit Method
Discount Rate :	7.36%
Salary Escalation Rate:	5.50%
Retirement Age:	60 Years
Withdrawal Rate:	3% at younger ages upto 30 years, From age 31 to 44 it is 2% and reducing upto 1% at older age from 44 years according to graduated scale.
Mortality Rate	India Assured Lives Mortality (2012-14)

Sensitivity analysis:

The above sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (projected unit credit method) has been applied as when calculating the defined benefit obligation recognised within the statement of financial position.

Note 13 : Financial Liabilities

13.1 Other Financial Liabilities

INR in Lakhs

S.No.	Particulars	31st March 2023	31st March 2022
i)	Payable to employees	16.39	22.53
ii)	Expenses Payable	56.11	16.09
	Closing Balance	72.50	38.62

टिप्पणी-14: अन्य वर्तमान देयता

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
i)	देय ड्यूटी एवं कर	61.20	32.16
iii)	सर्विस के अधीन अग्रिम	-	8.90
अंत शेष		61.20	41.06

टिप्पणी-15: प्रचालनों से राजस्व

भारतीय लाख रुपए में

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए
i)	निम्नलिखित से परामर्षी सेवा शुल्क सिंडिकेशन	-	-
ii)	परामर्ष	1,108.71	614.15
iii)	आईआईएफसी यूके	207.57	583.94
iv)	सरकारी अनुदान	8.90	-
अंत शेष		1,325.18	1,198.09

टिप्पणी-16: अन्य आय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए
(I)	गैर संबंधित और आवर्ती		
i)	सावधि जमा पर ब्याज आय	111.93	110.95
ii)	आईटी रिफंड पर ब्याज आय	-	-
iii)	कर्मचारी ऋण पर अनवाइडिंग ब्याज	5.14	3.14
(II)	संबंधित और आवर्तक व्यय की प्रतिपूर्ति	15.60	0.52
(III)	संबंधित और अनावर्ती		
	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण लाभ/(हानि)।	(4.01)	2.15
(IV)	असंबंधित और अनावर्ती		
	सूचना वेतन वसूली	-	1.45
अंत शेष		128.66	118.20

टिप्पणी-17: कर्मचारी लाभ व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए
i)	वेतन और मजदूरी	428.89	363.02
ii)	परामर्शदाता शुल्क	403.50	155.28
iii)	उप परामर्शदाता शुल्क	18.31	6.40
iv)	सेवानिवृत्ति लाभ के लिए अंशदान	24.31	-
v)	स्टॉफ वेलफेयर व्यय	49.36	42.84
vi)	आउटसोर्स स्टॉफ लागत	68.87	55.93
vii)	स्टॉफ लागत का ऋण परिशोधन	1.50	0.91
अंत शेष		994.74	624.39

Note 14 : Other Current Liabilities

S.No.	Particulars	31st March 2023	31st March 2022
i)	Duties & Taxes Payable	61.20	32.16
iii)	Advance against service	-	8.90
Closing Balance		61.20	41.06

Note 15 : Revenue from operations

INR in Lakhs

S.No.	Particulars	For the year ended 31st March 2023	For the year ended 31st March 2022
	Advisory Service Fee from:		
i)	Syndication	-	-
ii)	Consultancy	1,108.71	614.15
iii)	IIFC UK	207.57	583.94
iv)	Government Grant	8.90	-
Closing Balance		1,325.18	1,198.09

Note 16 : Other Income

S.No.	Particulars	For the year ended 31st March 2023	For the year ended 31st March 2022
(I)	Non Related and recurring		
i)	Interest Income On Fixed Deposits	111.93	110.95
ii)	Interest income on IT refund	-	-
iii)	Unwinding interest on employee loan	5.14	3.14
(II)	Related and recurring		
	Reimbursement of expenses	15.60	0.52
(III)	Related and non-recurring		
	Gain/(Loss) on account of Foreign exchange Fluctuation	(4.01)	2.15
(IV)	Non Related and non-recurring		
	Notice Pay Recovery	-	1.45
Closing Balance		128.66	118.20

Note 17 : Manpower Benefit Expenses

S.No.	Particulars	For the year ended 31st March 2023	For the year ended 31st March 2022
i)	Salaries and Wages	428.89	363.02
ii)	Consultants Fee	403.50	155.28
iii)	Sub consultants fee	18.31	6.40
iv)	Stipend to Research Associates	24.31	-
v)	Contribution to Retiral Benefits	49.36	42.84
vi)	Outsourced Staff cost	68.87	55.93
vii)	Amortisation of staff cost	1.50	0.91
Closing Balance		994.74	624.39

टिप्पणी-18: अन्य व्यय (जारी)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए
i)	लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	0.48	0.43
ii)	किराया	91.64	80.37
iii)	पेंट्री, पार्किंग और कार्यालय रखरखाव	8.25	11.15
iv)	यात्रा व्यय	68.76	24.40
v)	विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	11.21	8.15
vi)	दरें एवं कर	0.00	0.28
vii)	प्रिंटिंग एवं स्टेशनर	7.53	2.30
viii)	कम्प्यूटर परिचालन एवं अनुरक्षण	6.54	2.74
ix)	वाहन परिचालन एवं अनुरक्षण	1.83	1.65
x)	मरम्मत एवं अन्य रखरखाव	0.18	0.11
xi)	संचार व्यय	3.28	3.07
xii)	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	43.36	35.18
अंत शेष		243.06	169.83

टिप्पणी-18.1: लेखापरीक्षकों को भुगतान का विवरण

लेखापरीक्षकों को भुगतान	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए
लेखापरीक्षक के रूप में:		
वैधानिक लेखापरीक्षक	0.25	0.22
कर लेखापरीक्षा	0.11	0.11
सीमित समीक्षा	0.12	0.10
कुल	0.48	0.43

टिप्पणी-19: वर्तमान कर

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए
	वर्तमान आयकर		
	वर्तमान आयकर प्रभार	62.68	160.63
	पिछले वर्ष के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन	-	-
	आस्थगित कर		
	अस्थायी अंतरों के उदय एवं रिवर्सल से संबद्ध	(12.67)	(19.79)
अंत शेष		50.01	140.84

Note 18 : Other Expenses

S.No.	Particulars	For the year ended 31st March 2023	For the year ended 31st March 2022
i)	Auditor Remuneration	0.48	0.43
ii)	Rent	91.64	80.37
iii)	Pantry, Parking & Office Maintenance	8.25	11.15
iv)	Tour & Travelling Expenses	68.76	24.40
v)	Legal & Professional Expenses	11.21	8.15
vi)	Rates & Taxes	0.00	0.28
vii)	Printing & Stationery	7.53	2.30
viii)	Computer Running & Maintenance	6.54	2.74
ix)	Vehicle Running & Maintenance	1.83	1.65
x)	Repairs & Maintenance Others	0.18	0.11
xi)	Communication Expenses	3.28	3.07
xii)	Administrative & Other Expenses	43.36	35.18
Closing Balance		243.06	169.83

Note 18.1 Details of payments to Auditor

Payment to Auditors	For the year ended 31st March 2023	For the year ended 31st March 2022
As Auditor:		
Statutory Audit	0.25	0.22
Tax Audit	0.11	0.11
Limited Review	0.12	0.10
Total	0.48	0.43

Note 19 : Current Tax

S.No.	Particulars	For the year ended 31st March 2023	For the year ended 31st March 2022
	Current Income Tax		
	Current Income Tax charge	62.68	160.63
	Adjustments in respect of current income tax of previous year	-	-
	Deferred Tax		
	Relating to origination and reversal of temporary differences	(12.67)	(19.79)
Closing Balance		50.01	140.84

टिप्पणी-20: अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

20.1 अन्य व्यापक आय के घटक (ओसीआई)

इक्विटी में हर प्रकार की आरक्षित निधि में ओसीआई में परिवर्तन को नीचे अलग-अलग दर्शाया गया है

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए
	निर्धारित लाभकारी योजनाओं का पुनः मापन मदों से संबंधित आयकर जिसे लाभ और हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	2.66 (0.67)	2.53 (0.64)
	अंत शेष	1.99	1.89

20.2 वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए
	परिभाषित लाभकारी योजनाओं के पुनः मापन पर शुद्ध हानि/लाभ	(0.67)	(0.64)
	अंत शेष	(0.67)	(0.64)

Note 20 : Other Comprehensive Income (OCI)**20.1 Components of Other Comprehensive Income (OCI)**

The disaggregation of changes to OCI by each type of reserve in equity is shown below

S.No.	Particulars	For the year ended 31st March 2023	For the year ended 31st March 2022
	Remeasurement of Defined benefit plans	2.66	2.53
	Income Tax relating to Items that will not be reclassified to profit and loss	(0.67)	(0.64)
	Closing Balance	1.99	1.89

20.2 Deferred tax related to items recognised in OCI during the year:

S.No.	Particulars	For the year ended 31st March 2023	For the year ended 31st March 2022
	Net Loss/gain on Remeasurement of Defined benefit plans	(0.67)	(0.64)
	Closing Balance	(0.67)	(0.64)

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 21: लेखा अनुपात

क्र. सं.	अनुपात का नाम	मीटर	भाजक	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	परिवर्तन	पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25: से अधिक परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण
1	वर्तमान अनुपात (समय में)	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	लब्ज.25	7.22	42%	सावधि जमा में वृद्धि
2	ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल ऋण	हिस्सेदारी				लागू नहीं, क्योंकि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में)	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा				लागू नहीं, क्योंकि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है
4	इक्विटी अनुपात पर वापसी (: में)	करों के बाद शुद्ध लाभ	औसत शोयस्थारक की इक्विटी	18-11%	13.33%	36%	टर्नओवर में वृद्धि
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	संचालन से राजस्व	औसत सूची				लागू नहीं, क्योंकि कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है
6	व्यापार प्राय टर्नओवर अनुपात (समय में)	शुद्ध क्रेडिट राजस्व संचालन से	औसत व्यापार प्राय	5.95	4.66	28%	टर्नओवर में वृद्धि
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	नेट क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय				लागू नहीं, क्योंकि कोई व्यापार देय नहीं है
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)	संचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	0.52	0.53	-1%	लागू नहीं
9	शुद्ध लाभ अनुपात (% में)	करों के बाद शुद्ध लाभ	संचालन से राजस्व	31.34%	34%		टर्नओवर में वृद्धि
10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (% में)	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी	21.10%	16.74%	26%	टर्नओवर में वृद्धि
11	निवेश पर रिटर्न (% में)	करों के बाद शुद्ध लाभ	औसत पूंजी नियोजित	12.56%	35%		टर्नओवर में वृद्धि

IIFCL PROJECTS LIMITED

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2023

Note 21 : Accounting ratios

S. No.	Name of the Ratio	Numerator	Denominator	31st March 2023	31st March 2022	Change	Explanation for change in the ratio by more than 25% as compared to the previous year
1	Current Ratio (in times)	Current Assets	Current Liabilities	9.21	10.93	-16%	Increase in fixed Deposits
2	Debt-Equity Ratio (in times)	Total Debt	Equity	Not Applicable, as no debt on the company			
3	Debt Service Coverage Ratio (in times)	Earnings available for debt service	Debt Service	Not Applicable, as no debt on the company			
4	Return on Equity Ratio (in %)	Net Profits after taxes	Average Shareholder's Equity	6.65%	18.11%	-63%	Decline in Profits due to increase in expenses
5	Inventory turnover ratio (in times)	Revenue from operations	Average Inventory	Not Applicable , as no inventory held by the company			
6	Trade Receivables turnover ratio (in times)	"Net credit revenue from operations"	Average Trade Receivables	3.26	5.95	-45%	Increase in Turnover
7	Trade payables turnover ratio (in times)	Net credit Purchases	Average Trade Payables	Not Applicable , as no trade payables			
8	Net capital turnover ratio (in times)	Revenue from operations	Working Capital	0.55	0.52	5%	Increase in Turnover & Working Capital
9	Net profit ratio (in %)	Net Profits after taxes	Revenue from operations	11.90%	31.34%	-62%	Decline in Profits due to increase in expenses
10	Return on Capital employed (in %)	Earnings Before Interest and taxes	Capital Employed	7.87%	21.10%	-63%	Decline in Profits due to increase in expenses
11	Return on investment (in %)	Net Profits after taxes	Average Capital Employed	6.24%	17.00%	-63%	Decline in Profits due to increase in expenses

Definitions:

- Net credit sales = Net credit sales consist of gross credit sales minus sales return
- Average trade receivables = (Opening trade receivables balance + Closing trade receivables balance) / 2
- Working capital = Current assets - Current liabilities
- Earnings Before Interest and taxes = Profit before tax + Finance costs
- Capital Employed = Equity + Non-current Liabilities

टिप्पणी-22: विदेशी मुद्रा में व्यय: 31.03.2023 को शून्य

टिप्पणी-23: आकस्मिक देयताएं- 31.03.2023 को शून्य

टिप्पणी-24: 31.03.2023 को पूंजी प्रतिबद्धता

टिप्पणी-25: प्रबंधकीय पारिश्रमिक

भारतीय लाख रुपए में

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अल्पावधि कर्मचारी लाभ		
वेतन एवं भत्ते	54.00	54.00
रोजगार पश्चात लाभ	शून्य	शून्य
कुल	54.00	54.00

टिप्पणी-26: उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणीवार वित्तीय तंत्र

विवरण	31 मार्च 2023			31 मार्च 2022		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	ऋण परिशोधन लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	ऋण परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
कर्मचारियों को ऋण			95.84			46.62
प्राप्य व्यापार	-	-	654.80	-	-	158.87
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	293.19	-	-	368.14
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	-	-	1,641.26	-	-	1,918.22
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			52.06			52.37
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	2,737.16	-	-	2,544.22
वित्तीय देयताएं						
उधार	-	-	-	-	-	-
प्राप्य व्यापार	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं			72.50			38.62
कुल वित्तीय देयताएं	-	-	72.50	-	-	38.62

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य जिसे ऋण वसूली लागत पर आंका जाता है

विवरण	31 मार्च 2023		31 मार्च 2022	
	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
कर्मचारियों को ऋण	95.84	77.91	46.62	38.62
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	52.06	52.06	52.37	52.37
कुल परिसंपत्तियां	147.90	129.97	98.99	91.00
वित्तीय देयताएं				
अन्य वित्तीय देयताएं	72.50	72.50	38.62	38.62
	72.50	72.50	38.62	38.62

Notes on Financial Statements for the year ended on 31st March 2023**Note 22 : Expenditure in Foreign currency- NIL as on 31.03.2023****Note 23 : Contingent Liabilities- NIL as on 31.03.2023****Note 24 : Capital Commitment- NIL as on 31.03.2023****Note 25 : Managerial Remuneration****INR in Lakhs**

Particulars	31st March 2023	31st March 2022
Short Term Employee Benefits		
Salary and allowances	54.00	54.00
Post employment benefits	Nil	Nil
Total	54.00	54.00

Note 26 : Fair Value Measurements**(i) Financial Instruments by Category**

Particulars	31 March 2023			31 March 2022		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost
Financial Assets						
Loans to Employees			95.84			46.62
Trade Receivables	-	-	654.80	-	-	158.87
Cash and Cash Equivalents	-	-	293.19	-	-	368.14
Bank Balances other than Cash and Cash equivalent	-	-	1,641.26	-	-	1,918.22
Other Financial Assets			52.06			52.37
Total Financial Assets	-	-	2,737.16	-	-	2,544.22
Financial Liabilities						
Borrowings	-	-	-	-	-	-
Trade Payables	-	-	-	-	-	-
Other financial liabilities			72.50			38.62
Total Financial Liabilities	-	-	72.50	-	-	38.62

(ii) Fair value of financial assets and liabilities that are measured at amortised cost:

Particulars	31st Mar 2023		31st Mar 2022	
	Carrying value	Fair value	Carrying value	Fair value
Financial Assets				
Loans to Employees	95.84	77.91	46.62	38.62
Other Financial Assets	52.06	52.06	52.37	52.37
Total Assets	147.90	129.97	98.99	91.00
Financial Liabilities				
Other financial liabilities	72.50	72.50	38.62	38.62
	72.50	72.50	38.62	38.62

व्यापार प्राप्य, नकदी एवं नकदी समतुल्य, बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं अन्य वित्तीय देयताओं की वहन राशि उनकी संक्षिप्त अवधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के अनुसार विचार की जाती है।

ऋणों के लिए उचित मूल्य की गणना वर्तमान उधार दर का उपयोग करके छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम सहित गैर-अवलोकन योग्य इनपुट को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य उत्तराधिकार के स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उचित मूल्य उत्तराधिकार

स्तर 1— समान परिसंपत्तियों या बाध्यताओं के लिए सक्रिय मार्केट में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्य के अलावा इनपुट जो परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप में (अर्थात् मूल्यों से लिए गए) आवश्यक होते हैं।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट जो देखे जा सकने वाले मार्केट इनपुट पर आधारित नहीं होते हैं।

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य के क्रम की ऋण वसूली लागत पर माप को दर्शाया गया है:

31.03.2023 को

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 4
वित्तीय परिसंपत्तियां ऋण परिषोषण लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां कर्मचारियों को ऋण	-	-	77.91	77.91
			77.91	77.91

31.03.2022 को

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 4
वित्तीय परिसंपत्तियां ऋण परिषोषण लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां कर्मचारियों को ऋण	-	-	38.62	38.62
			38.62	38.62

टिप्पणी 27 – प्रति शोयर अर्जन

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
मूल ईपीएस		
चल रहे प्रचालनों से	3.32	7.90
रोके गए प्रचालनों से	-	-
तनुकृत ईपीएस		
चल रहे प्रचालनों से	3.32	7.90
रोके गए प्रचालनों से		

The carrying amounts of Trade Receivables, Cash and cash equivalents, Bank Balances, other financial assets and other financial liabilities are considered to be the same as their Fair values, due to their short term nature.

The Fair value for loans were calculated based on cash flows discounted using the current lending rate. They are classified as Level 3 Fair Values in the fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable input including counterparty credit risk.

Fair Value hierarchy

Level 1- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities

Level 2- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived form prices)

Level 3- Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs)

The following table presents the fair value measurement hierarchy of financial assets and liabilities measured at amortised cost:-

As at 31-03-2023

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets				
Financial assets at Amortised Cost				
Loans to Employees	-	-	77.91	77.91
			77.91	77.91

As at 31-03-2022

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets				
Financial assets at Amortised Cost				
Loans to Employees	-	-	38.62	38.62
			38.62	38.62

Note 27 : Earnings Per Share

Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st Mar 2022
Basic EPS		
From continuing Operations	3.32	7.90
From discontinuing Operations	-	-
Diluted EPS		
From continuing Operations	3.32	7.90
From discontinuing Operations		

27.1 प्रति शेयर बेसिम आमदनी

प्रति शेयर बेसिक आमदनी की गणना के लिए उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की आमदनी और भारित औसत संख्या

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभ:		
चल रहे प्रचालनों से	155.68	373.59
रोके गए प्रचालनों से	-	-
बेसिक ईपीएस की गणना में उपयोग की गई आमदनी	155.68	373.59
प्रति शेयर बेसिक आमदनी के उद्देश्य से शेयरों की भारित	47.50	47.50

27.2 प्रति शेयर तनुकृत आमदनी

प्रति शेयर तनुकृत आमदनी की गणना के लिए उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की आमदनी और भारित औसत संख्या

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभ:		
चल रहे प्रचालनों से	155.68	373.59
रोके गए प्रचालनों से	-	-
बेसिक ईपीएस की गणना में उपयोग की गई आमदनी	155.68	373.59
प्रति शेयर बेसिक आमदनी के उद्देश्य से शेयरों की भारित	47.50	47.50

टिप्पणी 28 : एंड-एएस 24 "संबद्ध पार्टी प्रकटन द्वारा अपेक्षित संबंधित पार्टी प्रकटन

28.1 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री पी आर जयषंकर – अध्यक्ष एवं निदेशक

श्री पलाश श्रीवास्तव – निदेशक एवं उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

28.2 वे उपक्रम जिनमें निदेशक का ब्याज होता है: शून्य

28.3 होल्डिंग कंपनी: इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

सहायक कंपनी: आईआईएसीएल एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड

आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड

27.1 Basic Earning Per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of basic earning per share:-

Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st Mar 2022
Profit attributable to equity holders of the company:		
From continuing Operations	155.68	373.59
From discontinuing Operations	-	-
Earnings used in calculation of Basic EPS	155.68	373.59
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	47.50	47.50

27.2 Diluted Earning Per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of diluted earning per share:-

Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st Mar 2022
Profit attributable to equity holders of the company:		
From continuing Operations	155.68	373.59
From discontinuing Operations	-	-
Earnings used in calculation of Diluted EPS	155.68	373.59
Weighted average number of shares for the purpose of diluted earnings per share	47.50	47.50

Note 28. Related Party disclosures as required by Ind-AS 24 “Related party Disclosure”**28.1 Key Management Personnel**

Shri P.R.Jaishankar - Chairman & Director

Shri Rajeev Mukhija - Chief Executive Officer

Shri Palash Srivastava - Director & Deputy Chief Executive Officer

28.2 Enterprises in which Directors interest exist- NIL**228.3 Holding Company:**

Associate Concern: IIFCL Asset Management Company Limited

IIFC (UK) Limited

28.4 संबंधित पार्टियों से लेनदनों का प्रकटन

भारतीय लाख रु. में

विवरण	लेनदेन		बकाया राशि (असुरक्षित, अच्छी माने जाने वाली)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड				
प्रतिपूर्तियां:			2.51	7.77
किराया:	91.64	80.37	-	-
पेंट्री, पार्किंग और कार्यालय रखरखाव	8.25	11.15	-	-
प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के वेतन की प्रतिपूर्ति (प्राप्य)	66.80	134.03	-	-
सलाहकार शुल्क	8.34	0.95	-	-
कुल	175.03	226.50	2.51	7.77
2. आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड				
परामर्शी शुल्क	207.57	583.94	44.20	6.38
अन्य प्रतिपूर्तियां	0.09	0.15	-	-
कुल	207.66	584.09	44.20	6.38
3 श्री पलाश श्रीवास्तव				
पारिश्रमिक	54.00	54.00	4.50	-

*प्राप्य राशि

नोट 29: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-3 द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त विनियामक जानकारी

- i) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकारी या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टश्र के रूप में घोषित नहीं किया गया है।
- ii) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है।
- iii) बेनामी संपत्ति का विवरण: बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति धारण करने के लिए समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रारंभ या लंबित नहीं है।
- iv) वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास अभी तक कोई प्रभार या संतुष्टि दर्ज नहीं की जानी है।
- v) अनुमोदित योजना एवं व्यवस्था का अनुपालन: कंपनी किसी ऐसी व्यवस्था की योजना में शामिल नहीं हुई है जिसके कारण वर्तमान या पूर्व वित्तीय वर्ष पर कोई लेखांकन प्रभाव पड़ा हो।
- vi) अघोषित आय: आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्तमान या पिछले वर्ष के दौरान आय के रूप में कोई आय सरेंडर या प्रकटित नहीं की गई है जो लेखा बहियों में दर्ज नहीं की गई हो।
- vii) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण: कंपनी ने वर्तमान या पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- viii) पीपीएंडई, अमूर्त परिसंपत्ति एवं निवेश संपत्ति का मूल्यांकन: कंपनी ने वर्तमान या पिछले वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (परिसंपत्तियों के उपयोग अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों को पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- ix) कंपनी ने मांग पर चुकाने योग्य या चुकौती की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट किए बिना ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

28.4 Disclosure of transactions with related parties

INR in Lakhs

Particulars	Transactions		Outstanding Amount (Unsecured, Considered Good)	
	31-Mar-23	31-Mar-22	31-Mar-23	31-Mar-22
1. India Infrastructure Finance Company Limited				
Reimbursements:			2.51	7.77
Rent:	91.64	80.37	-	-
Pantry, Parking & Office Maintenance	8.25	11.15	-	-
Reimbursement of salary of deputed employees (Receivable)	66.80	134.03	-	-
Advisory Fee	8.34	0.95	-	-
Total	175.03	226.50	2.51	7.77
2. IIFC(UK) Limited				
Advisory Fee	207.57	583.94	44.20	6.38
Other Reimbursements	0.09	0.15	-	-
Total	207.66	584.09	44.20	6.38
3 Shri Palash Srivastava				
Remuneration	54.00	54.00	4.50	-

* Amount Receivable

Note 29. Additional regulatory information required by Schedule III of Companies Act, 2013

- i) The Company has not been declared as a Wilful Defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.
- ii) The Company did not have any material transactions with companies struck off under Section 248 of the Companies Act, 2013 or Section 560 of Companies Act, 1956 during the financial year.
- iii) **Details of Benami property:** No proceedings have been initiated or are pending against the Group for holding any Benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and the rules made thereunder.
- iv) No charges or satisfaction yet to be registered with Registrar of Companies beyond the statutory period.
- v) **Compliance with approved scheme(s) of arrangements:** The Company has not entered into any scheme of arrangement which has an accounting impact on current or previous financial year.
- vi) **Undisclosed income:** There is no income surrendered or disclosed as income during the current or previous year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961, that has not been recorded in the books of account.
- vii) **Details of crypto currency or virtual currency:** The Company has not traded or invested in crypto currency or virtual currency during the current or previous year.
- viii) **Valuation of PP&E, intangible asset and investment property:** The Company has not revalued its property, plant and equipment (including right-of-use assets) or intangible assets or both during the current or previous year.
- ix) The Company has not granted any loans or advances in the nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment.

टिप्पणी 30– डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार प्रचालन लाभ/हानि का प्रकटन

11.05.2023 को निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था

हमारी समान तिथि को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते चंदर प्रकाश एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./—

दिशांत खट्टर
(साझेदार)
सदस्य सं. 540382
एफआरएन01077एन
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.05.2023

हस्ता./—

पलाश श्रीवास्तव
(निदेशक एवं डिप्टी सीईओ)
(डीआईएन: 02007911)

हस्ता./—

पी आर जयशंकर
(निदेशक)
(डीआईएन: 6711526)

Note 30. Approval of financial statement

The financial statements were approved for issue by the Board of Directors on 11.05.2023

As per Our Report on even Date Annexed

**FOR CHANDER PARKASH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS**

**For and on behalf of
the Board of Directors of IIFCL Projects Limited**

Sd/-
Dishant Khatter
(Partner)
M.No. 540382

Sd/-
Palash Srivastava
(Director & Deputy CEO)
(DIN : 02007911)

Sd/-
P R Jaishankar
(Director)
(DIN : 6711526)

FRN 010770N

Place : New Delhi

Dated : 11.05.2023

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

टिप्पणी-1

1. कॉर्पोरेट जानकारी:

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल), 14 फरवरी 2012 को निगमित एक लिमिटेड कंपनी है। इसे संघ सरकार की कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कंपनी पंजीयक, दिल्ली में पंजीकृत है। इसके अधिकृत शेयर पूंजी रु. 100,000,000 और चुकता पूंजी रु. 47,500,000 है। आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल), भारत सरकार के उपक्रम इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है। आईआईएफसीएल, भारत में एक प्रमुख अवसंरचना वित्तपोषण संस्थान ने आईपीएल को एक समर्पित परियोजना सलाहकार कंपनी के रूप में बढ़ावा दिया है जो परियोजना मूल्यांकन, सिंडिकेशन, लेनदेन सलाहकार और बुनियादी ढांचा परामर्श सेवाओं के क्षेत्र में शामिल है। कंपनी सड़कों, राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, नवीकरणीय सहित बिजली, पर्यटन, शहरी बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि सहित बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए सलाहकार सेवाओं की मांग को पूरा करती है।

2. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

इंड एस के साथ अनुपालन

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) (समझौता (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015) (समय-समय पर यथासंशोधित) एवं अधिनियम के अन्य संगत प्रावधानों के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एस) के सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करते हैं।

मापन का आधार

वित्तीय विवरण निम्नलिखित मद्दों जो संगत इंड-एस द्वारा अपेक्षित अंकित मूल्य पर मापे गये हैं, को छोड़कर एतिहासिक लागत परिपाटी एवं उपार्जित आधार पर तैयार किए गए हैं।

- परिभाषित हितलाभ योजना और अंकित मूल्य पर मापे गये अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ
- अंकित मूल्य पर मापे गये कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां।

अनुमानों एवं निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करना इंड एस के अनुरूप है जो निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने के लिए जो लेखांकन नीतियों के आवेदन को प्रभावित करते हैं और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देनदारियों, आकस्मिक संपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण एवं आय एवं व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। ऐसे अनुमानों के उदाहरणों में कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के तहत भविष्य के दायित्वों का अनुमान एवं संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन शामिल है, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों में परिवर्तन के कारण भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक होते हैं। सभी वित्तीय जानकारी भारतीय रूप में प्रस्तुत की जाती है और सभी मूल्यों को 2 दशमलव स्थानों तक निकटतम लाख में बदल दिया जाता है सिवाय इसके कि जहां अन्यथा कहा गया हो।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों में परिवर्तन के कारण भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम एवं अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक होते हैं।

सभी वित्तीय जानकारी भारतीय रूप में प्रस्तुत की जाती है और सभी मूल्यों को 2 दशमलव स्थानों तक निकटतम लाख में बदल दिया जाता है, सिवाय इसके लिए जहां अन्यथा कहा गया हो।

नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है जिससे गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगित या उपार्जन के लिए कर से पहले लाभ/(हानि) को समायोजित किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

NOTE 1

1. Corporate Information:

IIFCL Projects Limited is a Limited Company incorporated on 14 February 2012. It is classified as Union Govt company and is registered at Registrar of Companies, Delhi. Its authorized share capital is Rs. 100,000,000 and its paid up capital is Rs. 47,500,000. **IIFCL Projects Ltd. (IPL)**, is a wholly owned subsidiary of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL), a Government of India Enterprise. IIFCL, a premier infrastructure financing institution in India, has promoted IPL as a dedicated project advisory company involved in the areas of project appraisal, syndication, transaction advisory, and infrastructure consultancy services. The company caters to the demand for advisory services to projects across the spectrum of infrastructure sector including roads, highways, ports, airports, power including renewable, tourism, urban infrastructure like water supply & sewerage projects, solid waste management etc.

2. Basis of Preparation of Financial Statements

Compliance with IND AS

The Financial Statements comply in all material aspects with Indian Accounting Standards (IND AS) notified under section 133 of the Companies Act, 2013 (the act) [Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015] (as amended from time to time) and other relevant provisions of the Act.

Basis for Measurement

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on an accrual basis, except for the following items that have been measured at fair value as required by relevant Ind-AS.

- i. Defined benefit Plan and other long-term employee benefits measured at fair value
- ii. Certain financial assets and liabilities measured at fair value

Use of estimates and judgment

The preparation of financial statements is in conformity with Ind AS, requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates include estimates of future obligations under employee retirement benefit plans and estimated useful life of property, plant and equipment actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialize.

All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lacs upto 2 decimal places except where otherwise stated.

Cash Flow Statement

Cash flow statement is reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing, and financing activities of the company are segregated based on the available information.

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

संयंत्र एवं उपकरण एतिहासिक लागत को घटाकर मूल्यह्रास और इम्पेयरमेंट हानि, यदि कोई हो, पर वर्णित किये गये हैं। एतिहासिक लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होता है।

इंड-एएस में परिवर्तन के लिए कंपनी ने 1 अप्रैल, 2018 (ट्रांजिशन तिथि) को पिछले जीएएपी के अनुसार मापी गई अपनी सभी मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियों के अग्रणी मूल्य को जारी रखने को चुना है और ट्रांजिशन तिथि के अनुसार उस मूल्य को अपनी मानी गई लागत के रूप में उपयोग किया है।

बाद की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा कि उपयुक्त है, केवल तभी जब यह सक्षम हो कि मुद्दों से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ को भली-भांति जांचा जाएगा। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में हिसाब किए गए किसी भी घटक की अग्रणीत राशि को प्रतिस्थापित किए जाने पर अमान्य कर दिया जाता है। अन्य सभी मरम्मत एवं रखरखाव की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ एवं हानि के विवरण के लिए प्रभाषित किया जाता है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक वस्तु और प्रारंभिक रूप से मान्यताप्राप्त किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, तो इसे अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति की अमान्यता पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना) को लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जब संपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है।

मूल्यह्रास प्रक्रियाएं

मूर्त परिसंपत्तियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 में लिखित मूल्य पद्धति के बाद प्रदान किए गए तरीके का उपयोग करके मूर्त अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत संपत्ति लागत रु. 5000/- या उससे कम के लाभ और हानि के विवरण पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियां को उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी उपयोग पर लिखित मूल्य के आधार पर परिशोधित किया जाता है। अधिग्रहीत सॉफ्टवेयर का अनुमानित उपयोगी जीवन परिमित (3 वर्ष) है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिशोधन विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन

(1) कार्यात्मक एवं प्रस्तुति मुद्रा

इकाई के वित्तीय विवरणों में शामिल वस्तुओं को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें इकाई संचालित ("कार्यात्मक मुद्रा") होती है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में तैयार किए जाते हैं जो इकाई की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है।

(2) लेनदेन एवं शेष

लेनदेन की तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके विदेशी मुद्रा लेनदेन को कार्यात्मक मुद्रा में बदला जाता है। इस तरह के लेनदेन से होने वाली विदेशी मुद्रा लाभ और हानि तथा विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों के लेनदेन से 00:65etAaiige दरों को आम तौर पर लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में संपत्ति और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

Property, plant and equipment

Plant and equipment are stated at historical cost less depreciation and impairment loss, if any. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

For transition to IND-AS, the company has elected to continue with the carrying value of all its tangibles and intangibles assets recognized as on April 1, 2018 (transition date) measured as per the previous GAAP and use that carrying value as its deemed cost as on the transition date.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the items will flow to the company and the cost of the item can be

measured reliably. The carrying amount of any component accounted for as a separate asset is derecognized when replaced. All other repairs and maintenance are charged to the Statement of Profit and Loss during the reporting period in which they are incurred.

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognized is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit and loss when the asset is derecognized.

Depreciation methods

Tangible Assets

Depreciation of Tangible fixed assets is provided using the the manner provided in Schedule II of the Companies Act, 2013 following written down value method. Depreciation on individual assets having cost Rs. 5000/- or less is charged at 100% to the statement of profit and loss

Intangible Assets

Intangible assets are amortized over their respective estimated useful lives on a written down value basis from the date that they are available for use.

The estimated useful life of acquired softwares are finite (3 years). Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date.

Foreign Currency translation

(i) Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the entity are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The financial statements are prepared in Indian rupee (INR) which is functional and presentation currency of the entity.

(ii) Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates at the date of transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from such transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at year end exchange rates are generally recognized in profit or loss.

Current versus Non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the Balance Sheet based on current/non-current classification.

एक परिसंपत्ति को वर्तमान के रूप में माना जाता है जब यह प्राप्त होने की उम्मीद है या सामान्य परिचालन चक्र में बेचे जाने या उपभोग करने का इरादा है।

- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माह के भीतर प्राप्त होने का अनुमान है, या
- नकद या नकद समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए प्रतिबंधित न हो

सभी अन्य परिसंपत्तियां गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

एक दायित्व वर्तमान है जब:

- यह सामान्य परिचालन चक्र में निपटान किये जाने का अनुमान है
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माह के भीतर निपटाया जाना है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अडि कार नहीं है।

अन्य सभी दायित्वों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं दायित्वों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

व्यवसाय की प्रकृति और व्यवसाय चलाने के लिए संपत्ति के अधिग्रहण और नकद एवं नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर कंपनी ने परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को बारह मा के रूप में निर्धारित किया है।

गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

एक परिसंपत्ति को इम्पैयर्ड तब माना जाता है जब संपत्ति की वहन लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है और हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में लगाया जाता है जिसमें एक संपत्ति को इम्पैयर्ड के रूप में पहचाना जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी की हानि की अनुमानित राशि का आकलन करती है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई बदलाव हुआ है और ऐसी हानियां या तो मौजूद नहीं है या कम हो गई है, तो पूर्व लेखा अवधि में मान्यता प्राप्त हानि को उलट दिया जाता है। नुकसान, यदि कोई हो, का उलटना लाभ एवं हानि के विवरण में पहचाना जाएगा। तथापि, वर्ष के दौरान ऐसी किसी हानि की पहचान नहीं की गई है।

व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य को शुरू में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है और बाद में किसी भी अपेक्षित क्रेडिट हानि, यदि कोई हो, के परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

नकद एवं नकद समतुल्य

नकदी में स्वयं के पास नकदी, बैंकों में जमा डिमांड, डाक प्राधिकरणों के पास अग्रदाय और स्वयं के पास चेक/ड्राफ्ट/पे आर्डर शामिल हैं। कंपनी नकद समकक्षों को सभी अल्पावधि शेष (अधिग्रहण की तारीख से तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश जो नकद की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय है और जो परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण जोखिम के अधीन है, के मूल्य के रूप में मानती है।

वित्तीय साधन

(1) प्रारंभिक पहचान एवं मापन

वित्तीय साधनों को इसके उचित मूल्य प्लस या माइनस लेनदेन लागतों पर पहचाना जाता है जो सीधे वित्तीय साधनों के अधिग्रहण या जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं।

An assets is treated as current when it is:

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle
- Expected to be realized within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

Based on the nature of business and the time between the acquisition of assets for running the business and their realization in cash and cash equivalents, the company has ascertained its operating cycle as twelve months for the purpose of current/ non-current classification of assets and liabilities.

Impairment of non-financial assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value and impairment loss is charged to the Statement of Profit & Loss in the year in which an asset is identified as impaired. At each reporting date company assesses the estimate amount of impairment loss. The impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount and such losses either no longer exists or has decreased. Reversal of impaired loss, if any, shall be recognized in the Statement of Profit & Loss. However, no such loss has been recognized during the year.

Trade Receivables

Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost net of any expected credit losses, in doubtful cases, if any.

Cash and cash equivalents

Cash comprises cash on hand, demand deposits with banks, imprest with postal authorities and cheques / drafts / pay order in hand. The company considers cash equivalents as all short term balances (with an original maturity of three month or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of change in value.

Financial Instrument

i) Initial recognition and measurement

Financial Instruments are recognized at its fair value plus or minus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial instruments.

(2) अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

ii) अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

• परिशोधन लागत:

वित्तीय साधन को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

- (क) वित्तीय संपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के भीतर धारित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्ति रखना और
- (ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती है जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन एवं ब्याज का भुगतान है।

वित्तीय संपत्ति कम हानि, यदि कोई हो, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापी गई है। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल किया गया है।

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में कर्मचारी ऋण और सुरक्षा जमा को परिशोधित लागत पर दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि दोनों मामलों के लिए उपरोक्त शर्त को पूरा किया गया है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य:

वित्तीय साधन यदि निम्नलिखित मानदंड को पूरा करता है तो एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

- (क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है।

वित्तीय साधन की मान्यता

• वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय संपत्तियों के समूह का हिस्सा) को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय संपत्ति और संपत्ति के स्वामित्व एवं मान्यता के सभी जोखिमों को स्थानांतरित करता है।

वित्तीय दायित्व:

वित्तीय दायित्व को तब मान्यता दी जाती है जब देयता के तहत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या निरस्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से दूसरे द्वारा काफी भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों में काफी बदलाव किया जाता है तो इस तरह के विनियम या संशोधन को मूल देयता की अमान्यता और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है और संबंधित अग्रणीत राशियों के अंतर को आय विवरण में पहचाना जाता है।

उचित मूल्य मापन

कंपनी वित्तीय साधनों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में एक परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित होता है कि संपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेनदेन निम्नानुसार होता है:

- परिसंपत्ति या दायित्व के लिए प्रधान मार्केट में या
- परिसंपत्ति या दायित्व के लिए प्रधान बाजार की उपलब्धता न होने पर अति आधुनिक मार्केट में।

प्रधान या सबसे फायदेमंद बाजार कंपनी के लिए सुलभ होना चाहिए। किसी आस्ति या दायित्व का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागी आस्ति या दायित्व का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे, यह

ii) Subsequent measurement**Financial Assets are classified in following three categories:**

- **Amortised Cost:**

A financial instrument shall be measured at amortised cost if both of the following conditions are met:

- (a) the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and
- (b) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets measured at amortised cost using effective interest rate (EIR) method less impairment if any. The EIR amortisation is included in finance income in the statement of profit and loss.

In IIFCL projects limited, employee loans and security deposits are being recorded at amortised cost, as the above mentioned conditions are fulfilled for both the cases.

- **Fair value through Other Comprehensive Income:**

A Financial instrument is classified as at the FVTOCI if both of the following criteria are met:

- a) The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and
- b) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets included within the FVTOCI category are initially recognized and subsequently measured at fair value. Movements in the carrying amount are recorded through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses.

- **Fair value through Profit and loss account:**

A Financial instrument is classified as at the FVTPL if both of the following criteria are met:

- a) The objective of the business model is achieved both by selling the financial assets, and
- b) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the P&L.

Further, FVTPL is a residual category for financial Assets. Any financial assets, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to designate financial asset, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. If doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency. The company has not designated any financial asset as at FVTPL.

Financial liabilities are classified in following categories:

- **Amortised Cost**

Financial liabilities at amortised cost represented by trade and other payables are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost.

मानते हुए कि बाजार सहभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। कंपनी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डाटा उपलब्ध है, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करना और अप्राप्य इनपुट के उपयोग को कम करना।

बिक्री के लिए धारित गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां (या निपटान समूह)

गैर-वर्तमान संपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाती है और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। बिक्री तभी अत्यधिक संभावित मानी जाती है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो।

वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती है जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल वित्तीय संपत्तियों को प्रारंभ में पहचाना जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। हानि लाभ या हानि की पहचान को छोड़कर अग्रणीत राशि में संचलन ओसीआई के माध्यम से दर्ज किये जाते हैं।

- **लाभ एवं हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य:**

एक वित्तीय साधन को तब एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरा करता है:

- क) वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री द्वारा व्यवसाय मॉडल के दोनों उद्देश्यों को पूरा किया जाता है और
- ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती है जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों को पीएंडएल में मान्यताप्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

इसके अलावा, एफवीटीपीएल वित्तीय संपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी वित्तीय संपत्ति जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय संपत्ति को निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करती है, जैसा कि एफवीटीपीएल में है, यदि ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। कंपनी ने एफवीटीपीएल की तरह कोई वित्तीय संपत्ति नामित नहीं की है।

वित्तीय दायित्वों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- **परिशोधित लागत:**

परिशोधित लागत पर वित्तीय दायित्वों का प्रतिनिधित्व व्यापार और अन्य शेष राशियों द्वारा शुरू में उचित मूल्य पर किया जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर किया जाता है।

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य**

कंपनी ने एफवीटीपीएल पर किसी भी वित्तीय दायित्वों को नामित नहीं किया है, इसकी संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर बिक्री की उम्मीद है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को वहन राशि और उचित मूल्य कम बिक्री लागत के रूप में बताया गया है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के बाद संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति का मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत संपत्ति एवं दायित्वों को वित्तीय स्थिति के विवरण में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि इंड एस 5 "बिक्री और बंद परिचालनों के लिए गैर-वर्तमान संपत्ति धारित" द्वारा बताए गए मानदंड अब पूरे नहीं होते हैं तो निपटान समूह को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। गैर-वर्तमान परिसंपत्ति जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होती है, को निम्नानुसार मापा जाता है (1) परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करने से पहले इसकी अग्रणीत राशि, मूल्यह्रास के लिए समायोजित जिसे मान्यता दी गइ होती है अगर उस संपत्ति को वर्गीकृत नहीं किया गया होता या बिक्री के लिए रखा गया होता और (2) इसकी वसूली योग्य राशि उस तिथि पर जब निपटान समूह को बिक्री के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

- **Fair Value Through Profit and loss.**

The company has not designated any financial liabilities at FVTPL.

Derecognition of Financial Instrument

- **Financial Asset**

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

- **Financial Liability**

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the income statement.

Fair Value Measurement

Company measures financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability, or
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Non-current Assets (or disposal groups) held for Sale

Non-current assets (or disposal groups) are classified as assets held for sale when their carrying amount is to be recovered principally through a sale transaction and a sale is considered highly probable. The sale is considered highly probable only when the asset or disposal group is available for immediate sale in its present condition, it is unlikely that the sale will be withdrawn and sale is expected within one year from the date of the classification. Disposal groups classified as held for sale are stated at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell. Property, plant and equipment and intangible assets are not depreciated or amortised once classified as held for sale. Assets and liabilities classified as held for sale are presented separately in the statement of financial position.

If the criteria stated by IND AS 5 “Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations” are no longer met, the disposal group ceases to be classified as held for sale. Non-current asset that ceases to be classified as held for sale are measured at the lower of (i) its carrying amount before the asset was classified as held for sale, adjusted for depreciation that would have been recognised had that asset not been classified as held for sale, and (ii) its recoverable amount at the date when the disposal group ceases to be classified as held for sale.

व्यापार एवं अन्य प्राप्य

ये राशियां वित्तीय वर्ष के अंत से पहले कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं के लिए दायित्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका भुगतान नहीं किया गया है। राशियां आम तौर पर अप्रतिभूत होती हैं। व्यापार एवं अन्य भुगतानों को वर्तमान देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बारह माह के भीतर भुगतान देय नहीं होता है।

प्रावधान

कंपनी एक प्रावधान को पहचानती है जब एक पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी और रचनात्मक दायित्व होता है जिसके लिए संभवतः संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होती है और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को मापा जाता है।

आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है लेकिन संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई संभावित बाध्यता या वर्तमान बाध्यता हो कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ, हो तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्ति का खुलासा वहां किया जाता है जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है।

राजस्व की गणना

राजस्व प्राप्त या प्राप्य विचार के उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रकट की गई राशि रिटर्न, छूट, मूल्य वर्धित कर और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि का निवल है।

राजस्व की पहचान तब की जाती है जब राजस्व की मात्रा को मजबूती से मापा जा सकता है, यह संभव है कि भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई के लिए प्रवाहित होंगे और नीचे वर्णित कार्यकलापों के लिए विशिष्ट मानदंड पूरे किए गए हैं। ग्राहक प्रकार, लेनदेन के प्रकार और प्रत्येक व्यवस्था की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक आधार पर परिणामों की गणना की जाती है।

• परामर्श सेवा शुल्क

परामर्श सेवा से राजस्व (सिंडिकेशन एवं कंसल्टेंसी) का उपाजित आधार पर बुक किया जाता है।

• ब्याज आय

बैंकों के पास सावधि जमाओं से ब्याज आय से राजस्व की गणना लेनदेन में लागू दर के आधार पर आनुपातिक प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाता है।

• टैक्स रिफंड पर ब्याज आय

टैक्स रिफंड पर ब्याज आय की गणना मूल्यांकन आदेश पारित होने, यदि कोई हो, के आधार पर की जाती है।

सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त होगा और इकाई सभी संलग्न शर्तों का पालन करेगी।

राजस्व आय से संबंधित सरकारी अनुदान हो स्थगित कर दिया जाता है और राजस्व को लाभ या हानि में रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के अनुपात के रूप में प्रदान की गई वास्तविक सेवाओं के आधार पर मान्यता दी जाती है।

Trade and other payables

These amounts represent liabilities for services provided to the company prior to the end of Financial year which are unpaid. The amounts are usually unsecured. Trade and other payables are presented as current liabilities unless payment is not due within twelve months after the reporting period.

Provisions

The Company recognizes a provision when there is a present legal and constructive obligation as result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period.

Contingent Liability and Contingent Asset

A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation that the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

Contingent assets is disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

Revenue Recognition

Revenue is measured at the fair value of consideration received or receivable. Amounts disclosed are net of returns, rebates, value added taxes and amount collected on behalf of third parties.

The revenue is recognized when the amount of revenue can be reliably measured, it is probable that future economic benefits will flow to the entity and specific criteria have been met for activities as described below. The basis of its estimates on historical results, taking into consideration the type of customer, the type of transaction and the specifics of each arrangement.

- **Advisory Service Fees**

Revenue from advisory service (syndication and consultancy) is booked on an accrual basis.

- **Interest Income**

Revenue from Interest Income from Fixed Deposits with Bank are recognized using the time proportion method, based on the rates implicit in the transaction.

- **Interest Income on Tax Refund**

Interest Income on Tax Refund is accounted based on the assessment orders passed, if any.

Government Grants

Grants from the government are recognized at the their fair value when there is reasonable assurance that the grant will be received and the entity will comply with all attached conditions.

Government grant relating to revenue income are deferred and revenue is recognized in profit or loss based on the actual services provided to the end of the reporting period as a proportion of the total services to be provided.

पट्टा

पट्टे जिनमें जोखिमों और रिवाइड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इकाई को पट्टेदार के रूप में स्थानांतरित नहीं किया जाता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत किए गए भुगतान (पट्टादाता से प्राप्त प्रोत्साहनों का शुद्ध) पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि पर लगाया जाता है, जब तक कि भुगतान को क्षतिपूर्ति के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ने के लिए संरचित नहीं किया जाता है। पट्टादाता की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत बढ़ जाती है। तथापि, तत्व के रूप में अपनी मूल कंपनी को खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में लीज किराया का भुगतान कर रहा है जो बाद में इसे पट्टेदार को भुगतान कर रहा है।

कर्मचारी हितलाभ

• सक्षिप्त अवधि दायित्व

सेवाएं प्रदान करने के बारह माह के भीतर पूर्ण रूप से देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पावधि कर्मचारी लाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है, उस अवधि में वेतन, मजदूरी, और अवकाश नकदीकरण आदि जैसे लाभों को मान्यता दी जाती है।

• अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ दायित्व

दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ के लिए देनदारियों को उस अवधि की समाप्ति के बाद 12 माह के भीतर पूरी तरह से निपटाने की उम्मीद नहीं है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की स्थिति का उपयोग करके लाभों में छूट दी जाती है जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों का अनुमान लगाया जाता है। अनुभव समायोजन के परिणामस्वरूप पुर्नमाप और बीमाकिक मान्यताओं में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय के तहत लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

आयकर

• वर्तमान आयकर

- क) वर्तमान आयकर सहित कर की गणना लागू कर दर और कर कानून का उपयोग करके की जाती है।
- ख) राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर की दर और कर कानून वे हैं जो उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मौलिक रूप से अधिनियमित है जहां कंपनी परिचालन करती है और कर योग्य आय उत्पन्न करती है।
- ग) वर्तमान और पूर्व अवधियों के लिए वर्तमान आयकर परिसंपत्ति और देनदारियों को कराधान प्राधिकरणों से वसूली योग्य या भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है, अतिरिक्त कर देयता, यदि कोई हो, मूल्यांकन पूरा होने पर भुगतान किया जाता है।
- घ) ओसीआई मद से संबंधित वर्तमान कर की गणन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यताप्राप्त है।

• आस्थगित आयकर

- क) आस्थगित आयकर को तुलनपत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके पहचाना जाता है।
- ख) आस्थगित आयकर संपत्तियों और देनदारियों को अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है, जिनकी गणना कर की दर और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।
- ग) आस्थगित आयकर परिसंपत्ति को इस सीमा तक पहचाना जाता है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर, और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर नुकसान का उपयोग किया जा सकता है।

Leases

Leases in which a significant portion of the risks and rewards are not transferred to the entity as lessee are classified as operating lease. Payments made under operating leases (net of incentives received from the lessor) are charged to the profit or loss on straight-line basis over the period of the lease unless the payments are structured to increase in line with the expected general inflation to compensate for the lessor's expected inflationary cost increases. However, substance over form the entity is paying lease rentals as reimbursement of expenses to its parent company which is then paying it to lessor.

Employee Benefits

- **Short Term Obligations**

All employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the services are classified as short term employee benefits. Benefits such as salaries, wages, and leave encashment etc. are recognized in the period in which the employee renders the related service.

- **Other Long Term Employee Benefits Obligations**

The liabilities for Long-term employee benefits not expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service. They are therefore measured as the present value of expected future payments to be made in respect of services provided by employees up to the end of the reporting period using the projected unit credit method. The benefits are discounted using the market yields at the end of the reporting period that have terms approximating to the terms of the related obligation. Remeasurements as a result of experience adjustments and change in actuarial assumptions are recognised in Profit or loss under Other comprehensive income.

Income Tax

- **Current Income Tax**

- a) Taxes including current income-tax are computed using the applicable tax rates and tax laws.
- b) The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date in the countries where the company operates and generates taxable income.
- c) Current income tax assets and liabilities for current and prior periods are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities Liability for additional taxes, if any, is provided / paid as and when assessments are completed.
- d) Current tax related to OCI Item are recognized in Other Comprehensive Income (OCI).

- **Deferred Income Tax**

- a) Deferred income tax is recognized using balance sheet approach.
- b) Deferred income tax assets and liabilities are recognized for temporary differences which is computed using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.
- c) Deferred income tax asset are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilized.

घ) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम किया जाता है अब यह संभव नहीं है कि आस्थगित आयकर संपत्ति के सभी या किसी हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा ।

ङ) ओसीआई मद से संबंधित वर्तमान कर की गणन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यताप्राप्त है ।

अर्जन प्रति शेयर

• बेसिक अर्जन प्रति शेयर

बेसिक अर्जन प्रति शेयर की गणना निम्नलिखित को गुणा करके की जाती है:

- इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य निवल लाभ
- वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भौतिक औसत संख्या
- तनुकृत अर्जन प्रति शेयर

प्रति शेयर मिश्रित आय खाते में लेने के लिए प्रति शेयर मूल आय के निर्धारण में उपयोग किए गए आंकड़ों को समायोजित किया जाता है ।

- मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों से जुड़े ब्याज और अन्य वित्तीय लागतों के बाद के आयकर प्रभाव, और अतिरिक्त इक्विटी शेयरों की भौरित औसत संख्या जो सभी मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण को मानते हुए बकाया होती है ।

कृते चंदर प्रकाश एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हस्ता./—
दिशांत खट्टर
(साझेदार)
सदस्य सं. 540382
एफआरएन01077एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.05.2023

कृते आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./—
पलाश श्रीवास्तव
(निदेशक एवं डिप्टी सीईओ)
(डीआईएन: 02007911)

हस्ता./—
पी आर जयशंकर
(अध्यक्ष एवं निदेशक)
(डीआईएन: 6711526)

राजीव मखीजा
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

- d) The carrying amount of deferred income tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilized.
- e) Deferred tax related to OCI Item are recognized in Other Comprehensive Income (OCI).

Earning Per Share

- **Basic Earnings per share**

Basic earnings per share is calculated by dividing:

- Net profit attributable to equity shareholders
- By the weighted average number of shares outstanding during the financial year.

- **Diluted Earnings per share**

Diluted earnings per share adjusts the figures used in determination of basic earnings per share to take into account:

- The after income tax effect of interest and other financial costs associated with dilutive potential equity shares, and
- the weighted average number of additional equity shares that would have been outstanding assuming the conversion of all dilutive potential equity shares.

**FOR CHANDER PARKASH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS**

**For and on behalf of
the Board of Directors of IIFCL Projects Limited**

Sd/-
Dishant Khatter
(Partner)
M.No. 540382
FRN 010770N

Sd/-
Palash Srivastava
(Director & Deputy CEO)
(DIN : 02007911)

Sd/-
P R Jaishankar
(Chairman & Director)
(DIN : 6711526)

**Place : New Delhi
Dated : 11.05.2023**

Rajeev Mukhija
(Chief Executive Officer)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002



OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-II/3(1)/वार्षिक लेखा/
IPL (2022-23)/2023-24/173
दिनांक: 28 JUL 2023

सेवा में

अध्यक्ष एवं निदेशक,
आई आई एफ़ सी एल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड,
पांचवा तल, प्लेट- ए, एन बी सी सी टावर,
ब्लाक- 2, ईस्ट किडवर्ड नगर,
नई दिल्ली-110 023

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आई आई एफ़ सी एल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आई आई एफ़ सी एल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलग्न पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

एस. ए. पंडा
(एस. आह्लादिनी पंडा)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF IIFCL PROJECTS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of financial statements of IIFCL Projects Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 11 May 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of IIFCL Projects Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**



**(S. Ahladini Panda)
Principal Director of Audit
(Industry & Corporate Affairs)
New Delhi**

Place: New Delhi

Date: 28 JUL 2023



आई आई एफ सी एल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
आई.आई.एफ.सी.एल. (भारत सरकार का एक उपक्रम) के पूर्ण स्वामित्व वाली संबद्ध कंपनी)

IIFCL PROJECTS LIMITED
(A Wholly Owned Subsidiary of IIFCL, A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

Regd. Office : 5th Floor, Block 2, Plate A & B, NBCC Tower, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

फोन / Phone : +91-11- 24655731

ई-मेल / E-mail : contact@iifclprojects.com, वेबसाइट / Website: www.iifclprojects.com

